तृतीय माला, खण्ड ९—अंक ८

शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९६२
२५ कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में

विषय सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २१६ से २२२, २२४ से २३०, २३६ और २३१ से २३४ ८५७—८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २२३, २३५ और २३७ से २४२ . . ८८३—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७० से ५२६ . . . . ८८६—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६११–१२

राज्य सभा से सन्देश ६१२

भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक ६१२

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में-सभा पटल पर रखा गया

सभा का कार्य . . . . . ६१२—१४

विधेयक पुरस्थापित—

(१) उपहार-कर (संशोधन) विधेयक ६१४

(२) भारत की प्रतिरक्षा विधेयक, १६६२ . . . ६१४–१५

(३) परिसीमन आयोग विधेयक ६१६

अध्यादेशों के बारे में वक्तव्य ६१६

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक—पुरस्थापित तथा पारित . . ६१६–१७

बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६१७—२६

श्री अलगेशन . . . . . ६१७—१८

श्री उ० मू० त्रिवदी . . . ६१८

श्री नम्बियार ६१८

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख . . . ६१६

श्री बड़े . . . ६१६

श्री इकबाल सिंह . . ६१६

श्री सोनावने . . . ६१६–२०

डा० पं० शा० देशमुख . . ६२०

श्री प्रिय गुप्त . . . ६२०

श्री विश्राम प्रसाद . . ६२०–२१

श्री यश पाल सिंह . ६२१

श्री गोरी शंकर कक्कड़ . . ६२१

श्री तुलशी दास जाधव . . . ६२१–२२

खंड १ और २ . . . . ६२२—२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . ६२४—२५

श्री अलगेशन . . . . . ६२५—२६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९६२

२५ कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय चाय

+

†*२१९. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम जानकारी के अनुसार ब्रिटिश अमरीकी जर्मन मंडियों में भारतीय, पूर्व अफ्रीकी और लंका की चाय औसतन किन मूल्यों पर दी जा रही है ;

(ख) क्या उन आंकड़ों से १ सितम्बर, १९६२ को कलकत्ता में दिये गये भारतीय चाय परिषद् के इस वक्तव्य का समर्थन होता है कि विश्व की मंडी से भारतीय चाय मूल्य अधिक होने के कारण हटती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय चाय का उत्पादन व्यय कम करने और इसे विश्व मंडी में प्रतियोगिता के लिये अधिक समर्थ बनाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) लन्दन की नीलामी में 'एस्टेट' की दरों के अनुसार चाय बेची जाती है । चाय बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत, श्री लंका और अफ्रीका से जाने वाली चाय की औसत कीमतें निम्नलिखित हैं :—

	शि०	पै०
उत्तर भारत	५	१.४३
दक्षिण भारत	३	६.६५
श्री लंका	४	१०.१७
अफ्रीका	३	३.०४

†मूल अंग्रेजी में

अमेरिका और जर्मन के बाजारों में स्टैंडर्ड नीलामी नहीं हैं और औसत आंकड़े प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं।

(ख) आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि भारतीय चाय मूल्य अधिक होने के कारण विश्व के बाजार से हटती जा रही है। चाय जिन कीमतों पर बिकती है वे अन्य बातों के साथ मुख्यत: किस्म तथा समय समय पर व्याप्त मांग की प्रवृत्ति पर निर्भर है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन और अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि तथा पश्चिम जर्मनी में यथावत स्थिति प्रकट होती है।

(ग) वैसे किन्हीं विशेष उपायों का विचार तो नहीं है किन्तु सरकार इन प्रवृत्तियों का निरन्तर अध्ययन कर रही है। गवेषणा व्यवस्था, पूरी मात्रा में उर्वरक सप्लाई, चाय के पुराने पौधों को फिर से रोपने आदि के माध्यम के उत्पादन लागत में कमी करने के लिये समुचित सुविधाएं जुटाई गई हैं। इनके अतिरिक्त चाय को अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिये आवश्यकतानुसार राजकोषीय उपाय भी किये जाते हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : विवरण के भाग (ख) से प्रकट होता है कि उत्तर में मात्रा बताई गई है जबकि मेरा प्रश्न आय के बारे में भिन्न है। इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि श्रीलंका की चाय की भारत की चाय से कड़ी प्रतिद्वन्दिता है मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रीलंका सरकार ने उनके उद्योग को ऐसी कौन सी सुविधाएं दी हैं जो हमारी सरकार ने हमारे उद्योग को नहीं दी हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह दो प्रश्न सर्वथा भिन्न हैं। चाय के बारे में कीमत की तुलना नहीं की जा सकती है। आम शिकायत यह है कि हमारी चाय श्रीलंका और अन्य देशों की चाय से अधिक महंगी है। इसलिये श्रीलंका से हमारी तीव्र होड़ है। जहां तक उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं का प्रश्न है, इस उद्योग को हम अनेक सुविधाएं दे रहे हैं। उर्वरक, ५ करोड़ रुपये तक पौधों को पुन: रोपना और २ करोड़ रुपये तक किराया खरीद मशीनें। माननीय सदस्य इन सब बातों से पूर्ण परिचित हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : विवरण से प्रकट होता है कि दक्षिण भारत की चाय ३ शि० ६ पैं० पर बिकती है और श्रीलंका की चाय ४ शि० १० पैं० पर। जलवायु में समानता होने पर भी दक्षिण भारत और श्रीलंका की चाय में इतना अधिक अन्तर क्यों है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वस्तुत: ऐसा नहीं है। श्रीलंका में उस देश में दोनों क्षेत्रों का औसत है जो तामिल सीमा के निकट है और वहां उच्च स्तरीय क्षेत्र हमारी आसाम की चाय के समान ही है। चाय के बारे में श्रीलंका की चाय का औसत लिया जाता है। उत्तर भारत की चाय श्रीलंका की चाय से श्रेष्ठ नहीं है। दक्षिण भारत में यह कुछ अच्छी है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : मजदूरों की वेतन-वृद्धि का उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ता है इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार चाय मजूरी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार लागत-वृद्धि के प्रतिकर स्वरूप चाय उद्योग को वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वित्तीय सहायता की बात सदैव उचित नहीं होगी। इस उद्योग को सब आवश्यक सहायता दी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : हमारी चाय दूसरे देशों की चाय का विदेशी बाजार में मुकाबला कर सके तथा उसकी उत्पादन लागत कम हो सके इसके लिये भारत सरकार ने और क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे कदम हैं उर्वरक अधिक मात्रा में देना, किराया खरीद मशीनें देकर चाय बागानों का आधुनिकीकरण करना । हम कृत्रिम सिंचाई उपकरण के रूप में भी सहायता दे रहे हैं—यह चाय की खेती की दिशा में नवीन प्रगति है । चाय की उत्पादन लागत कम करने के लिये यह सब कदम उठाये जा रहे हैं । विदेशों में चाय के प्रोपेगेण्डा पर भी हम काफी खर्च कर रहे हैं । हम कुछ प्रचार केन्द्र भी खोल रहे हैं । चाय बोर्ड के सभापति हाल ही में आस्ट्रेलिया गये थे जहां से वह कल लौटे हैं । भारतीय चाय की विदेशों में बिक्री बढ़ाने के लिये हम विभिन्न कदम उठा रहे हैं ।

सीमेंट के कारखाने

+
†*२२०. **श्री भागवत झा आजाद** :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री सोनावने :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में सीमेंट के कितने कारखाने चालू करने का विचार है;

(ख) सरकार को जो योजनायें प्राप्त हुई हैं या जिन पर वह विचार कर रही है उन के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) सीमेंट के नये कारखाने चालू करने के लिये आधार क्या हैं ?

†**इस्पात और उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) लगभग ४६ लाख टन कुल क्षमता वाली अठाईस योजनाएं स्वीकार की गई हैं । उनका समय पर पूरा होना विदेशी मुद्रा का उपलब्ध होना यंत्र और मशीनों के भारतीय निर्माताओं की क्षमता इत्यादि पर निर्भर है ।

(ख) सरकार के सामने पचास प्रस्ताव हैं ।

(ग) कच्चे माल की उपलब्धता, ईंधन, बिजली, पानी, रेल परिवहन सुविधाएं, क्षेत्र में मांग और पूर्ति और योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य—सब सम्बन्धित मापदण्ड हैं; अन्य सब बातें समान रहने पर उद्योग का प्रदेशवार समान वितरण भी ध्यान में रखा जाता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : यह प्रस्तावित फैक्टरियां स्थापित होने के पहले, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार देश की आवश्यकता पूर्ति किस प्रकार करेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : हम वर्तमान उत्पादन से ही इसकी पूर्ति करेंगे । हम विशेष रूप से तापीय भट्टियों का चूना प्रयुक्त कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : आजकल मांग और पूर्ति में कितना अन्तर है तथा क्या यह सच नहीं है कि मांग बढ़ रही है किन्तु उत्पादन उसके समान नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह सच है क उत्पादन मांग की समता नहीं कर रहा है। इसका मुख्य कारण द्वितीय योजना में लक्ष्य की कमी है किन्तु अब हम इसमें वृद्धि का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री भक्त दर्शन** : इन २२ फैक्टरियों में से सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्रों में कितनी कितनी हैं । क्या इनका राज्यवार ब्यौरा मिल सकता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : ये अधिकांशत: गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में हैं । मेरे पास राज्यवार आंकड़े हैं किन्तु इन्हें पढ़ने में काफी समय लगेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे सभा-पटल पर रख दिया जाये ।

†**श्री महेश्वर नायक** : इन में से कितनी फैक्टरियां इस्पात उद्योग के सहयोग स्वरूप स्थापित की जायेंगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जहां तक इस्पात के सहयोगी उद्योगों का प्रश्न है इसका चूने के उपयोग से सम्बन्ध है । हम आजकल दुर्गापुर और भिलाई में उपलब्ध चूना काम में लेने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और दो या तीन सीमेंट फैक्टरियां इनसे सम्बद्ध कर दी जायेंगी ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या कुछ कठिनाइयों के कारण विद्यमान फैक्टरियों में फालतू कार्य-क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो उन में सुधार के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मोटे रूप में उत्पादन क्षमता लगभग ९० प्रतिशत है । अधिक कच्चा माल जुटा कर तथा परिवहन क्षमता बढ़ा कर हम इन फैक्टरियों में उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इन २२ फैक्टरियों में जम्मू प्रान्त में कालाकोट और पठानकोट के समीप चक्की स्थित फैक्टरियां भी शामिल हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां, इस में मैसर्स जे० एण्ड के० मिनरल्स, लिमिटेड, श्रीनगर भी शामिल है ।

†**श्री बड़े** : क्या मध्य प्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्र में कोई सीमेंट फैक्टरी खोलने का सरकार का विचार है और नीमच में स्थापित की जाने वाली गैर सरकारी क्षेत्र में फैक्टरी के लिये सरकार क्या सहायता देगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मध्य प्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्र में एक फैक्टरी को लाइसेंस दिया गया है--मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी ।

†**श्री यशपाल सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भारत का सब से बड़ा कारखाना हैवी एलीक्ट्रेकल्स का हरिद्वार में कायम हुआ है, क्या उसकी जरूरियात को मीट करने के लिये वहां सीमेंट फैक्ट्री कायम की जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†**श्री लहरी सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि व्यास डैम का ख्याल रखते हुए, क्या उस एरिया में कोई फैक्ट्री खोलने की तजवीज़ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अगर यह सब चीजें एक एक सेक्टर की हम लेने लगें तो कैसे काम चलेगा ?

†**श्री हेमराज** : पंजाब में फैक्टरी का लाइसेंस किस पार्टी को दिया गया है तथा क्या यह सच है कि जिस फर्म को लाइसेंस दिया गया है उसका नाम सरकार ने ब्लैक लिस्ट में रखा है ?

†**अध्यक्ष महोय** : माननीय सदस्य ब्यौरे में जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न।

बोकारो में इस्पात कारखाना

\+

†*२२१. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मुरारका :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री लक्ष्मू भवानी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्री सरज पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो में इस्पात का चौथा कारखाना स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या अमरीकी सरकार ने वचनबद्ध सहायता देने का अन्तिम निश्चय कर लिया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी एजेंसी द्वारा भेजे गये अमरीकी इस्पात तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण दल के १९६३ के प्रारम्भ में अमरीकी एजेंसी के समकक्ष रिपोर्ट पेश करने की आशा है। तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण दल द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद ही परियोजना के लिये आर्थिक सहायता सम्बन्धी यथार्थ निर्णय लिया जायेगा। इस बीच इस स्थान पर प्रारम्भिक कार्य चल रहा है और आवश्यक जमीन प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार ने इस बात के लिये उपयुक्त कदम उठाये हैं कि वर्तमान संकटकालीन स्थिति के कारण इस संयंत्र की स्थापना के कार्य में रुकावट न हो ?

†**इस्पात खान और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : एक बार योजना का अनुमोदन हो जाने पर मुझे विश्वास हैं कि अमेरिका से पर्याप्त सहायता मिलेगी जो विदेश मुद्रा की भी व्यवस्था करेगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इन समाचारों में कोई सचाई है, जो समाचारपत्रों में छपे हैं, कि अमरीकी विशेषज्ञ बोकारा में वृहद्कार यूनिट स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं तथा वे उसकी अधिकतम क्षमता प्रतिवर्ष ३० लाख टन से अधिक नहीं रखना चाहेंगे?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं समाचारपत्रों की भांति अनुमान पर विश्वास नहीं करता हुँ।

†**श्री कछवाय** : मैं जानना चाहता हूँ कि इस कारखाने की स्थापना के काम के शुरू होने की क्या उम्मीद है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह चौथी योजना अवधि के दौरान उत्पादन आरम्भ करेगा। इसके अन्तिम रूप प्राप्त करने तक मैं निश्चित कार्यक्रम तय करने की स्थिति में नहीं हूँ।

श्री कछवाय : हिन्दी में उत्तर मिलना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** चौथी योजना में किसी वक्त शुरू हो जायेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद।** उनके पुराने उत्तर, जिन्हें अभी भी दोहराया गया है, को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस्पात सम्बन्धी हमारी आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए अमरीकी सरकार को यह बताने का विचार रखती है कि तीसरी योजना अवधि में ही उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाये?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** उन्हें यह बात मालूम है और मुझे विश्वास है कि निर्णय करते समय वे इस बात का ध्यान रखेंगे।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच हैं कि अमरीकी दल के नेता श्री एटिक जेक्बसन, ने माननीय मंत्रीजी से भेंट की थी और उन्हें बताया था कि दल के निष्कर्ष के अनुसार यह परियोजना व्यवहार्य है तथा आगे कार्य आरम्भ करने के पहले केवल कुछ ब्यौरा निर्णित करना शेष है?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम:** जी हां, मैंने प्रतिनिधि मण्डल के नेता से हाल ही में चर्चा की थी। इस स्थिति में ब्यौरा बताना उचित नहीं होगा।

†**श्री विभूति मिश्र :** क्या यह सही है कि बिहार गवर्नमेंट ने इस कारखाने को जितनी जमीन की जरूरत है वह बिना कीमत दे दी है? यदि हाँ तो फिर जमीन का सवाल क्यों उठाया जाता है?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हम प्रारम्भ में ४४००० एकड़ जमीन प्राप्त कर रहे हैं। कदाचित उससे कुछ अधिक की आवश्यकता हो। इसकी कीमत भूमि अधिग्रहण एक्ट के अनुसार तय की जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह मुफ्त दी गई है?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जी नहीं, हम इसकी कीमत दे रहे हैं।

निर्यात के लिये क्षेत्रवार संगठन

†*२२२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विशेष क्षेत्रों सम्बन्धी निर्यात व्यापार समस्याओं का विशेष अध्ययन करने के लिए सरकार का क्षेत्र–वार संगठन बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह संगठन कब बनेगा; और

(ग) इसके मुख्य कार्य क्या होंगे?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग) यह प्रश्न भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विभूति मिश्र :** मैं जानना चाहता हूं कि जब यह मामला सरकार के विचाराधीन है तो क्या विभिन्न स्टेटों को और विभिन्न स्टेटों के जिलाधीशों को लिखा गया है कि वे बतायें कि उनके यहां कौन–कौन चीजें बाहर भेजने लायक हैं; उनकी लिस्ट दें ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इससे इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। इसमें तो विदेशों के एक्सपोर्ट को ध्यान में रख कर देश को चार पांच हिस्सों में बांटने की बात है। शीघ्र ही इन विभिन्न क्षेत्रों के लिये निदेश व्यापार के प्रादेशिक निदेशक नियुक्त किये जायेंगे। सवाल यह है। इसका देश के जिलों और उप–जिलों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : मेरा सवाल यह है कि सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स से और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने जिला अधिकारियों से यह पूछा कि वे बतायें कि उनके यहां कौन–कौन सी चीजें बाहर भेजने लायक हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह तो सब चलता ही है––विदेश व्यापार का प्रदेशवार वितरण और उसकी व्यवस्था यह दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित है। हम इन्हें विदेश व्यापार के प्रादेशिक निदेशकों के अधीन तीन या चार जोन में संगठित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक लेटिन अमेरिका और अमरीका के लिये, दूसरा ब्रिटेन और यूरोपीय इकानामिक कम्यूनिटी, तीसरा पूर्वी यूरोपीय देशों तथा अन्य क्षेत्रों के लिये और चौथा अफ्रीका; एशिया तथा अन्य मध्यपूर्व देशों के लिये।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** जब माननीय मंत्री को इस प्रकार के संगठन की उपयोगिता से विश्वास है तो फिर इसकी स्थापना में देर क्यों की जा रही है; यद्यपि इसकी घोषणा कर दी गई है किन्तु अभी तक उसकी स्थापना नहीं की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वस्तुतः इसमें कोई देर नहीं हुई है। उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश है। हम विदेश व्यापार के प्रादेशिक निदेशालयों का उत्तर दायित्व संभालने के लिये ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद वाले व्यक्ति चाहिये। वाणिज्यिक जानकारी और विदेश व्यापार सम्बन्धी विशेष योग्यता सम्पन्न व्यक्तियों को ढूंढना आसान काम नहीं है। हम इन्हें ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** निर्यातकों और निर्यातकर्ता फर्मों का पंजीकरण प्रदेशवार अथवा वस्तुओं के अनुसार होगा?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह प्रश्न सर्वथा पृथक है ?

लोहा और इस्पात वितरण प्रणाली

\+

†*२२४. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यलमन्डा रेड्डी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोहा और इस्पात वितरण की वर्तमान प्रणाली का पूर्णतया परिवर्तन करने के लिए सुझाव देने के लिये सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है ; और

(ख) क्या सरकार का इरादा थोक खरीदारों द्वारा उत्पादक से सीधे माल खरीदने की प्रणाली को शीघ्र लागू करने का है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हां। वितरण, नियंत्रण और योजना बनाने की वर्तमाण पद्धति का पुनरावलोकन करने के लिये।

(ख) समिति के रिपोर्ट पेश करने पर इस विषय पर विचार किया जायेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या सरकार ने यह अनुभव किया है कि विवरण की वर्तमान पद्धति से बड़ी अड़चन पैदा हो गई है जिसके फलस्वरूप न केवल कुछ व्यक्तियों ने बल्कि कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कोर्ट नहीं उठाये।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : जी हां, वितरण की वर्तमान पद्धति में कठिनाइयां आई हैं। इसीलिये हमने एक समिति नियुक्त की है और मुझे आशा है कि इस पद्धति का पुनर्गठन करना सम्भव होगा।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या सरकार इस पद्धति के दोषपूर्ण होने के कारण ही नहीं बल्कि इस कारण भी इसमें परिवर्तन करना चाहती है कि यह बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : पहली बात तो यह है कि इस संगठन के पास वितरण का काम बहुत बढ़ गया है। पहले लगभग १० लाख टन का वितरण होता था। अब हम स्वयं ४० लाख टन का उत्पादन करने लगेंगे और कुछ माल का हम आयात भी कर रहे हैं। अतः संगठन के काम को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये और शायद वर्तमान आयात का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री भक्त दर्शन** : जहां तक मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा युद्ध सामग्री कारखाने भी इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें इस्पात मिलने में बहुत देर हो जाती है। क्या इस दिशा में भी कोई विशेष उपाय किये गये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : शिकायत तो लगभग हर आदमी करता रहा है पर जहां तक प्रतिरक्षा युद्ध सामग्री कारखानों का सम्बन्ध है इसकी आवश्यताओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है और उसकी जरूरत को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि कलकत्ता में जो आयरन एंड स्टील कंट्रोलर का दफ्तर है वह एक इम्पीरियलिस्ट दफ्तर है और वह आज भी हमारी जरूरियात पूरी नहीं करता। क्या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर या स्टेट लेविल पर इस तरह के दफ्तर कायम करने का इरादा है।

श्री प्र० चं० सेठी : कलकत्ते के अलावा बम्बई मद्रास और दिल्ली में रीजनल आफिसेज हैं। इनके अलावा और कोई दफ्तर खोलने का अभी प्रोग्राम नहीं है।

औद्योगिक, अनुज्ञप्तियों का जारी किया जाना

+

†*२२५. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :
श्री तुलसीदास जाधव :
श्री वि० तु० पाटिल :
श्री जेधे :
श्री वारियर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री बसुमतारी :
श्री रामानथन चेट्टियार :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महलनोविस समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक फर्मों अथवा उद्योगपतियों को जारी की गई अनुज्ञप्तियों का विश्लेषण दिया गया था;

(ख) जो लोग पहले से बहुत से उपक्रमों के स्वामी या प्रबन्धक हैं उन्हें ये अनुज्ञप्तियां जारी करने की वास्तविक प्रक्रिया पर कोई प्रतिबन्ध है;

(ग) क्या गत दो वर्षों में औद्योगिक फर्मों और उद्योगपतियों को जारी की गई अनुज्ञप्तियों का विश्लेषण सभा पटल पर रखा जायेगा?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं, महलनवीस समिति की रिपोर्ट अभी तैयार होनी है।

(ख) जी हां, नये लाइसेंस जारी करते समय १९५६ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के उपबन्धों का सदैव ध्यान रखा जाता है जिसमें विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी एकाधिकार और आर्थिक शक्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में न चली जाये। इस नीति को बढ़ावा देने के लिये अनेक बड़े-बड़े उद्योगों में नये

---

†मूल अंग्रेजी में

कारखाने खोलने के लाइसेंस केवल नये व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। प्रायः सरकार यह भी पसन्द नहीं करती कि कोई कम्पनी अपने कारबार से सम्बन्ध न रखने वाले क्षेत्रों में अपनी शाखायें खोले।

(ग) गत दो वर्ष में देश की बड़ी बड़ी व्यापारिक फर्मों को दिये गये लाइसेंसों का विश्लेषण तैयार किया जा रहा है और तैयार होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री मुरारका :** क्या महलानोबिस समिति ने उनके मंत्रालय से कुछ जानकारी मांगी थी और यदि हां, तो क्या वह जानकारी समिति को दी जायेगी ?

†**श्री कानूनगो :** उन्होंने जानकारी मांगी थी। उस में से कुछ दे दी गई है और कुछ अभी देनी बाकी है।

†**श्री मुरारका :** सभा में कुछ दिन पहले हमें बताया गया था कि यह समिति अपना प्रतिवेदन दिसम्बर में पेश करदेगी। परन्तु यदि यह जानकारी जल्दी नहीं दी गई तो क्या समिति के काम में बाधा नहीं पड़ेगी ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं। अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व पूरी जानकारी तो नहीं परन्तु कुछ अवश्य दे दी जायेगी।

†**श्री बसुमतारी :** क्योंकि यह समिति विवाद का विषय बन गई है तो क्यायह समिति सरकार के निर्देश पदों का अनुसरण कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** निश्चित रुप से। परन्तु मेरा समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये पूर्णतया मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** अभी अभी माननीय मंत्री ने बताया कि इस बात की पूरी सावधानी रखी जा रही है कि लाइसेंस नये व्यक्तियों को दिये जायें। क्या मैं जान सकता हूं कि १९६१-६२ में नये व्यक्तियों को कितने प्रतिशत लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो :** मैं बता चुका हूं कि अध्यक्ष के निदेशानुसार विश्लेषण तैयार किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** गत अवसर पर इस पर आधे घंटे की चर्चा हुई थी और आपने मंत्री महोदय से मामलों की सूची तैयार करने को कहा था परन्तु हमको आज भी बताया गया कि इसको तैयार किया जा रहा है। क्या सूची इस सत्र में सभा पटल पर रख दी जायेगी ? यह बहुत जरुरी है।

†**श्री कानूनगो :** मैंने भाग (ग) का उत्तर दे दिया है और अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर भी दे दिये हैं। इसको तैयार किया जा रहा है और दिसम्बर के मध्य तक यह तैयार होगा। मैं समझता हूं कि आगामी सत्र तक यह तैयार हो जायेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या यह सच है कि सरकार ने महलानोबिस समिति को लिखा है कि समिति द्वारा मांगी गई कुछ जानकारी सरकार द्वारा संभरित नहीं की जा सकी थी ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश में लोहा और इस्पात संयंत्र

+

†*२२६. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री बसुमतारी :
श्री इ० मधूसूदन राव :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में लौह और इस्पात के मध्यम आकार के कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव की जांच के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि जमशेदपुर राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला की लौह-शैफ्ट भट्टी में, कोठागुडम के आस पास के कुछ चुने हुए स्थानों के कोयले और लौह अयस्क और चुने की जांच की जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, और उस परीक्षा का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) विशेषज्ञ समिति ने उस प्रस्ताव पर क्या अन्तिम निर्णय किया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश सरकार के कहने पर जमशेदपुर राष्ट्रीय धातु कार्मिक प्रयोगशाला में आन्ध्र प्रदेश में स्थानीय रुप से उपलब्ध कच्ची सामग्री पर परीक्षण किये जायेंगे परिणामों से मालूम होता है कि स्थानीय कच्ची सामग्री से कच्चा लोहा मिल सकता है । सरकार द्वारा स्थापित टैक्नीकल समिति अब आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त लाभदायक उत्पादन और वैकल्पिक स्थान की उपयुक्तता के बारे में जानकारी पर विचार कर रही है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या अन्य बातों की भी जांच की गई है ? संयंत्र का आकार क्या होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: क्षेत्र में उपलब्ध देसी कोयला और लौह-अयस्क का परीक्षण करने का विचार है और परीक्षण किये गये थे । इसके अतिरिक्त हमने गैर सरकारी क्षेत्र में दो लाइसेंस जारी किये हैं । एक १००,००० टन की क्षमता का कच्चा लोहा बनाने का होगा । सामान्यत: इन संयंत्रों में इसी प्रकार उत्पादन होगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सहयोग के लिये उन्होंने अन्य देशों से कहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं समझता हूं कि इन दोनों लाइसेंसों के बारे में पूर्वी जर्मनी से वह सहयोग की मांग कर रहे हैं ।

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बया** : क्या यह संयंत्र केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया जायेगा और अथवा यह गैर सरकारी क्षेत्र में होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जैसा कि मैंने बताया दो लाइसेंस जारी किये गये हैं। परन्तु आन्ध्र प्रदेश विकास निगम जो कि आन्ध्र प्रदेश उपक्रम हैं में एक और आदेशपत्र मिला है। वह इस निगम का एक अंग होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** यदि यह जांच लाभदायक सिद्ध हुई तो क्या सरकार का विचार तीसरी योजना में कारखाना स्थापित करने के लिये कार्यवाही करने का है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जी हां । ऐसा ही विचार है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** अनुज्ञप्ति धारी (लाइसेंसी) अपने संयंत्रों को कब तक स्थापित कर लेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** ये लाइसेंस इस वर्ष अगस्त १६६२ में या मई १६६२ में जारी किये थे। वह विभिन्न प्रविधिक सहायता के लिये सहयोग मांग रह हैं। मैं नहीं बता सकता हूं कि उत्पादन कब तक आरंभ होगा ।

†**डा० क० ल० राव :** क्या इस क्षेत्र में इस्पात कारखाने की स्थापना में मद्रास कलकत्ता को गोदावरी नदी में जहाजरानी योग्य बनाने पर विचार किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है ।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा :** कच्चा लोहा कारखाने के लिये दो लाइसेंस दिये जाने के कारण क्या सरकार ने उस राज्य में इस्पात कारखाना बनाने पर और आगे विचार कर लिया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** ये सभी कच्चे लोहे के कारखाने हैं इस्पात कारखाने का प्रश्न अलग है और मैं बता चुका हूं कि क्षेत्रवार उनकी स्थापना की जांच की जा रही है ।

कपड़ा मशीन उद्योग

+

†*२२७. { **श्री दाजी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपड़ा मशीन उद्योग का वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) इस उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता क्या है तथा उसका विकास करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) उसमें से कितनी का निर्यात किया जा रहा है ; और

(घ) निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):** (क) पुर्जों समेत कपड़ा मशीनें अब अनुमानतः २६ करोड़ रुपये की देश में बनने लगी हैं ।

(ख) वर्तमान वार्षिक लाइसेंस क्षमता ४४ करोड़ रुपये की है । कपड़ा मशीन के निर्माण के लिये लाइसेंस उदारता से दिये जाते हैं । पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये प्राथमिकता दी गई है ।

(ग) १६६०–६१, १६६१–६२ तथा १६६२–६३ (अगस्त तक) क्रमशः १५.११ लाख रुपये, ३५.६१ लाख रुपये तथा १३.७२ लाख रुपये की मशीनों का निर्यात किया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कपड़ा मशीनों का निर्यात का नियंत्रण हटा दिया है। हाल में ही विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

†**श्री दाजी :** अधिष्ठापित क्षमता, लाइसेंस क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच बड़ा अन्तर होने के कारण क्या सरकार ने पता लगाया है कि इस उद्योग द्वारा पूरी क्षमता का उपयोग करने के बारे में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** कुछ पुर्जों का आयात करना है परन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसी बहुत बड़ी अधिष्ठाता क्षमता है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस समय ३३ प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। अब यह जानने के लिये कार्यवाही की गई है कि इस योजना वधि के अन्त तक ७७ से ८० प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर लिया गया है।

†**श्री दाजी** : इस उद्योग से बहुत निर्यात होने की संभावना थी परन्तु बहुत कम निर्यात होने के कारण क्या हमने सम्बन्धित उद्योग से चर्चा की है कि इनको वास्तव में क्या सहायता चाहिये जिससे इन मशोनों का निर्यात शीघ्रता से बढ़ाया जा सके।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हमारी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हम बहुत थोड़े निर्यात की अनुमति दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हम यह मशीनें बड़े पैमाने पर निर्यात कर सकते हैं क्योंकि तब हमें पुनः इन मशीनों का आयात करना होगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मंत्री द्वारा दिये गये अन्तिम उत्तर के बाद कितनी विदेशी मुद्रा हमें कपड़ा उद्योग तथा जूट कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विस्तार की मशीनों पर व्यय करनी होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जूट मशीनों के निर्माण के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं परन्तु १९६०-६१ में सूती कपड़ा मशीन का आयात २३.३३ करोड़ रुपये था, १९६१-६२ में २६.६४ करोड़ रुपये तथा १९६२-६३ में (अगस्त तक) ११.३४ करोड़ रुपये था।

†**श्री रंगा** : दोनों वक्तव्यों में इतना अन्तर क्यों है। एक में बताया गया है हमारी आवश्यकतायें इतनी बड़ी हैं कि हमें कपड़ा मशीन का निर्यात नहीं बढ़ाना चाहिये और दूसरे में बताया गया है कि ३० प्रतिशत स्थापित क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : गैर सरकारी क्षेत्र में वास्तविक कठिनाई है। हम क्षमता का पूरा उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : क्या सरकार कपड़ा मशीन बनाने वाले कारखानों को वित्तीय सहायता दे रही है और क्या 'टैक्समैको' को कोई रकम दी गई है क्योंकि देश में कपड़ा मशीन बनाने वाले समवायों में यह सब से बड़ा है और यदि हां, तो नये विस्तार कार्यक्रम के अधीन कुल उत्पादन क्या होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मेरे पास इस के आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री रंगा** : यह गैर सरकारी उपक्रम है अथवा सरकारी उपक्रम है ? इस को अतिरिक्त जब अधिष्ठापित क्षमता का देश की बाजार मांग को पूरा करने के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है तो मेरे मित्र इस का किस प्रकार उपयोग करने का विचार कर रहे हैं ? इसका उपयोग कपड़ा मशीन बनाने के लिये अथवा किसी और मशीन के बनाने के लिये उपयोग होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : माननीय सदस्य ने वास्तविक स्थिति को नहीं समझा है। हमारी जरूरतें काफी हैं, परन्तु इस पर भी पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिये हम उन को बारम्बार कह रहे हैं कि पूरी क्षमता का उपयोग करें जिस से उत्पादन बढ़ जाये और इन मशीनों का हमारा आयात कम हो जायेगा।

†**श्री अ० प्र० जैन** : कपड़ा मशीनों में देसी पुर्जे कितने होते हैं और कितने पुर्जों का आयात किया जाता है और क्या देसी पुर्जों को बढ़ाया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हमारा विचार यथासंभव देसी उत्पादन करने का है। मैं आशा कर रहा हूं कि इस योजनावधि के अन्त तक ७७ प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो जायेगा।

†**श्री तुलसीदास जाधव** : क्या यह सच है कि कुछ उद्योगपतियों को, जिन्होंने कपड़ा मशीन का आयात करने की अनुमति मांगी थी, अपनी मशीनों को बदलने की अनुमति नहीं दी गई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं बता चुका हूं कि जितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है उतनी मशीन का आयात करने के लाइसेंस दिये गये हैं ; परन्तु हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि जहां तक संभव न हो, देश में उत्पादन बढ़ाया जाये।

टाट आदि का निर्यात

†*२२८. **श्री मोहसिन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जूट मिलों द्वारा बनाये गये टाट (सैकिंग) की बहुत बड़ी मात्रा बिना बिकी पड़ी है और यह मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में टाट की मांग प्रतिवर्ष कम होती जा रही है ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या करने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जूट की वस्तुयें (हेशियन, सैकिंग तथा अन्य) का उत्पादन, निर्यात और भांडार दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ख) और (ग). टाट (सैकिंग) अथवा अन्य जूट वस्तुओं की विदेशी मांग कम नहीं हो रही है। १९६० तथा १९६१ में निर्यात में कमी जूट की कमी और जूट की वस्तुओं के ऊंचे मूल्य के कारण तथा पाकिस्तान से प्रतिद्वन्दिता के कारण हो गई थी। १९६२ में जूट की वस्तुओं का निर्यात बढ़ गया है।

†**श्री मोहसिन** : भारत से कौन से देश टाट का आयात कर रहे हैं और इस से कितनी विदेशी मुद्रा मिल रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ब्रिटेन, योरोप, निकटपूर्व, सुदूरपूर्व, अफ्रीका, लगभग विश्व के प्रत्येक देश जूट, टाट और अन्य वस्तुओं का आयात कर रहे हैं।

†**श्री मोहसिन** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस से कितनी विदेशी मुद्रा हमें मिली।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें इस वर्ष १५५ करोड़ रुपये से अधिक मिल जाने की आशा है । यह उस की तुलना में बहुत है जो हमें भूतकाल में मिला था ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : टाट के ऊंचे मूल्य जिन के कारण बाजार में हमारे माल की मांग कम हो जाती है; किस प्रकार वैसे ही बने हुए हैं । सरकार ने इस प्रश्न की जांच क्यों नहीं की है—जबकि हम कई बार सभा में कह चुके हैं—कि बिहार और अन्य राज्यों में उत्पादित जूट का मूल्य १५ रुपये से अधिक है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दो बातें हैं । एक देश के मूल्य स्थिर हैं तथा विश्व बाज़ार में टाट की ज़रूरत पर्याप्त नहीं बढ़ी है । ऐसा पाकिस्तान से प्रतिद्वन्दिता के कारण हुआ है क्योंकि वहां पर जूट वस्तुओं के निर्यात पर २० प्रतिशत छट मिलती है । हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं क्योंकि अन्यथा हम जूट उद्योग को सहायता दे रहे हैं । जूट के आन्तरिक मूल्यों के बारे में अलग प्रश्न आ रहा है । सभा में की गई घोषणानुसार हम कलकत्ते में ३० रुपये के भाव आसाम के जूट के रखने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : माननीय मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान से प्रतिद्वन्दिता है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार जूट के टाट के स्थान पर अन्य ऐसी वस्तुओं के बनाने का है जिस को विश्व में बेचा जा सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा यही उद्देश्य है । परन्तु हम टाट का निर्माण बन्द नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि उद्योग का मुख्य उत्पादन यही है । हम जूट उद्योग का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि गलीचे का कपड़ा तथा अन्य उत्पाद बनायें जिस से विदेशी मुद्रा की अधिक आय हो सके ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : टाट के निर्यात के प्रश्न के अतिरिक्त क्या सरकार ने संकटकालीन प्रतिरक्षा आवश्यकता के परिणामस्वरूप टाट की आन्तरिक आवश्यकताओं की संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : खाद्यान्नों, उर्वरकों, सिमेंट और विभिन्न अन्य वस्तुओं की आवश्यकता में वृद्धि के कारण गत पांच वर्षों में आन्तरिक बाजार में टाट की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है ।

प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के बारे में कुछ गलतफहमी है । रेत के बोरे टाट के बनते हैं और जूट से नहीं । इस से सन की खपत बढ़ सकती है ।

श्री क० ना० तिवारी : सैंकिंग का दाम इंडिया में १६५ रुपये सैंकड़ा है और नार्थ बिहार का जूट १२ रुपये से १६ रुपये तक बिक रहा है । मैं जानना चाहता हूं इस की क्या वजह है ?

श्री मनुभाई शाह: ३० रुपये तो असम बाटम का है और बिम्बली जो है, उस का है । बिहार का मैस्टा थोड़ा सा इनफीरियर है, उस की रिवाइज्ड प्राइसिस दी गई है । स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में हम ने कोआप्रेटिव फ़ैड्रेशन की मार्फत काम शुरू किया है । हम चाहते हैं कि जो कोआप्रेटिव मूवमेंट है वह और भी स्ट्रांग हो जाय ताकि काश्तकारों को भी सही दाम मिल सकें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पटसन की खरीद

+

†*२२९. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन के सम्बन्ध में मूल्य अवलम्बन नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से किसानों की सहकारी संस्थाओं और विपणन संघों को इस योग्य बनाने के लिये कि वे उत्तर बिहार के पटसन पैदा करने वाले जिलों, पश्चिमी बंगाल और आसाम में पटसन की मंडी में कार्य कर सकें, क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम भी इसी काल में स्वतंत्र रूप से पटसन की मंडी में कार्य करेगा ; और

(ग) क्या किसानों की सहकारी संस्थाओं और राज्य व्यापार निगम के अतिरिक्त किसी तीसरे अभिकरण की स्थापना भी विचाराधीन है जो केवल पटसन के सम्बन्ध में और विशेष रूप से खुले बाजार में कार्य करे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) से (ग). सरकार ने यह निर्णय किया है कि भारत के राज्य व्यापार निगम को सहकारी समितियों के द्वारा कच्चा जूट खरीदना चाहिये। इस मामले में निगम सामान्यतः, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपण संघ जो सहकारी समितियों की केन्द्रीय संस्था है, के द्वारा काम करता है। खरीदारी आरम्भ कर दी गई है। यह जूट बफर स्टाक ऐसोसियेशन कार्यों के अतिरिक्त है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदा गया कच्चा जूट केवल निर्यात के लिये है और यदि हां, तो सहकारी समितियों से यह किन मूल्यों पर खरीदा जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा को मालूम है कि, कच्चे जूट का बहुत कम निर्यात होता है। सच यह है कि हम कच्चे जूट का निर्यात नहीं कर रहे हैं। ऐसा मूल्यों को स्थिर तथा बफर स्टाक बनाने के लिये है जिस से इस निर्यात की आमदनी वाले उद्योग को ठीक रखा जाये।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : दूसरे वर्ष भी कच्चे जूट की फसल अच्छी हो जाने के कारण क्या सरकार ने उन न्यूनतम मूल्यों को निश्चित कर दिया है जो किसानों को मिलेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह**: सभा को मालूम है कि कलकत्ता म जाने वाले आसाम के जूट के मूल्य ३० रुपये हैं और सरकार इन मूल्यों को रखना चाहती हैं। इन सभी प्रयत्नों के कारण कलकत्ता आसम के जूट के मूल्य २९ रुपये थे। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि मूल्य ३० रुपये रहे और किसानों को उचित मूल्य मिल जायें।

†**डा० रानन सेन**: यह सभी खरीदारी कांव स्तर पर अथवा नाम स्तर पर सहकारी समितियों अथवा विपणन संघों द्वारा की जायेगी।

†**श्री मनुभाई शाह** : गांव स्तर पर सहकारी समितियां समाहार करेंगी तथा रेलवे भाड़ा तथा अन्य भार कम करके भुगतान किया जायेगा जिससे कलकत्ते में ३० रुपये मन के मूल्य आसाम के रहे।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि आसाम जूट कलकत्ते में २९ रुपये प्रतिमन बिक रही थी जब कि बिहार के माननीय दो सदस्यों ने बताया है कि बिहार में मूल्य १२ रुपये से १५ रुपये हैं । बिहार की जूट और आसाम की जूट में क्या अन्तर है और सरकार ने उस जूट को खरीदने का क्या प्रयत्न किया है जिसका अधिकांश भाग सितम्बर–अक्तूबर में कम मूल्य पर बेचा गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने वह काम बहुत पहले शुरू कर दिया था और जैसा कि मैंने बताया यह काम जूट बफर स्टाक संस्था के काम को पूरा करने के लिये था । सभा को मालूम है कि जूट मिलों के पास इस समय पांच महीनों का कच्चे जूट का भंडार है । मूल्यों में अन्तर के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा इस कारण से है क्यों कि सहकारी आन्दोलन तथा संगठन अधिक विस्तृत है और सहायक मूल्य का १०० प्रतिशत उत्पादकों को मिलेगा इस लिये मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय सदस्य भारत के पूर्वी क्षेत्र, आसाम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शक्तिशाली बनाने में सहयोग देंगे जिससे सहकारी समितियों के उत्पादक राज्य व्यापार निगम को जूट दें ।

श्री क० ना० तिवारी : आनरेबल मिनिस्टर वे कहा है कि इतना प्राइस में डिफ्रेंस नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कितना डिफ्रेंस है बिहार जट में और असम जूट में ?

श्री मनुभाई शाह : असम जूट में कोई साढ़े पांच रुपये का फर्क है और वह क्वालिटी पर है । लेकिन प्वाइंट यह है कि काश्तकार को क्या मिलता है । यह हमारी दिली इच्छा है कि काश्तकार को इसी बेसिस पर मिले । इसके लिये यह आवश्यक है कि देश के अन्दर सहकारित की भावना बढ़े और अधिक से अधिक सहकारी समितियां बनें ।

†**श्री रंगा** : क्या सहकारी व्यापार समितियों और गैर सरकारी व्यापारियों के बीच प्रतिद्विन्दता है ? यति प्रतिद्विन्दता नहीं है तो सरकार का विचार क्या सावधानी बरतने का है जिससे प्राइमरी सहकारी विघटन समितियों जूट उत्पादकों को वही वास्तविक मूल्य दें जो उनको राज्य व्यापार निगम से मिल रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सहकारी समितियों वाले उत्पादकों को वही मूल्य अर्थात् ३० रुपये प्रति रेलभाड़ा सहित दे रहे हैं जो उनको मिलता है । गैर सरकारी व्यापारी यह प्रयत्न कर रहे थे कि मूल्य करके उत्पादकों को कम मल्य दिलायें । हम इसी समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : सहकारी समितियों के द्वारा उत्पादकों को कितने प्रतिशत मूल्य मिल जायेगा क्या व्यक्तिगत व्यापारियों के द्वारा कितने प्रतिशत मिलना था तथा सरकार की कितनी जिम्मेदारी समाप्त हो जायेगी ;

†**श्री मनुभाई शाह** : सहायता मूल्य का यह अर्थ नहीं है कि सभी गांठें खरीदी जायें । परन्तु केवल यह तात्पर्य है कि किसानों को सभा द्वारा स्वीकृति मूल्य मिल जाये । इसीलिये हम सहकारी आयोग को शक्तिशाली बना रहे हैं और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जूट बफर स्टाक संस्था तथा राज्य व्यापार निगम के बीच संतुलन रखने के लिये जितना संभव होगा हम उतना खरीदने का प्रयत्न करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेम राज :

†**श्री हेम राज** : संख्या २३० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इसके साथ प्रश्न संख्या २३६ भी लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संख्या २३६ का भी उत्तर दिया जाये ।

हरी चाय

†*२३०. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर के बाजार में और कांगड़ा के चाय बागान मालिक के पास हरी चाय का कितना स्टाक बिना बिका पड़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्टाक जमा हो जाने के कारण मूल्य गिर गये हैं ; और

(ग) इस चाय को अफगानिस्तान के बाजार में निर्यात करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) यह बताया गया है कि जुलाई, १९६२ के अन्त तक अफगानिस्तान को निर्यात करने के लिये ३.७ लाख किलोग्राम का भंडार था ।

(ख) इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में इस किस्म की चाय के मूल्यों में कुछ कमी हुई है। यह नहीं समझा जा सकता कि इस कारण भंडार इकट्ठा हो गया है ।

(ख) अफगानिस्तान को चाय विमान द्वारा उठाने के लिये अतिरिक्त उड़ानें की गयी थीं और बोर्ड व्यापारियों को सलाह दे रहा है कि खोर्टम शहर हो कर समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाये

हरी चाय

+

†*२३६. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६२ में दून घाटी के विभिन्न चाय बागानों में, बिना बिकी और बिना उठायी गई हरी चाय की बहुत बड़ी मात्रा पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो वह मात्रा कितनी थी ; और

(ग) चाय की संचित मात्रा को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). सितम्बर, १९६२ में दून घाटी के चाय बागानों से लगभग १५ लाख पौंड हरी चाय इकट्ठा हो गयी थी ।

(ग) अफगानिस्तान को निर्यात की जाने वाली चाय को विमान द्वारा उठाने के लिये अतिरिक्त उड़ान की व्यवस्था की गयी और चाय बोर्ड व्यापारियों से बरास्ता कोरम शहर समुद्री मार्ग इस्तेमाल करने को कहता रहा है ।

†**श्री हेम राज** : कुछ समय पूर्व, एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि वहां केवल २० लाख पौंड चाय है । वास्तव में कांगड़ा और अमृतसर में ५० लाख पौंड से अधिक चाय इकट्ठी हो गयी थी । पहले . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानकारी मांग रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं ?

†**श्री हेम राज** : पहले, बड़े विमानों की व्यवस्था की गयी थी। अब डकोटा विमानों का उपबन्ध किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह भाषण न दें । प्रश्न क्या है ?

†**श्री हेम राज** : प्रश्न यह है कि क्या हरी चाय को उठाने के लिये पहले बड़े विमानों का उपबन्ध किया गया था अब डकोटा विमानों का उपबन्ध किया गया है जिससे निर्यात पर असर पड़ा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न के प्रथम भाग को शुद्ध करने के लिये, कोई ३० लाख पौंड या ५० लाख पौंड नहीं है । केवल एक किस्म की ३·७ लाख पौंड और दूसरी किस्म की १५ लाख पौंड है । मुख्य बात यह है कि हमारे चाय ले जाने के लिये भारत और अफगानिस्तान के बीच यथा संभव अधिकाधिक विमानों की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है । उनकी भौतिक रूप से उपलब्धता अभी कठिन है और अधिक विमान प्राप्त करने में कठिनाई है क्यों कि कि एयर इण्डिया इससे अधिक विमान नहीं दे सकती । हमारा सतत प्रयत्न यह है कि हम अधिक विमान प्राप्त करें । मूल्य में कमी इस लिये संभव है कि विमान से माल ले जाना सड़क के रास्ते या समुद्र के रास्ते ले जाने से मंहगा है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : दून की हरी चाय किन देशों को निर्यात की जाती है और प्रमुख प्रतियोगी कौन हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य को मेरे से अधिक ज्ञात है कि हरी चाय कहां जाती है । मुख्यत: यह अफगानिस्तान, मध्यपूर्व देशों और कुछ पश्चिमी योरोपीय देशों को जाती है ।

†**श्रीमती अकम्मा देवी** : नीलगिरि में छोटे उत्पादकों द्वारा पैदा की गयी सामान्य चाय का भंडार बिना बिका पड़ा है । इन ६००० छोटे उत्पादकों की दुर्दशा सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्या के प्रश्न से मुझे पूरी सहानुभूति है । पिछली बार भी उन्होंने यह बात कही थी । पहले तो, जैसा महसूस किया गया है, वह बिना बिका नहीं रहता । यह सच है कि छोटे उत्पादकों को सरकार की और सदन की सहानुभूति चाहिये । हमने दक्षिण भारतीयों को और कुन्नूर और दून घाटी के लोगों को कितनी भी रकम के ऋण की सहायता देने का प्रस्ताव किया है । मैं माननीया सदस्या से, जिनकी छोटे उत्पादकों में इतनी रुचि है, कोई सहकारी तरीके का कारखाना स्थापित करने की प्रार्थना करता हूं जो कि चाय को साफ और पैक कर सके ।

†**श्री तुलसीदास जाधव** : भारत में कितनी हरी चाय पैदा की जाती है और उसमें से कितनी निर्यात की जाती है और कितनी भारत में इस्तेमाल की जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अधिकतर चाय का निर्यात किया जाता है । अच्छी चीज का निर्यात किया जाता है क्यों कि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है । यह लगभग ३०–४० लाख पौंड है ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक हरी चाय का सम्बन्ध है, चाहे वह कांगड़े इलाके की हो चाहे देहरादून की हो या उत्तर प्रदेश के और पर्वतीय जिलों की हो, प्रति वर्ष यह समस्या सामने आती है । तो क्या इस के लिये कोई स्थायी हल अर्थात् परमानेन्ट सोल्यूशन ढूंढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : समस्या तो बहुत है । लेकिन दरग्रसल जो समस्या है वह यह है कि जितनी जमीन ग्रौर बढ़ाने के लिये उन को चाहिये उतनी इस एरिया में मिल नहीं रही है क्योंकि जमीन पर बहुत चीजों की डिमांड है । जहां तक डेवेलपमेंट का सवाल है हम ने पंजाब सरकार को, मद्रास सरकार को ग्रौर उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसिस्टेंस दी है ताकि वह परमानेन्ट सोल्यूशन हो सके । छोटे छोटे ग्रोग्रर्स मिल कर एक, दो या तीन कम्पनियां बना लें या कोग्रापरेटिव बना लें, उनको मशीन देने, लोन देने ग्रौर ग्रलग ग्रलग किसम के काम करने की, जिस से ग्रच्छी टी बन सके, कोशिश की जा रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि इन इकट्ठा हुये भंडारों के निपटाने के बारे यह कठिनाई मुख्यतः विमान परिवहन कठिनाइयों के कारण है या इस कारण कि पश्चिम एशियाई देशों में, विशेषतः चीन ग्रौर जापान से जो हरी चाय के निर्यात पर राज सहायता दे रहे हैं, इन मंडियों में हमें हानि पहुंचा रहे हैं ग्रौर यदि कारण यह है, तो चाय उद्योग के लागत ढाचे के बारे में विचार करने के लिये हम क्या कदम उठा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं । जहां तक ग्रफगानिस्तान का सम्बन्ध है, केवल हम ही संभरण कर रहे हैं । कुछ ही महीने पूर्व मैं काबुल गया था । वहां हमारी चाय की बहुत सराहना की गयी । कठिनाई बरास्ता पाकिस्तान सड़क मार्ग के रोक दिये जाने के कारण है । हम इसका कोरमशहर के रास्ते ग्रौर विमानों द्वारा ले जाकर समाधान कर रहे हैं ।

उद्योगों का प्रसार

†*२३१. + { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भागवत झा ग्राजाद :
श्री बसुमतारी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ ग्रगस्त, १९६२ के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या १००१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों की स्थापना के बारे में लघु उद्योग बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उन के कितने सुझाव स्वीकार किये गये हैं ; ग्रौर

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). उद्योगों की स्थापना के बारे में लघु उद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित की गई समिति की सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है ताकि उन्हें योजना ग्रायोग के गहन ग्रामीण ग्रौद्योगीकरण कार्यक्रम में शामिल किया जा सके ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या यह सच है कि सरकार ने देश में विभिन्न राज्यों में लघु ग्रौद्योगिक बस्तियां स्थापित की हैं ग्रौर यदि हां, तो उन के कार्यकरण का क्या परिणाम निकला ?

†**श्री कानूनगो :** राज्य सरकारों से ग्रौद्योगिक बस्तियों के लिये निधि का ७५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रावंटित करने का ग्रनुरोध किया गया है । परन्तु ग्रब समूची योजना की स्थिति भिन्न है क्योंकि गहन ग्राम्य ग्रौद्योगीकरण का नया कार्यक्रम ग्रपनाया जा रहा है जिस में लघु उद्योग बोर्ड भाग ले रहा है ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी :** क्या सरकार प्रतिरक्षा की वर्तमान आवश्यकता को ध्यान म रखते हुए सरकार इस विचार को बदलने के लिये सोच रही है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, हां । सारे संगठन को तीव्र कर दिया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस समय ऐसे कदम उठा रही है कि उद्योग कुछ क्षेत्रों में इकट्ठे न हों परन्तु अन्य स्थानों में भी उद्योग फैले ?

†**श्री कानूनगो :** सिफारिशें की गई हैं । उनके अनुसार छोटे पैमाने के उद्योग फैलाये जाते हैं प्रश्न यह है कि कुछ उन पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ता है जिन से उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन नहीं मिलता और उन पर ध्यान दिया जा रहा है ।

दक्षिण इस्पात संयंत्र

\+

†*२३२. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री उमा नाथ :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे मैं कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) जो पदाधिकारी प्रारम्भिक परीक्षण करने के लिये पूर्व-जर्मनी भेजे गये थे, क्या वे भारत लौट आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में उन्हों ने क्या रिपोर्ट दी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):** (क) भारत सरकार ने दक्षिण प्रदेश में नीवेली लिग्नाइट और सैलम और अन्य लौह-अयस्क पर आधारित एक कच्चा लोहा अथवा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक तकनीकी समिति नियुक्त की है ।

कनीकी समिति की सिफारिश पर नार्वे और पूर्व जर्मनी में बड़े पैमाने पर गलाना आर राख परीक्षण किये गये हैं । पूर्व जर्मन अनुसंधान संस्था की रिपोर्ट से कि निम्न शाफ्ट भट्टी तरीके से इस्पात बनाने के लिये कच्चा लोहा बनान की तकनीकी संभाव्यता का पता चलता है । नाव से अन्तिम प्रतिवेदन प्रतीक्षित है । समिति ने यह सिफारिश की है कि परामर्शदाता इंजीनियरों के एक सार्थ को नीवेली के लिग्नाइट और सैलम । बेल्लारी–सन्दूर के लौह-अयस्क के आधार पर एक कच्चा लोहा अथवा इस्पात संयंत्र के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन देने को कहा जाये । प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हां ।

(ग) अभी तक केवल सार प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिस से पता चलता है कि पूर्व जर्मनी के परीक्षणों में यही कार्य सुदृढ़ था । और विस्तृत परियोजना प्रतीक्षित है ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** उत्तर धीरे धीरे पढ़ा जाय क्योंकि हम इसे समझ नहीं सके ।

†**श्री प्र० चं० सेठी :** यह उत्तर लम्बा है । इसीलिये मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि यह उत्तर लम्बा था तो उन को वह सभा पटल पर रख देना चाहिये था ।

श्री यशपाल सिंह : स्पीड तो वार एफर्ड के साथ बढ़नी ही चाहिये । मैं समझ लेता हूं चाहे इस से भी तेज वह बोलें । यह तो आज की सिचुएशन का तकाजा है ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो आफिसरान हमारे बाहर भेजे गये थे उन की सर्विसेज़ क्या दस साल से कम थीं, वे नये और अनुभवहीन थे और उस उन में किसी तरह की रिसेप्टिविटी नहीं थी इसलिये रिपोर्ट नहीं दी जा सकी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जो आफिसर्स भेजे गये थे वे एक्स्पीरिएन्स्ड थे, और ईस्ट जर्मनी में गये हुए आफिसर्स वापस आ गये हैं । उन की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है ।

श्री यशपाल सिंह : उन में से कितने ऐसे थे जिन की सर्विसेज दस सालों से कम की थीं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री उमा नाथ :** हमें बताया गया है कि तकनीकी समिति स्थान के प्रश्न पर विचार कर रही है . . . . . .

†**श्री रंगा :** उन में से कितनों को दस वर्ष से कम का अनुभव था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन के पास वे आंकड़े नहीं हैं ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** तीन पदाधिकारी पूर्व जर्मनी गये । यदि मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहते हैं कि उन में से कितनों को दस वर्ष से कम का अनभव था तो हम तुरन्त वह जानकारी नहीं दे सकते ।

†**श्री रंगा :** उन में से दो को दस वर्ष से कम का अनुभव था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय का कहना है कि उन के पास यह जानकारी नहीं है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** हम ने केवल युवक पदाधिकारी भेजे थे और अब के बाद भी हम युवक पदाधिकारी ही भेजेंगे ।

†**श्री रंगा :** 'युवक' से क्या मतलब है । मैं ऐसे उत्तर का विरोध करता हूं । **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

†श्री रंगा : 'युवक' व्यक्तियों से उन का क्या मतलब है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री रंगा को और स्वयं को भी काफी जवान समझता हूं । इस में कोई हानि नहीं है । **(अन्तर्बाधा)**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आप और श्री रंगा जैसे युवक भेजे जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई अवसर आये तो युवकों में श्री रंगा को भेजा जाये ।

†**श्री रंगा** : कृपया आप देखें कि भेजे गये दो व्यक्तियों को दस वर्ष से कम का अनुभव था . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने माननीय सदस्य को बताया है कि मंत्री महोदय का कहना है कि उन के पास यह जानकारी नहीं है ।

†**श्री रंगा :** वह वहां रुक जाते । सभा के प्रति इतना अनादर बरतने का कोई कारण नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन के पास वह जानकारी नहीं है । मैं ने उन्हें रोक दिया । उन्हें आगे और कोई लम्बा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मंत्री जी ने कठिनाई पैदा कर दी ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** मैं यह बात इसलिये कह रहा था कि पता नहीं यह दस वर्ष के अनुभव की कसौटी कहां से आई ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं एक सुझाव दूंगा । इस को चाहे प्रार्थना समझें या सुझाव या परामर्श । पहले एक अवसर पर भी मैं ने मंत्रियों जी से प्रार्थना की थी कि जब मैं किसी प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति नहीं देता हूं तो मंत्री महोदय उठ कर उत्तर न दें । वह यह देखें कि मैं ने प्रश्न की अनुमति दी है और फिर उत्तर दें ।

†**श्री उमानाथ** : हमें यह बताया गया था कि स्थान के प्रश्न पर तकनीकी समिति विचार कर रही है कि यह सैलम में हो या नीवेल्ली में अथवा सैलम और नीवेल्ली दोनों जगहों में । इस समिति की क्या सिफारिश है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** तकनीकी समिति ने सिफारिश की है कि एक परामर्शदाता नियुक्त किया जाये । परामर्शदाता नियुक्त कर दिया गया है । वह विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर रहा है । स्थान के प्रश्न पर वे विचार करेंगे ।

मध्य प्रदेश के लिये उर्वरक संयंत्र

†*२३३. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री यु० द० सिंह :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :

क्या **इस्पात तथा भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिये सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र के लिये उपयुक्त स्थान ढूंढने के प्रश्न के सम्बन्ध में भारतीय उर्वरक निगम तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन सा स्थान चुना गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :**(क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये कई स्थानों की जांच पड़ताल के बाद दो स्थान चुने गये हैं जिन में से शीघ्र ही अन्तिम रूप से चुना जायेगा ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** इस प्रस्तावित संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : मूल प्रस्ताव ५०,००० टन नाइट्रोजन—उस के बराबर उर्वरक के लिये था । परन्तु अब इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस को बढ़ा कर १,००,००० टन किया जा सकता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मंत्री महोदय को पता है कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने इस उर्वरक संयंत्र के लिये मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट स्थान चुन लिया था और उसकी घोषणा की थी ? क्या उनको यह भी पता है कि यह स्थान बदलने का प्रस्ताव मुख्यत: पक्षपात के विचार से किया गया था क्यों कि पिछले सामान्य निर्वाचन में. . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** यह आक्षेप कर रहे हैं । वह प्रश्न पूछें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मंत्री महोदय को उस क्षेत्र में, सारे मध्य प्रदेश में, जनता की आशंका का पता है कि अब स्थान बदलने के लिये सरकार का प्रस्ताव पक्षपात के विचार से किया गया है क्योंकि पिछले सामान्य निर्वाचनों में होशंगाबाद और नरसिंहपुर के उस क्षेत्र में ९ कांग्रेस उम्मीदवारों में से ७ हार गये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अन्तिम भाग प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है और प्रश्न का भाग नहीं हो सकता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या उन्हें आशंका, क्षोभ और क्रोध का पता है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । क्या आशंका को कम नहीं किया जा सकता ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : इटारसी के निकट एक उर्वरक कारखाना लगाने के लिये एक गैर-सरकारी पक्ष को लाइसेंस दिया गया था । परन्तु उस पक्ष ने यह परियोजना स्थापित करने के लिये अपनी असमर्थता प्रकट की है । इस ही लिये अब इस को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। उत्पादन के तरीके में भी परिवर्तन कर दिया गया है । यह कोयले पर आधारित होगा । अत: स्थान चुनने के लिये यह देखा जायेगा कि इसके पास कोयला उपलब्ध है ।

श्री अ० सिं० सहगल : मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में फरटीलाइजर प्लांट बनाने के लिये कितनी जगहों की तजवीजें की गयी थीं ?

†**अध्यक्ष महोदय:** : इस संयंत्र की स्थापना के लिये कितने स्थानों के बारे में विचार किया गया था ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : पहले कटनी, उज्जैन और इटारसी के बारे में विचार किया गया था ।

†**श्री बड़े** : इटारसी योजना के रद्द किये जाने के बाद कितने स्थानों की जांच की गयी है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : कई स्थानों पर विचार किया गया । इस समय कटनी और बीरसिंहपुर में से स्थान चुनना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मध्य प्रदेश में और कितनी अवधि में इसके स्थापना के स्थान को बदलने के लिये कितनी बार प्रयत्न किया गया ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जहां तक मुझे पता है, जैसा मैं बता चुका हूं, गैर-सरकारी क्षेत्र के पक्ष को इटारसी के लिये लाइसेंस दिया गया था। अब, जैसा मैं बता चुका हूं, हमें उत्पादन का तरीका बदलना है और अब कच्चा माल कोयला होगा। अतः कोयले वाला क्षेत्र चुनना होगा। और जिन बातों का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, उनका मुझे पता नहीं है।

†**श्री उ० मू० त्रिवदी** : क्या यह सच है कि . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दूसरे प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

†**श्री दाजी** : यह संयंत्र कब तक बन जायेगा और इस में कब उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले स्थान तो चुना जाये।

†**श्री कछवाय** : मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की साल भर की खाद की कितनी मांग है और उसको कहां से पूरा किया जाता है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

कपड़े के मूल्य

†*२३४. **श्री उमा नाथ :**
श्री नरेन्द्र नाथ महीडा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं से ऐसी अनेक शिकायतें आयी हैं कि कपड़े पर छपे मूल्य सामान्यतः बहुत अधिक होते हैं और उपभोक्ताओं को इस विश्वास के साथ अधिक मूल्य देने पड़ते हैं कि छपे हुए मूल्य पर कोई विवाद नहीं हो सकता ; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को मिल-मालिकों द्वारा शोषण किये जाने से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या नियंत्रण लगाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तथापि, वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए सूती कपड़े समेत आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बनाये रखने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं। ये उपाय १० नवम्बर, १९६२ को योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताये गये हैं।

†**श्री उमानाथ**: क्या सरकार ने बीच के दर्जे के और मोटे कपड़े के, जिनका जनता अधिक इस्तेमाल करती है, मूल्य कम करने के लिये कोई विशेष उपाय किये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां। जैसा कि विवरण में बताया गया है, हमने मोटे तथा निम्न मध्यम श्रेणी के कपड़े का उत्पादन ३० करोड़ गज बढ़ाने के लिये कदम उठाये हैं। और प्रत्येक मिल के

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन का दस प्रतिशत भाग उपभोक्ता और सहकारी समितियों को दिया जायेगा और मूल्य निर्धारण के लिये और उपाय किये गये हैं, जो विवरण में दिये गये हैं।

†**श्री उमा नाथ** : विभिन्न राज्यों में ये उपाय कहां तक लागू किये जा चुके हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : १० तारीख को यह विवरण दिया गया था कि कानूनी उपायों के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं परन्तु में सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि मोटा और निम्न मध्य श्रेणी के कपड़े समेत इन सभी किस्मों में मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

†**श्री बेरवा (कोटा)** : क्या यह सत्य है कि कपड़े के दुकानदार ग्राहकों से छपे हुए मूल्य से ज्यादा लेने लगे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्य खुदरा व्यापारी छपे हुए मूल्य से अधिक ले रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस बार दीवाली और दशहरा के दिनों में भी कोई शिकायतें नहीं आयीं। कुछ वस्तुओं की भारी मांग है। उन में से दो बर्किघम और कर्नाटक और बोम्बे डाइंग हैं। इनकी भारी मांग है और इसको, चाहे कितना भी संभरण किया जाये, पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि एक या दो मिलें सारी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकतीं परन्तु मोटे तौर पर मोटे और मध्यम श्रेणी के कपड़े के बारे में मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार को कपड़ा मिलों से आश्वासन मिल गया है कि वह यह देखेंगे कि संकट के समय मूल्य न बढ़ें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम केवल उनके आश्वासन पर विश्वास नहीं करते। हम कपड़ा आयुक्त के कार्यालय के स्तर पर मूल्य निर्धारित करने और उन्हें छापने के लिये कानूनी उपाय कर रहे हैं और यह काम गैर-सरकारी पक्षों पर नहीं छोड़ रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह : जिन व्यापारियों ने गरम कपड़े के दाम दुगुने कर रखे हैं क्या उनके खिलाफ भी डिफेंस आफ इंडिया रुल्स के मातहत कोई कार्रवाई की गयी है ?

श्री मनुभाई शाह : अभी तो काटन टैक्सटाइल्स की बात हो रही है। गरम कपड़े की बात होगी तो उसका भी पता करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आजकल जाड़े का मौसम है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपभोक्ता सहकारी समितियों और बहु-उद्देशीय समितियों को उपभोक्ताओं को निम्न दर पर बेचने के लिये एक्स-मिल भाव पर कपड़ा सीधे मिलों से मिलेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां। उत्पादन को ३० करोड़ गज बढ़ाने के लिये सभी प्रबन्ध कर लिये गये हैं और सभी किस्म का दस प्रतिशत कपड़ा उपभोक्ता सहकारी स्टोरों और विभागीय स्टोरों को दिया जायेगा।

†**श्री प्रिय गुप्त** : परन्तु मेरी जानकारी यह है कि उनको यह नहीं मिल रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मंत्री महोदय का उत्तर स्वीकारात्मक होने के बावजूद, क्या सरकार संकट काल में संभावित मूल्यों में वृद्धि को रोकने के उपायों को कड़ा करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने भी यही बात कही है । सभी उपाय किये गये हैं । यदि कोई भी माननीय सदस्य कपड़े के मूल्य में वृद्धि का कोई मामला बतायें तो मैं उन का आभारी हूंगा ताकि हम कड़ी कार्रवाई कर सकें ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि छपे हुए मूल्य ठीक मूल्य हैं और अधिक मूल्य नहीं हैं, सरकार के पास कोई व्यवस्था है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । इरादा यही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मोटर कार का मूल्य

†*२२३ **श्री मती रेणुका राय :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र मोटरकार निर्माताओं को मोटर-कारों के मूल्य कम करने के लिये तैयार करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). कुछ समय पूर्व निर्माताओं के साथ मोटरगाड़ियों के मूल्य में कमी करने के प्रश्न पर विचार किया गया था। सरकारी दबाव के फलस्वरुप देश में तीन मोटर-कार निर्माताओं में से दो अर्थात् मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई और मेसर्ज स्टैण्डर्ड मोटर प्राडक्टस आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास ने मई १९६० में अपनी कारों का मूल्य २०० रुपये कम कर दिया है । तब से वित्त अधिनियमों के अन्तर्गत उत्पादन और/अथवा सीमा मुल्य को छोड़ कर मूल्य में कोई वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी गयी है ।

रांची में मशीनें बनाने का और ढलाई व गढ़ाई का कारखाना

†*२३५. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री रा० शि० पाण्डेय :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की दशा को देखते हुए रांची में मशीन बनाने के कारखाने तथा ढलाई व गढ़ाई के कारखाने के निर्माण के बीच कितनी अवधि रहेगी; और

(ख) इस अवधि को कम करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) लगभग दो वर्ष ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यद्यपि निर्माण तेजी से करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है, मुझे आशा है कि इससे अन्तर में विशेष फर्क पड़ेगा । अतः उत्पादन कार्यक्रम इस प्रकार करने का है जिससे भारी कास्टिंग और फोर्जिंग के आयात की आवश्यकता में भारी कमी हो । जिन उपकरणों के निर्माण में भारी कास्टिंग और फोर्जिंग की कम आश्यकता पड़ती है उनका निर्माण बढ़ाने का प्रस्ताव है । ढलवां और फोर्ज़ पुर्जों के स्थान पर वेल्ड किये गये अथवा संविरचित पुर्जों के इस्तेमाल की संभावना का पता लगाया जा रहा है ।

पिम्परी में बनाई गई पेनिसिलीन का मूल्य

†*२३७. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिम्परी कारख़ाने में बनाई गई पेनिसिलीन का विक्रय-मूल्य क्या है;

(ख) आयात की गई पेनिसिलीन के मूल्य की तुलना में यह कैसी है; और

(ग) मूल्य को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]**

ऐंटीमनी धातु के मूल्य में कमी

†*२३८. **श्री कोल्ला वेंकय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टार मेटल रिफाइनरी लिमिटेड के साथ ऐसे उपायों के बारे में चर्चा की गई है जिन से कम्पनी द्वारा ऐंटीमनी धातु का मूल्य घटाया जा सके, जिसे अगस्त, १९६१ में ३.२० रुपये से बढ़ा कर ३.४५ प्रति किलोग्राम कर दिया गया है;

(ख) क्या आयात किये जाने वाले अधिक सस्ते ऐंटीमनी अयस्क का कोई संसाधन सुझाया गया है; और

(ग) क्या देशी ऐंटीमनी अयस्क की खोज करने और उसे निकालने के किन्हीं अन्तरिम उपायों की जांच की गई है या योजना तैयार की गई

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**. (क) चूंकि स्टार मेटल रिफाइनरी आयात किन्तु हुए ऐंटीमनी अयस्क से ऐंटटीमनी धातु तैयार कर रहा है इस लिये उस धातु का सम्बन्ध आयात किये गये ऐंटीमनी अयस्क के मूल्य से होता है । फिलहाल जो मूल्य लिया जा रहा है वह उचित मूल्य के अन्दर ही है जिसकी सिफारिश प्रशुल्क आयोग ने जांच पड़ताल के आधार पर की थी । सरकार ने यह मूल्य स्वीकार कर लिया है ।

(ख) अन्य सस्ते ज़रियों से अपनी आवश्यकता का ऐंटीमनी अयस्क प्राप्त करने की संभावना का निरन्तर पता लगाया जा रहा है ।

(ग) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने देश में ऐंटीमनी अयस्क के निक्षेपों का सघन सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

टौलबुटैमाईड गोलियां

†*२३९. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मधुमेह रोग के लिये "टौलबुटैमाईड" गोलियां तैयार करने के लिये किसी विदेशी औषध निर्माता फर्म को एकस्व अधिकार दिये गये हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि इस के कारण "टौलबुटैमाईड" तथा इसी तरह की दूसरी मधुमेह विरोधी औषधियां तैयार करने वाले देशी निर्माताओं का रोज़गार बन्द पड़ गया है और उन औषधियों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई हैं

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) कई विदेशी तथा भारतीय औषध निर्माताओं को अनेक एकस्व अधिकार दिये गये हैं जिन में "टौलबुटैमाईड" सहित सलफोनिल यूरिया तैयार करने की प्रक्रियाएं और औषधियों के नुस्खे शामिल हैं।

(ख) चूंकि भारतीय निर्माताओं को भी यह औषधि तैयार करने के लिए लाइसेंस दिया गया है इसलिए देशी निर्माताओं का रोज़गार बन्द पड़ने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस औषधि का दाम बढ़ जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें नहीं पहुंची हैं।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

†*२४०. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और ब्रिटेन के बीच कपड़ा करार को तीन वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाने के प्रस्ताव पर कुछ समय से बातचीत की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या करार को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) ब्रिटेन को भारत से सूती वस्त्र और कपड़े के निर्यात की वर्तमान अधिकतम सीमा अर्थात, १९५० लाख वर्ग गज़, १९६५ के अन्त तक जारी रहेगी। इसके अलावा ब्रिटेन को भारत से सूत का वार्षिक निर्यात १९६१ की दर तक अर्थात् ११५ लाख पौंड तक सीमित रहेगा। भारत सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि ब्रिटेन में सूती वस्त्र और सूत का शुल्क रहित आयात होता रहेगा और उस आयात में सम्पूर्ण रूप से वृद्धि हो जाने की दशा में उसी दर से अधिकतम सीमा में भी वृद्धि की जायगी।

विदेशी औषधियों की बिक्री

†*२४१. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि हाल के महीनों में आयात की हुई दवाइयों जैसे विटामिन पाउडर और विभिन्न वर्गों की गोलियां प्रेडनिसोलन, टेट्रासाइक्लीन का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के मुकाबले में कई गुना बढ़ गया है;

(ख) देश में इन औषधियों की मांग किस-किस अनुपात में इन वर्गों की विदेशी औषधियों के आयात से तथा देशीय दवाइयों के उत्पादन से पूरी की जा रही है; और

(ग) इन दवाइयों अथवा समान 'वर्गों' की दवाइयों के लिये कितनी विदेशी फर्मों आदि की एकस्वाधिकार प्राप्त है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) उपभोक्ताओं को बेची गयी तैयार दवाइयों की कीमतों में अभी हाल के महीनों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) देश में तैयार की गयी औषधियों का कुल मूल्य ८५–९० करोड़ रुपया है जब कि उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल का मूल्य ८–९ करोड़ रुपया है और तैयार औषधियों के अनुमानित आयात का मूल्य ४–५ करोड़ रुपया है ।

(ग) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

यूरोप के देशों में चाय केन्द्र

†*२४२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थापित किये जाने वाले चाय केन्द्रों की संख्या क्या है, और उन्हें यूरोप के किन-किन देशों में स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) उन पर क्या व्यय होगा और इसका आवर्तक खर्चा क्या होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). इस विषय पर विचार हो रहा ई ।

उत्तर भारत में चाय उद्योग

†४७०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०, १९६१ और १९६२ में उत्तर भारत में चाय उद्योग को सीमेंट, लोहा और इस्पात सम्बन्धी कितनी आवश्यकता थी;

(ख) उस उद्योग की १९६०, १९६१ और १९६२ में अब तक कितनी आवश्यकता पूरी की गयी है;

(ग) क्या १२ सितम्बर, १९६२ के फाइनेन्शियल एक्सप्रैस में प्रकाशित, भारतीय चाय परिषद् के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें चाय उद्योग की इन तीव्र आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अपर्याप्त सप्लाई के बारे में शिकायतें दी गयी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग के लिए ये वस्तुएं पर्याप्त मात्राओं में उपलब्ध करने के लिए क्या कायवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). १९६०, १९६१ और १९६२ के वर्षों में उत्तर भारत में चाय उद्योग को सीमेंट, लोहा और इस्पात का नियतन और मांग इस प्रकार है :—

(१) सीमेंट

वर्ष (जनवरी–दिसम्बर)	मांग	नियतन
	टन	टन
१९६०	३१,३३८.२६९	२५,४५१.२००
१९६१	१,३०,०१४.९२७	३५,९१२.०००
१९६२	१,८१,९५०.९८०	५०,७१०.०००

(२) लोहा और इस्पात सामग्री :

१९५९–६० (अप्रैल–मार्च)

	मांग	नियतन
	टन	टन
विकास और विस्तार . .	३,३४४.८४	३,८९३.८४
रख रखाव और मरम्मत .	५,६७३.५७	५,५१९.३४

१९६०–६१ (अप्रैल–मार्च)

विकास और विस्तार .	२,७५७.३८	१,५७२.४६
रख रखाव और मरम्मत .	६,०२२.७६	२,७७२.६२

१९६१–६२ (अप्रैल–मार्च)

विकास और विस्तार	३,३२०.७	१,३३४.६०
रख रखाव और मरम्मत	५,०६०.१८	१,४७४.४४

(ग) जी हां ।

(घ) देश में सीमेंट, लोहा और इस्पात की संपूर्ण उपलब्धि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि चाय उद्योग की आवश्यकता यथासंभव अधिक से अधिक पूरी की जानी चाहिये ।

त्रिपुरा में उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र

†४७१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्रों के ज़रिये त्रिपुरा उद्योग विभाग के अधीन किन किन उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन्द्रनगर, अगरतल्ला में आई० टी० आई० प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में कौन-कौन से विषय सिखाये जाते हैं ; और

(ग) उद्योग विभाग के जरिये अब तक कितने छात्र प्रशिक्षित किये जा चुके हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) लुहारगिरी, बढ़ईगिरी, सिलाई, कताई, सींग, हड्डियां हाथीदांत बेंत और बांस ।

(ख) (१) इंजीनियरिंग : इलेक्ट्रिशियन, मेकैनिक (मोटर), वेल्डिंग, टर्निंग, फिटर, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, चद्दर की धातु की गलाई ।

(२) गैर-इंजीनियरिंग : कताई, टोकरी बनाना और आशुलेखन ।

(ग) २४७१

त्रिपुरा में जुलाहों की बस्तियां

†४७२. **श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में जुलाहों की बस्तियां बसाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिध्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ऊन और ऊनी कपड़े का दाम

†४७३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ऊनी कपड़े का दाम इस साल बहुत ज्यादा बढ़ गया है;

(ख) ऊन और ऊनी कपड़े का दाम कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) दाम बढ़ जाने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिथ्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अखबारों में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं कि ऊनी होजियरी माल के दाम बढ़ गये हैं ।

(ख) वर्स्टेड वीवींग सूत, होजियरी सूत, भूरा हाथ-बुनाई सूत और होजियरी सूत के दाम सरकार ने निश्चित किये हैं । आशा है कि इससे ऊनी माल के दाम उचित स्तर पर बनाये रखने में मदद मिलेगी ।

(ग) आयात किया गया कच्चा माल सीमित मात्रा में उपलब्ध होने तथा संकट काल के लिये लिये बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण कीमतों पर असर पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक संस्थाओं को ब्याज-मुक्त ऋण

†४७४. **डा० रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले दस सालों में किन-किन औद्योगिक संस्थाओं को ब्याज-मुक्त ऋण दिया है ; और

(ख) उसी अवधि में प्रत्येक संस्था के लिये कुल कितना-कितना ऋण मंजूर किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). पिछले दस वर्षों में प्रत्येक औद्योगिक संस्था के लिये मंजूर किये गये ऋण के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि यह प्रश्न किसी विशिष्ट उद्योग या औद्योगिक संस्था तक सीमित हो, तो वह इकट्ठी की जा सकती है।

औद्योगिक सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल

†४७५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और उस दल ने कितने अध्ययन दौरे किये हैं ; और

(ख) उस दल ने अब तक क्या-क्या सिफारिशें की हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) औद्योगिक सहकारी समितियों सम्बन्धी कार्यकारी दल की पहली बैठक ६ सितम्बर, १९६२ को हुई थी और उस में किये गये निश्चय के अनुसार उस ने अब तक पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है। उस ने लुधियाना, लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, दुर्गापुर, बम्बई और सूरत में औद्योगिक सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों आदि का भी निरीक्षण किया।

(ख) कार्यकारी दल ने अभी तक अपनी कोई सिफारिशें नहीं दी हैं।

दुर्गापुर में चश्मों आदि के शीशे बनाने का कारखाना

†४७६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ब० कु० दास

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी तकनीकी सहयोग से दुर्गापुरमें चश्मे के शीशे बनाने का कारखाना (अप्थालमिक ग्लास फैक्टरी) बनाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से आगे चल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसे पूरा करने और उत्पादन के लिये समय अनुसूची का पालन करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और वित्त मंत्रालय के परामर्श से उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। परियोजना-रिपोर्ट स्वीकृत किये जाने के बाद ही समय अनुसूची तैयार की जायगी।

मिलों में नयी किस्मों का कपड़ा

†४७७. **श्री उमानाथ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलों में कपड़े की नयी किस्में चालू करने के सम्बन्ध में संशोधित सूत्र लागू किये जाने के बाद भी, साल में नयी किस्में अब भी बहुत ज्यादा हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अवांछनीय प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई उपयुक्त उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं और उनके परिणाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मिलों द्वारा बड़े पैमाने पर नयी किस्में चालू करने के बारे में कोई खबर सरकार को नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

साइकिलों, सिलाई की मशीनों और बिजली के पंखों का निर्यात

†४७८. **श्री ईश्वर रेड्डी** :
श्री नम्बियार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकिलों, सिलाई की मशीनों और बिजली के पंखों के निर्यात से कितना औसत नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य प्राप्त हुआ ;

(ख) भारत में उनमें से प्रत्येक वस्तु का कारखाना निकलता औसत थोक मूल्य कितना है जिसमें आन्तरिक कर शामिल नहीं है; और

(ग) निर्यात से कम वसूली होने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) साइकिल, सिलाई की मशीन और बिजली के पंखे के निर्यात से प्राप्त किया गया औसत नौतलपर्यन्त निःशुल्क मूल्य क्रमशः ८० से ९० रुपया, ७० से १०० रुपया और ६५ से १०० रुपया है।

(ख) भारत में उपर्युक्त वस्तुओं के कारखाना-निकलते औसत थोक मूल्य (आन्तरिक करों को छोड़ कर) क्रमशः १०० से १५० रुपये, १०० से १६० रुपये, और ८० से १३० रुपये हैं।

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात से कम वसूली विदेशी बाजारों में मुख्यतः गहरी प्रतियोगिता के कारण हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में नाइलोन के धागे का कारखाना

†४७९ श्री प० कुन्हन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में नाइलोन के धागे का एक कारखाना खोलने के लिये मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अगरतल्ला बीड़ी शिल्प समवाय समिति

†४८०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतल्ला बीड़ी शिल्प समवाय समिति कर्मचारियों की सहकारी समिति है ;

(ख) क्या उस समिति ने १९६० में कोई ऋण मांगा था ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर हां, हो, तो उसके लिये ऋण न मंजूर के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) समिति ने ऋण के अधिकारी बनने के लिये सहकारी समिति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आवश्यक चुकता पूंजी इकट्ठी नहीं की थी ।

जड़ी बूटियों का निर्यात

†४८१. **श्री बड़े** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से जड़ी बूटियों का निर्यात करके १९६१–६२ में कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई ;

(ख) क्या निर्यात की जा सकने वाली नई जड़ी बूटियों खोजकर यह निर्यात बढ़ाने के कोई विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि लाहौल घाटी से प्राप्त "कुथ" नामक जड़ी का निर्यात किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जड़ीबूटियों को निर्यात की वस्तुओं के रूप में अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाता। स्थूल वर्गीकरण में ,अर्थात् पौधे, बीज, फूल, आदि, जिनका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं है और जिनका मुख्यतः उपयोग दवाइयों या इत्र आदि में होता है, ऐसी सभी चीजें शामिल हैं जो पूरी तौर से दवाइयों के काम में नहीं लायी जातीं। इन चीजों का कुल निर्यात १९६१–६२ में २.८ करोड़ रुपया है।

(ख) जी हां। दवाइयों के काम आने वाली जड़ीबूटियों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से नयी जड़ी-बूटियों ढूंढने के लिये सेन्ट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लान्ट्स आर्गनाइजेशन, सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टिट्यूट, फारेस्ट रिसर्च स्टेशन्स और नैशनल केमिकल लेबोरेटरी, पूना, कार्रवाई कर रही हैं।

(ग) और (घ). वास्तव में "कुथ" जड़ी बूटी नहीं है। "सौसौरिया लप्पा क्लार्क" पौधे की जड़ को "कुथ" कहते हैं। १९६१–६२ तक लाहौल घाटी से इस जड़ी के निर्यात से विदेशी मुद्रा काफी मात्रा में मिलती थी। अब उसकी मांग बहुत कम हो गई है और इसलिये भारत से उसके निर्यात की अब अधिक गुंजाइश नहीं है। फिर भी कुथ से कास्टस रूट तेल निकाला जा रहा है जिसके निर्यात के लिये कुछ गुंजाइश हो सकती है।

विदेशी मुद्रा का संसाधन

†४८२. **श्री हेमराज**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने विदेशी मुद्रा बचाने की कोई ठोस योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन योजनाओं की छानबीन की है ; और

(ग) वे कहां तक सहायक सिद्ध होंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने सरकार के साथ औपचारिक रूप से चर्चा की है और वह विस्तृत योजनायें तैयार कर रहा है। वे प्राप्त हो जाने के बाद उनकी छानबीन की जायगी।

त्रिपुरा को नालीदार लोहे की चादरों की सप्लाई

†४८३. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के सिविल सप्लाई के विभाग के पास मार्च १९५८ से नवम्बर १९६२ तक सी० आई० शीट्स के लिये कितने आवेदन पत्र पड़े हुये थे ;

(ख) वर्ष १९६१–६२ के लिये त्रिपुरा प्रशासन के विभिन्न विभागों की नालीदार लोहे की चादरों की मांगें कितनी हैं ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी व्यक्तियों को उनकी मांग के अनुसार नालीदार लोहे की चादरों की सप्लाई करने और १९६१–६२ के लिये प्रशासन की मांग भी १९६२–६३ के अन्त तक पूरा करने का मंत्रालय का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) ३,६६८ ।

(ख) ५,२६० मेट्रिक टन ।

(ग) चूंकि जी० सी० शीट्स की मांग उपलब्धि से बहुत अधिक है, इस कारण प्राप्त मात्रा का समान वितरण किया जाता है । उत्पादकों के पास अनेकों क्रयादेश पूरे होने के लिये बाकी पड़े हैं । अतः आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले होगी और उसके बाद साधारण कोटा दिया जायगा । इसमें स्वाभाविक ही समय लगता है ।

सीमेण्ट का उत्पादन

†४८४. { **श्री रामरतन गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाइसेंसशदा सीमेण्ट कारखानों को तुरन्त उत्पादन आरम्भ कर देने के लिए कोई हिदायत दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) प्रभावी कार्यवाही करने और योजनाओं को पूरा करने के लिए स्वयं लाइसेंस में ही समय सीमा निर्धारित की गयी है । इसका पुर्णतया पालन किया जाता है । यदि सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि समय बढ़ाना आवश्यक है तो समय बढ़ा दिया जाता है । फिर भी लाइसेंस शुदा व्यक्तियों को तत्काल उत्पादन आरम्भ करने का कोई अनुदेश नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हेवी इलैक्ट्रिकल्स में ऑक्सीजन संयंत्र

†४८५. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इलेक्ट्रिकल्स के ऑक्सीजन संयंत्र में हफ्ते में केवल दो दिन ही काम होता है ; और

(ख) क्या ऑक्सीजन के अतिरिक्त उत्पादन की बाजार में बिक्री की संभावना की छानबीन की गयी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) और (ख). जी हां । उत्पादन कारखाने की वर्तमान आश्वकताओं तक ही सीमिति है । लेकिन क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए फालतू आक्सीजन के ग्राहकों का पता लगाने का विचार है ।

टेंडर मंगाये गये हैं और मूल्यों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला के "ब्लुम और स्लैब"

†४८६. **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला निर्माण में से ३७,००० मीट्रिक टन "ब्लूम और स्लैब" वस्तुविनियम के आधार पर विदेशों में १५,००० मीट्रिक टन सफेद साधारण चादरों और काली चादरों के बदले में, जिनकी भारत में उद्योग के लिए आवश्यकता है, बेची गई;

(ख) यदि हां, तो व्यापार किसने किया और किससे किया ; और

(ग) क्या निर्यातीत वस्तुऐं मंजिल पर पहुंच गई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) इस्पात की चादरें, स्टैप आदि की ३४,००० मीट्रिक टन मात्रा को ९८,००० मीट्रिक टन स्लैब और पिण्डों के निर्यात के बदले आयात करने की अनुमति दी गई।

(ख) कलकत्ता स्थित लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने मैसर्स अमीचन्द प्यारे लाल, अपीजय (प्राइवेट) लि०, राम कृष्ण कुलवन्त राय और सुरेन्द्र (ओवरसीज़) प्राइवेट लि०, कलकत्ता को यह व्यापार करने की अनुमति दी। इन फर्मों ने इस्पात के सामान के निर्यात के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के साथ ठेका किया था।

(ग) ५०,५०० मीट्रिक टन इस्पात स्लैब और पिण्ड का पहिले ही निर्यात हो चुका है।

'टिस्को' और 'इस्को' पर बकाया ब्याज

†४८७. **श्री कृ० चं० पन्त :**
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा तथा इस्पात समानीकरण निधि से मैसर्स टिस्को और इस्को को दिये गये विशेष अग्रिम देयों पर १ जुलाई, १९५८ से ३१ मार्च, १९६१ तक कितना ब्याज बकाया है ; और

(ख) क्या उपरोक्त राशि पूरी वसूल हो गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) २७७ ५ लाख रुपये।

(ख) अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। वसूली के ढंग की जांच हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला में आन्तरिक परिवहन

†४८. श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में आन्तरिक परिवहन के लिए वैगन स्थिति गम्भीर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा ; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). रूरकेला में वैगन स्थिति पूर्णतया सन्तोषजनक न थी और अब उसमें सुधार हो गया है। हिन्दुस्तान स्टील ने रेलवे से कुछ और वैगन प्राप्त कर लिये हैं और पुरानों की मरम्मत कर ली है। कुछ विशेष प्रकार के वैगन भी पश्चिमी जर्मनी से आयात किये जा रहे हैं। रूरकेला इस्पात संयंत्र में निरन्तर सुधार हो रहा है।

लोहा और इस्पात समानीकरण निधि

†४८९. श्री मुरारका :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में लोहा और इस्पात समानीकरण निधि से कितना अंश मिलने की आशा हैं ; और

(ख) अब तक कितना अंशदान किया गया हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में ३१-३-१९६२ तक समानीकरण निधि में २५.४५ करोड़ रु० आ गये हैं। वर्त्तमान स्थिति के अनुसार बाकी चार वर्षों में प्राप्ति और विक्रय मूल्व ५८ करोड़ रु० होने की आशा है।

दक्षिण में स्टेंनलैस स्टील

†४९०. श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री भा० दा० देशमुख :
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :
श्री जेवे :
श्री रावनदल :
श्री वि० तु० पाटिल :
श्री किशन वीर :
श्री तुलशी दास जाधव :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में दक्षिण में एक स्टेनलेस स्टील प्लांट की स्थापना का लाइसेंस दिया हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो किस फर्म को दिया है ;

(ग) तीसरी योजना में स्टेनलेस स्टील का उत्पादन-लक्ष्य क्या है ;

(घ) क्या देश के अन्य भागों में, विशेषकर मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए और संयंत्र स्थापित करने के कोई और प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ङ) उस पर सरकार का क्या निश्चय है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). मद्रास में स्थापित होने वाले संयंत्र में ७,००० टन स्टेनलेस स्टील वार्षिक बनाने की **मैसर्स** वमीडामर्स (मैनुफै०) प्राइवेट लि०, मद्रास की योजना सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है।

(ग) ५०,००० टन प्रति वर्ष।

(घ) और (ङ). हां, श्रीमान। मैसर्स वी० एच० शाह, बम्बई की गुजरात राज्य में अहमदाबाद के पास वतवा में एक स्टेनलेस स्टील का संयंत्र बनाने की योजना भी सिद्धान्त रूप में सरकार ने स्वीकार कर ली है। इस संयंत्र की वार्षिक क्षमता १०,००० टन होगी।

अन्य प्रस्ताव स्वीकार न किये जा सके क्योंकि पर्याप्त क्षमता पहिले ही पूरी हो चुकी है जिसमें सरकारी क्षेत्र की क्षमता भी शामिल हैं।

'लो-शैफट भट्टी का कच्चा लोहा संयंत्र

†४९१. **श्री तुलशी दास जाधव :**
श्री ब० तु० पाटिल :
श्री जेधे :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री ५ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदर्भ में 'लो-शैफट" भट्टी का कच्चा लोहा संयंत्र भी, जिसके लिए लाइसेन्स दिया गया है, उत्पादन क्षमता और उसकी रोजगार संभावना कितनी हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** मैसर्स हिन्द ट्रेडर्स, बम्बई को दिसम्बर, १९६० में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत 'लोशैफट' भट्टी में कच्चा लोहा बनाने का लाइसेन्स दिया गया था और उन्हें ९६,००० टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता स्वीकृत की गई थी। फर्म ने बताया हैं कि लगभग ८०० व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा।

मशीनी औजार उद्योग के लिए लाइसेंस

†४९२. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७ से गैर-सरकारी क्षेत्र में मशीनरी औजारों, छोटे औजारों, लोह-मिश्र धातुओं और इस्पात मिश्र धातुओं के विकास के लिये कुल कितने औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक श्रेणी में राज्यवार कितने लाइसेन्स अप्रयुक्त रहे ;

(ग) क्या सरकारी आधार पर अप्रयोग के कारणों का कोई पुनरीक्षण किया गया है ;

(घ) ये कारण क्या हैं ; और

(ङ) क्या अनिवार्य संयंत्र, मशीन और सामान के विदेशों से आयात की शर्तें इस अप्रयोग का मुख्य कारण हैं और ऐसा कितने मामलों में हुआ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(ग) और (घ). लाइसेंसधारियों की स्वीकृति योजनाओं की प्रगति की जांच की जाती है और जहां कहीं वे उनके लिये निर्धारित सभा में प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पाते, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। लाइसेंसधारियों से प्राप्त उत्तरों से पता लगेगा कि लाइसेंसों का प्रयोग न करने के कारणों में ये भी कारण हैं कि लाइसेंसधारी रूचि नहीं लेते, अपेक्षित पूंजी प्राप्त करने में असमर्थ हैं, विदेशों से उपयुक्त टेक्निकल तथा/या वित्तीय सहयोग प्राप्त नहीं कर सके और उक्त संसाधनों से पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का अभाव है।

(ङ) विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण मशीनी औजार बनाने के लिये सामान के निर्यात के लिये १० मामलों में लाइसेंस नहीं दिये गये।

पंजाब को दिया गया कच्चा लोहा

†४९३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२-६३ में अब तक पंजाब राज्य को कुल कितना कच्चा लोहा आवंटित किया गया है ; और

(ख) उपरोक्त काल में वस्तुतः कितनी मात्रा दी गई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) कच्चे लोहा की कोई कोटा प्रणाली नहीं है और कोई आवंटन नहीं किया जाता। पंजाब राज्य के औद्योगिक कारखानों से आये इन्डेंटों के लिये जो कि ५५,३९७ मीट्रिक टन के लिये थे, वर्ष १९६२ में (२३-१०-१९६२ तक) योजना बनाई गई है।

(ख) ३१,००१ मीट्रिक टन (अप्रैल से सितम्बर, १९६२ तक)।

भिलाई में कोक उत्पादन

†४९४ **श्री राम रतन गुप्त :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में कोक उत्पादन में हाल में कोई सुधार हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पिछले छः मास में भिलाई इस्पात संयंत्र में निम्न धातुकर्मक कोक का उत्पादन हुआ :—

	मासिक उत्पादन	औसत दैनिक उत्पादन
	मीट्रिक टन	मीट्रिक टन
मई, १९६२	९१,२७६	२,९४४
जून, १९६२	८९,१३३	२,९७१
जुलाई, १९६२	९३,५४१	३,०१७
अगस्त, १९६२ .	९३,९६८	३,०३१
सितम्बर, १९६२	९०,५३५	३,०१८
अक्तूबर, १९६२ . . .	९४,०९४	३,०३५

उड़ीसा और मध्य प्रदेश में नये इस्पात कारखाने

†४९५. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश में और अधिक इस्पात कारखानों की संभावनाओं के लिये कोई जांच पड़ताल हो रही है ; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षिय योजना में होने वाले इस्पात उत्पादन की नई योजनाओं के एक अंग के रूप में यह किया जाता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख). चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल की जाने के लिये इस्पात विकास योजनाओं को बनाने के लिये बनाया गया 'स्टीयरिंग ग्रुप' ने एक से अधिक राज्यों में कुछ क्षेत्रों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया । इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों का संभाव्य क्षेत्रों की दृष्टि से सर्वेक्षण करना था । इन प्रारम्भिक सर्वेक्षणों में उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र आ जायेंगे ।

इस्पात फीतों का निर्माण

†४९६. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात फीतों के निर्माण का कोई प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है या विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) इस्पात फीतों का निर्माण करने के लिये तीन उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं और एक अन्य फर्म द्वारा किया गया प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) लाइसेंस प्राप्त दो कारखानों का विदेशी सहयोग से स्थापित होने का विचार है । विचाराधीन प्रस्ताव में भी विदेशी सहयोग लिया जायेगा ।

त्रिपुरा में विद्युत् चालित करघा उद्योग

†४९७. **श्री बीरेनदत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में विद्युत् चालित करघा उद्योग आरम्भ करने के लिये कोई लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस कितने करघों के लिये दिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मल्य प्रदर्शन

†४९८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम रतन गुप्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मल्य प्रदर्शन की स्वेच्छा प्रणाली संबंधी व्यापार बोर्ड का निश्चय कब लागू होगा ; और

(ख) थोक और फुटकर व्यापारियों द्वारा निश्चय के लागू करने पर, सरकार निश्चय को लागू कराने में के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) मूल्य प्रदर्शन की स्वेच्छा प्रणाली संबंधी व्यापार बोर्ड का निश्चय निश्चित ढंग से १ जुलाई, १९६३ से लागू किया जायेगा ।

(ख) मूल्य प्रदर्शन की स्वेच्छा प्रणाली संबंधी निश्चय की कार्यान्विति अधिकतर व्यापार सम्प्रदाय स्वयं अनुशासन व स्वयं विनियमन की बात है । यह बात सरकारी कार्यवाही द्वारा औपचारिक नियंत्रण और प्रवर्तन की बात इतनी नहीं है ।

काठियावाड़ तट पर नमक का उत्पादन

४९९. **श्री तन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने चुनावों से कुछ पहले काठियावाड के समुद्र तट पर नमक के उत्पादन के लिये लगभग २१ लाइसेंस लोगों को दिये थे ;

---

†*मूल अंग्रेजी में*

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के लाइसेंस किसी भी प्राइवेट पार्टी को न देने का सरकार ने पूर्व निश्चय कर लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जनवरी, १९६२ में नमक विभाग द्वारा नमक तैयार करने के छः लाइसेंस दिये गये थे तथा २० अन्य मामलों में लाइसेंस देना मंजूर किया गया था। ये लाइसेंस विभिन्न आवेदकों को राज्य सराकार द्वारा पट्टे पर जमीन मिल जाने की शर्त पर दिये गये थे।

(ख) तथा (ग). जी, हां। सरकार ने नवम्बर, १९५८ में नीति के रुप में नमक समिति की इस सिफारिश पर ही यह निश्चय किया था कि जिन क्षेत्रों में नमक का उत्पादन ज़रुरत से अधिक होता है उसमें नमक बनाने के नये लाइसेंस (किन्हीं भी प्राइवेट पार्टियों या दूसरी एजेंसियों) को नहीं दिये जाने चाहियें जिनमें गुजरात भी शामिल है। ऐसा इसलिये किया गया था कि इन क्षेत्रों के नमक निर्माताओं को अपना माल बेचना कठिन हो गया था।

तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में नमक के बढ़े हुये उत्पादन लक्ष्य अर्थात् ६० लाख मीट्रिक टन को ध्यान में रखते हुये अक्तूबर, १९६१ में उपरोक्त निर्णय पर पुनः विचार किया गया। तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में २४ लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त उत्पादन को पूरा करने के लिये तब यह निश्चय किया गया था कि नमक बनाने के लाइसेंस देने का काम फिर शुरू कर देना चाहिये।

नारियल जटा की बनी वस्तुओं की भाड़ा दर

†५००. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नारियल जटा की बनी वस्तुओं की भाड़ा दर में कमी करने के बारे में 'कान्फ्रेन्स लाइन्स' के साथ बार्ता कर रही; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता का अन्तिम निश्चय होने में कितना समय लगेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमानं ।

(ख) अब तक 'कान्फ्रेन्स लाइन्स ' की प्रतिक्रिया को ध्यान में रख कर वार्ता के अन्तिम निश्चय की लक्ष्य तारीख बताना कठिन है।

कम्पनी अधिनियम

†५०१. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवेन बोस आयोग ने कम्पनी अधिनियम में परिवर्तन करने और उसके प्रशासन पर अपनी वे अन्तिम सिफारिशें दे दी हैं जिनसे निगमित क्षेत्र में भ्रष्टाचार समाप्त करने में सहायता मिलेगी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट ३१ अक्तूबर, १९६२ को दी थी। इस रिपोर्ट में निम्न बातों के बारे में सरकार से सिफारिश की है :—(१) आयोग के विचार में यह कार्य जो भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचारों को अपनाने में, जिनका पता आयोग को जांच करने में लगा, रोधक हो, करना चाहिय , और (२) धन लगाने वाली जनता के हित में कम्पनियों तथा फर्मों की निधियों तथा अस्तियों का भविष्य में उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिये वह कार्य जो आयोग की दृष्टि में आवश्यक है ।

केरल में रेशा कारखाना[1]

†५०२. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में रेशा कारखाना स्थापित करने के लिये कोई लाइसेन्स दिया है ;

(ख) यदि हां, तो लाइसेन्सधारी का नाम क्या है और स्वीकृत परियोजना का क्या ब्यौरा है ;

(ग) परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(घ) कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) मैसर्स फाइबर फोम इण्डस्ट्रीज़, कोडवापल्ली, केरल राज्य द्वारा रबड़ मिश्रित नारियल रेशा उत्पाद के निर्माण के लिये एन० एस० आई० सी० को १,९२,००० रु० के मूल्य की मशीन आयात करने का लाइसेन्स दिया गया है ।

(ग) वर्ष १९६४ में किसी समय ।

(घ) लगभग ४.२० लाख रु० ।

मद्रास में ईंटों का यंत्रीकृत भट्टा

†५०३. **श्री उमानाथ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में ईंटों का यंत्रीकृत भट्टा बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो अनियंत्रीकृत भट्टे की उत्पादन क्षमता की अपेक्षा उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(ग) क्या वह सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में और वह कहां स्थापित होगा ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने परियोजना की स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) क्या इसके लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और यदि हां, तो कितनी थी और क्या वह दे दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Fibre Factory

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (घ). हां, श्रीमान। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनयम, १९५१ के अन्तर्गत चार एककों को लाइसेन्स दिये गये हैं।

(ख) इन एककों की क्षमता १५० लाख ईंट प्रतिवर्ष से ३७५ लाख ईंट प्रति वर्ष होती होगी जब कि रुढ़िगत ढंग से अनयंत्रीकृत भट्टे से ५० लाख ईंटें प्रति वर्ष बनती हैं।

(ग) दो भट्टे सरकारी क्षेत्र में और दो गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे। चारों भट्टे मद्रास नगर के आस पास होंगे जहां ईंटों की अत्याधिक कमी है।

(ङ) एक एकक के लिये १३ लाख रु०के मूल्य की रुपया भुगतान क्षेत्र से संयंत्र तथा मशीन आयात करने का लाइसेन्स दिया गया है। अन्य तीन एककों के लिये कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है क्योंकि अभी विस्तृत प्रस्ताव नहीं आये हैं।

सूती कपड़ा उद्योग के लिए 'समापन निधि'

†**५०४. श्री उमा नाथ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कमीशन निधि बनाने के लिए सूती कपड़ा उद्योग के कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निश्चय है और निधि का क्या क्षेत्र है; और

(ग) यदि नहीं, तो निधि की स्थापना के खिलाफ सरकार के पास क्या कारण है ?

† **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) और (ग). यह डर था कि ऐसी निधि की स्थापना और प्रशासन से व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। अतः प्रस्ताव, स्वीकार नहीं किया गया।

सूती कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

†**५०५. श्री उमा नाथ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा मिलों के बन्द किये जाने के कारणों की निरन्तर जांच करने वाली श्री जी० डी० सोमानी, संसद् सदस्य, के सभापतित्व में काम करने वाली समिति की बैठक हुई है और उसने कार्य किया है ;

(ख) क्या अस्थायी कठिनाइयां दूर करने के लिए सीमान्त एककों को सहायता देने के लिए समयानुकूल कार्यवाही के बारे में कोई सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशें क्या हैं और उनपर सरकार का क्या निश्चय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) एक विवरण सलंग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

देश में कपड़ा मिलों के बन्द किये जाने के कारणों की निरन्तर जांच करने के लिये श्री जी० डी० सोमानी के सभापतित्व में बनाई गई समिति की अब तक ५ बैठकें हुई हैं। उसने दस सीमान्त/बन्द हो चुके मिलों के मामले पर विचार किया है और छः मामलों में प्रबन्धकों के साथ हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप अपनी सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ, उचित रखरखाव प्रोग्राम का आयोजन, पुनरारम्भ के लिये योजनाओं की तैयारी तथा कार्यान्विति, मशीन का स्थानापन्न और आधुनिकीकरण और मशीन के आयात के लिए लाइसेन्स देना शामिल है।

समिति ने एक मामले में आयात लाइसेन्स की सिफारिश की है। उसे छोड़कर अन्य मामलों में संबंधित मिलों द्वारा कार्यान्विति की जाने के लिए थीं। आयात लाइसेन्स देने के बारे में समिति की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

व्यापारिक फर्में

†५०६. **श्री हरीश चन्द्र माथुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रथम २५ व्यापारिक फर्म कौन कौन सी हैं ; और

(ख) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से प्रति वर्ष उनके व्यापार और आस्तियों में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) और (ख). देश में कुछ बड़ी व्यापारिक फर्मों के नाम तो बताये जा सकते हैं, परन्तु स्पष्ट रूप से यह कहना कठिन है कि देश में प्रथम २५ व्यापारिक फर्में कौन-कौन सी हैं। यह बताना भी कठिन होगा कि प्रति वर्ष उनके व्यापार और आस्तियों में कितनी वृद्धि हुई है क्यों कि इन फर्मों में से बहुतों की प्राइवेट कम्पनियां हैं और वर्ष १९५६ से पहले के इन कम्पनियों के सन्तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं हैं क्यों कि उस वर्ष से पहले उनको ये कम्पनियों के रजिस्ट्रार को देने जरूरी नहीं थे।

दिल्ली की फर्मों के लिये कारखानों के शेड

†५०७. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६१ में दिल्ली में ४० फर्मों को कारखानों के शेडों के लिए आवंटन पत्र इस आश्वासन के साथ जारी किये गये थे कि कारखाना शेड उन्हें कुछ हफ्तों में दे दिये जायेंगे ; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त साथों ने इसी आश्वासन के आधार पर मशीनों का आयात किया है और विदेशी सहयोग भी प्राप्त कर लिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) ओखला औद्योगिक बस्ती (द्वितीय प्रावस्था) में शेड के आवंटन के लिये ४० युनिट छांटे गये थे। उनमें से कुछ को

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Business Houses.

मई, १९६१ में अस्थायी तौर पर आवंटन पत्र दिये गये थे परन्तु कारखाने के पूरा करने की तिथि के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(ख) इसका सरकार को पता नहीं है।

अखबारी कागज की चोर बाजारी

†५०८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नम्बियार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज और/अथवा अखबारी कागज के लाइसेंस की कथित चोर-बाजारी के सम्बन्ध में कलकत्ता न्यूज़पेपर के विरुद्ध जांच पड़ताल किस स्थिति में है ; और

(ख) क्या इस जांच पड़ताल से सम्बद्ध सरकार के पदाधिकारी ने अपना पूरा प्रतिवेदन दे दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जांच पड़ताल पूरी हो गई है और पड़ताल अधिकारी के प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) जी, हां ।

निर्यात

†५०९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में हमारे निर्यात का यूनिट-मूल्य देशनांक क्या है ;

(ख) उसी अवधि में खाद्यान्न को छोड़ कर हमारे आयात का यूनिट मूल्य देशनांक क्या है; और

(ग) क्या (१) पिछले दस वर्षों में हमारे निर्यात के सम्बन्धित मूल्य में कमी (२) उसी अवधि में (खाद्यान्न को छोड़ कर) हमारे आयात के सम्बन्धित मूल्य में वृद्धि से भारत को हुई हानि का कोई हिसाब लगाया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ग) अभी तक इस कारण कोई हिसाब नहीं लगाया गया है क्योंकि इसमें विस्तृत और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है जिस में निर्यात और आयात के यूनिट मूल्य में, प्रकाशित आंकड़ों के बारे में बाद की शुद्धियों का आवश्यक समायोजन करके वृद्धि और कमी का वस्तुवार विश्लेषण शामिल है ।

उत्तर प्रदेश में चाय खेती

५१०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि कुछ वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों यथा देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमौली टिहरी व उत्तर-काशी

---

†मूल अंग्रेजी में

में चाय की खेती काफी बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन इस बीच यह बहुत घट गई है और घटती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) चाय बोर्ड के रिकार्डों के अनुसार उत्तर प्रदेश के देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और गढ़वाल के अलावा १९४९ तक और कहीं भी चाय बागान नहीं थे ।

उत्तर प्रदेश में चाय का उत्पादन जो १९५२ में ७८२,८०२ कि० ग्रा० था, वह १९६१ में बढ़कर ८६२,५५८ किग्रा० हो गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्व यूरोपीय देशों को व्यापार शिष्टमण्डल

†५११. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय व्यापार शिष्टमण्डल ने पूर्व योरोपीय देशों का दौरा किया है ;

(ख) इस शिष्टमण्डल में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं और इसने किन किन देशों का दौरा किया है ;

(ग) क्या इसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां । व्यापार शिष्टमण्डल ने अभी अपना दौरा समाप्त नहीं किया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०]**

(ग) और (घ). व्यापार शिष्टमण्डल द्वारा पूरे किये जाने वाले व्यापार करारों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जा रही हैं ।

नये उद्योगों को लाइसेंस देना

†५१२. **श्री राम रतन गुप्त :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये उद्योगों को लाइसेंस देने के लिये कोई प्राथमिकता निर्धारित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). उन उद्योगों को, जो प्रतिरक्षा प्रयत्न में सीधे तौर पर लगे हुए हैं, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने और पूंजीगत वस्तुओं को आयात के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य उद्योगों के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंन्स देने के बारे में नीति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है। शीघ्र ही सरकार उद्योगों की एक पुनरीक्षित विस्तृत सूची जारी करेगी जिसके बारे में आवेदन-पत्र स्वतः अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

प्रतिरक्षा के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से लगे उद्योगों, जिनको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी, की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के अतिरिक्त, पूंजीगत वस्तुओं को लाइसेंस देना हाल ही में घोषित २१ उद्योगों की प्राथमिकता सूची के आधार पर लाइसेंस दिया जायेगा।

औषधि उद्योग

†५१३. **श्री राम रतन गुप्त :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती रेनुका राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अधिक उत्पादन-लागत के कारण औषधिक उद्योग का राष्ट्रोयकरण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मुद्रण मशीनों का आयात

†५१४. **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कजरोलकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५ से १९६१ तक के वर्षों में प्रत्येक वर्ष सामान्य चलार्थ जनरल करेंसी क्षेत्र से कुल कितने मूल्य की मुद्रण मशीनों का आयात किया गया ; और

(ख) वर्ष १९५५ से १९६१ तक के वर्षों में प्रत्येक वर्ष रुपया लेखा क्षेत्र से कुल कितने मूल्य की मद्रण मशीनों का आयात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]**

राज्य व्यापार निगम

†०५१५. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५७

---

†मूल अंग्रेजी में

के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एक अन्य राज्य व्यापार निगम स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक अन्य राज्य व्यापार निगम स्थापित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

पाकिस्तान से सेंधा नमक का आयात

†५१६. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२ में पाकिस्तान से कितनी मात्रा में सेंधा नमक का आयात किया गया ;

(ख) आयातक द्वारा पाकिस्तान में रेल हैड पर अथवा भारतीय सीमान्त में रेल-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य क्या दिया गया ; और

(ग) आयातक द्वारा यह किस मूल्य पर कलकत्ता में थोक व्यापारियों अथवा खुदरा व्यापारियों को दिया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा रेल-पर्यन्त निःशुल्क वागाह पर प्रति मन ९९. रुपय की दर पर १,००,१०० मन (३,७४२ टन) सेंधा नमक का आयात किया गया

(ग) थोक व्यापारियों को रेल-पर्यन्त-निःशुल्क कलकत्ता में ४९.२२ रुपये प्रति क्विन्टल (लगभग १८.२७ रु० प्रतिमन)

युगोस्लाविया के साथ व्यापार

†५ १७. { **श्री विश्वनाथ राय** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतागे की कृपा करेंगे कि क्या दीर्घकालीन आर्थिक सहयोग के बारे में भारत और युगोस्लाविया के बीच कोई करार हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जी, हां। हांल ही में भारत और युगोस्लाविया के बीच ५ वर्षों के लिय एक व्यापार और भुगतान करार किया गया है जो १.१.१९६३ से लागू होगा।

चाय का निर्यात

†५१८. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **वाणिज्य उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली दो पंचवर्षीय अवधियों और तृतीय योजना के पहले दो वर्षों में (वर्ष-वार चाय के निर्यात से कुल कितनी आय हुई ;

(ख) चाय के निर्यात में धीरे धीरे कमी होते रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभई शाह)** : (क) निम्न तालिका से प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में और तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में चाय के निर्यात से कुल आय बतायी गयी है ;

प्रथम योजना काल (वित्तीय वर्ष)	**भारत से निर्यात की गयी चाय का मूल्य** (करोड़ रुपयों में)
१९५१–५२	९३.९४
१९५२–५३	९०.८८
१९५३–५४	१०२.०६
१९५४–५५	१४८.२५
१९५५–५६	१०९.६४
प्रथम योजना काल–कुल	५३४.७७
द्वितीय योजना काल	
१९५६–५७	१४५.१३
१९५७–५८	११३.६४
१९५८–५९	१२९.७०
१९५९–६०	१२९.५०
९६०–६१	१२३.५९
द्वितीय योजना काल–कुल	६४१.५६
तृतीय योजना काल	
१९६१–६२	१२२.४०

(ख) किसी कमी का कोई चिह्न नहीं है।

(ग) हाल ही में किये गये उपाय ये हैं :

(१) २४-४-१९६२ से चाय पर निर्यात शुल्क को ४४ नया पैसा प्रति किलोग्राम से घटा कर २५ नया पैसा प्रति किलोग्राम कर दिया गया है और उत्पादन-शुल्क में निर्यात को जाने वाली सभी प्रकार की चाय के लिये १५ नया पैसा प्रति किलोग्राम की छूट दी गयी है।

(२) कुल विदेशों में, जो भारतीय चाय के प्रमुख उपभोक्ता हैं, चाय संवर्द्धन आन्दोलन को गहन किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

(३) ब्रिटेन, अमरीका/कनाडा, संयुक्त अरब गणराज्य और आस्ट्रेलिया/न्यूजीलैण्ड में चाय संवर्द्धन पदाधिकारी रखे गये हैं।

(४) पुनरवापीकरण, मशीनों के बदलने और सफाई वगैराह के लिये ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की योजनायें लागू हैं जिससे अच्छी किस्म की चाय, जिसकी निर्यात के लिये अच्छी मांग है, का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

पटसन मिलें

†५१९. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर अन्य पटसन-उत्पादक राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में पटसन मिलें स्थापित करने की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि पटसन-उत्पादक क्षेत्रों में इन मिलों की स्थापना से पटसन उत्पादकों को उससे कुछ अधिक मूल्य मिल सकेगा जो उन्हें कलकत्ता की मंडी में मिल रहा है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर कोई विचार किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). सरकार को ऐसी मांगें मिलती रहती हैं। तथापि, अखिल-भारत आधार पर इस समय कोई अतिरिक्त पटसन मिल मंजूर करने का कोई मामला नहीं है। जब कभी सरकार वर्तमान क्षमता में अतिरिक्त क्षमता की संभावना देखेंगी, तो पटसन-उत्पादक क्षेत्रों के बढ़ावे पर उचित रूप से विचार किया जायेगा।

टीटागढ़ जूट मिल्स

†५२०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीटागढ़ जूट मिल्स, टीटागढ़ के बन्द होने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि इसे बन्द करने की अनुमति दे दी गयी तो कितने श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चय कैसे करेगी कि ये सभी श्रमिक बेरोजगार न हों ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) मिल के बन्द होने के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार से अथवा मिल से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कागज का कारखाना

५२१. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर स्थान पर आनन्द पेपर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा एक कागज का कारखाना खोलने के बारे में क्या प्रगति हुई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : इस कम्पनी ने भूमि प्राप्त करने और बिजली का प्रबन्ध करने के अतिरिक्त पर्याप्त प्रगति नहीं की है।

तम्बाकू का निर्यात मूल्य

†५२२. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न श्रेणी के तम्बाकू के लिये न्यूनतम निर्यात मूल्य के निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

कांगड़ा में सहकारी चाय कारखाना

†५२३. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा जिले में किस तिथि तक सहकारी आधार पर चाय कारखाना स्थापित हो जायेगा ;

(ख) क्या कांगड़ा जिसे के छोटे चाय उत्पादकों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण दस वर्षों तक ब्याज मुक्त होना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस समय यह कहना कठिन है कि कारखाना कब स्थापित होगा।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना

५२४. **डा० प० मण्डल** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी स्थान पर अखबारी कागज का कारखाना स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थान चुन लिया गया है ;

(ग) वह सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उसमें उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में ।

(घ) जैसा इस समय अनुमान लगाया गया है, लगभग ३–४ वर्ष ।

बन्दरों का निर्यात

†५२५. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बन्दरों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिबन्धों के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां । बन्दरों के निर्यात का 'मानवोचित' आधार पर नियंत्रण किया जाता है और यह केवल चिकित्सा अनुसंधान और/अथवा पक्षाघात के टीके बनाने के लिये किया जाता है । इनको विमान द्वारा ले जाने की अनुमति है ।

रबड़ की आवश्यकता

†५२६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रबड़ की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इसमें से कितनी आवश्यकता देशीय उत्पादन द्वारा पूरी की जाती है; और

(ग) क्या यह सच है कि अगले वर्ष मलाया से रबड़ के आयात में वृद्धि की प्रस्तावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) वर्ष १९६२–६३ के लिये सभी प्रकार के रबड़ की प्राक्कलित आवश्यकता ६८,००० मीटरिक टन है जिसमें से प्राकृतिक रबड़ की मांग ४४,७०० टन होगी ।

(ख) लगभग ३०,८०० मीटरिक टन ।

(ग) जी, नहीं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१

---

†मूल अंग्रेजी में

की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) इस्टीयरिक एसिड और ओलिक एसिड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२) ।

(ख) दिनांक १४ नवम्बर, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या २ (१) टी० आर०। ६२ (इसके हिन्दी रूपान्तर सहित) ।

(ग) दिनांक १४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या २(१) टी० आर०। ६२ (इसके हिन्दी रूपान्तर सहित) ।

(घ) इसके कारण बताने वाला एक विवरण कि उक्त उप-धारा के अन्तर्गत नियम अवधि के अन्दर ऊपर (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित दस्तावेज सभा-पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके ।

(२) मोजा-बनियान, बुनाई, तथा कढ़ाई उद्योगों सम्बन्धी कार्यकारी दल-के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३३३६ में प्रकाशित ऊनी वस्त्र (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ५२८/६२ से ५३३/६२]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान जी, मैंने राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न लिखित सन्देश की सूचना देनी है :

"राज्य सभा ने नियम ९७ के अन्तर्गत अपनी १४ नवम्बर, १९६२ की बैठक में भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक १९६२ को पारित कर दिया है ।"

भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

†**सचिव** : श्रीमान जी, मैं भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक, १९६२ को राज्य सभा द्वारा पास किय गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्य

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं १९ नवम्बर से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्न सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(१) आज की कोई मद जो आगे ले जाई गई हो ।

---

†**मूल अंग्रेजी** में

(२) निम्नलिखित पर विचार तथा उन्हें पास करना :—

(एक) विदेशियों सम्बन्धी विधि (लागू करना तथा संशोधन) विधेयक १९६२ ।

(दो) धातु के टोकन (संशोधन) १९६२ ।

(तीन) पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के प्रयोग के अधिकार का अर्जन), विधेयक १९६२ ।

(३) वर्ष १९६२–६३ के लिये अनदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान ।

(४) निम्नलिखित पर विचार तथा उन्हें पास करना —

(एक) भारत की प्रतिरक्षा विधेयक, १९६२

(दो) सीमा शुल्क विधेयक, १९६२, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

(तीन) पाण्डिचेरी (प्रशासन) विधेयक, १९६२

(चार) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६२

(पांच) भाण्डागार निगम विधेयक, १९६२

(छै) राज्य सहयोजित बैंक (विधि उपबन्ध) विधेयक, १९६२

(सात) दिल्ली मोटरगाड़ी करारोपण विधेयक, १९६२

(आठ) मनीपुर मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री पर करारोपण विधेयक, १९६२

(नौ) उपहार-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

(दस) कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९६२

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक, १९६२

(बारह) मंत्री महोदय ने यह भी घोषणा की कि इस कार्य के २३ नवम्बर, १९६२ तक समाप्त हो जाने की आशा है जब कि सम्भवत: सभा **अनिश्चित काल तक के लिये** स्थगित हो जायेगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आज हम आपातकालीन स्थिति से निकल रहे हैं । अगला संसद का सत्र कब होगा इस बारे में विचार किया जाना चाहिये । मेरा सुझाव तो यह है कि महीने में एक सप्ताह अथवा १० दिन के लिये सत्र होना चाहिये । परन्तु मैं इस बात को सदन के नेता और संसद् कार्य मंत्री पर छोड़ता हूं । मेरे विचार में आगामी सत्र जनवरी में होना चाहिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सदस्यों को युद्ध स्थिति की पूरी जानकारी देते रहना चाहिये । हमें यदि दैनिक नहीं तो साप्ताहिक बुलिटेन तो युद्ध स्थिति के बारे में जारी करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इस मामले को इस समय नहीं लिया जा सकता। समय आने पर श्री कामत के सुझावों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : संसदीय-कार्य मंत्री ने जो कार्य बताया है वह शीघ्रता से ही पूरा किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** समय का निर्णय करना कार्य मंत्रणा समिति का काम है।

†**श्री उ० मू० त्रिवदी** (मंदसौर) : माननीय मंत्री ने सदन कों बताये बिना ही घोषणा कर दी और अखबारों को बता दिया कि सदन २३ को स्थगित हो रहा है। उन्होंने सदन को क्यों नहीं बताया ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : माननीय सदस्य ने यह कैसे जान लिया कि मैंने यह सूचना अखबारों को दी। अखबारों में कई एक चीजें छपती हैं, क्या उन सब के लिये मैं उत्तरदायी हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसमें कोई औचित्य प्रश्न की बात नहीं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि वह स्थिति पर विचार कर आज यह सूचना देंगे और वह सूचना इस बारे में अधिकृत होगी कि सदन २३ तक बैठ रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : मुझे कुछ और स्पष्टीकरण चाहिये। क्या अभी कार्य मंत्रणा समिति ने इस मामले पर विचार करना है ?

उपहार-कर (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि उपहार-कर अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि उपहार-कर अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक, १९६२

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनता की सुरक्षा तथा हित भारत की प्रतिरक्षा और नागरिक प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करने तथा कुछ अपराधों पर मुकदमें चलाने के लिये विशेष उपायों तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय । औचित्य प्रश्न के हेतु । मैं यह पूछना चाहूंगा कि यदि भारत की प्रतिरक्षा (संशोधन) अध्यादेश (संख्या ६) को संसद् एक अलग विधेयक द्वारा पारित न करे, तो इसका क्या परिणाम होगा । मेरा निवेदन है कि यह अधिक अच्छा होता कि गृह-कार्य मंत्री दो अलग विधेयक प्रस्तुत करते, जिसमें दो अध्यादेशों के उपबन्ध अलग अलग दिये गये होते । दोनों विषयकों पर इकट्ठी चर्चा की जा सकती थी और उन्हें पारित किया जा सकता था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री कामत से सहमत नहीं हूं । उन की बात में कोई बल नहीं है । केवल एक चीज की आवश्यकता है, और वह यह कि प्रत्येक अध्यादेश को संसद् के समवेत होने से छः महीनों के अन्दर अन्दर संसद द्वारा पारित किये गये विधेयकों में परिवर्तित किया जाना होता है । इस विधेयक के पारित किये जाने के बाद दोनों अध्यादेशों के उपबन्ध इस में आ जायेंगे, इसलिये दोनों के स्थान पर एक एक विधेयक आ जायेगा । इस लिये कोई कठिनाई नहीं होगी । चूंकि यह विधेयक दोनों अध्यादेशों का स्थान लेगा, इस लिये इन के निरसन की व्यवस्था इस में है । इसलिये श्री कामत की आपत्ति में कोई बल नहीं है ।

प्रश्न यह है : –

"जनता की सुरक्षा तथा हित, भारत की प्रतिरक्षा और नागरिक प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करने तथा कुछ अपराधों पर मुकदमें चलाने के लिये विशेष उपायों तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यादेशों के बारे में वक्तव्य

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१ (१) द्वारा अपेक्षित भारत की प्रतिरक्षा अध्यादेश १–६–६२ (१९६२ का संख्या ४) और भारत की प्रतिरक्षा (संशोधन) अध्यादेश १९६२ (१९६२ का संख्या ६) द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक ।

†**श्री दाजी** (इन्दोर) : मैं आप के द्वारा गृह मंत्री से प्रार्थना करुंगा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेशों का एक समेकित वक्तव्य परिचालित किया जाये, ताकि हम अपनी स्थिति समझ सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा वक्तव्य परिचालित किया जाये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** बहुत अच्छा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिसीमन आयोग विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा की सीटों के राज्यों में आवंटन, प्रत्येक राज्य की विधान सभा की कुल सीटों, लोक-सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिये प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों में बांटने और तत्सम्बन्धी विषयों का पुनस्समायोजन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा की सीटों के राज्यों में आवंटन, प्रत्येक राज्य की विधान सभा की कुल सीटों, लोक-सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिये प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने और तत्सम्बन्धी विषयों का पुनस्समायोजन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक १९६२

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : श्री स्वर्ण सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं : श्री स्वर्ण सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम खंडों को लेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और बिधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि

" कि विधेयक को पारित किया जाए । "

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक

†**सिचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** हाफिज महम्मद इब्राहीम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य बताना चाहूंगा । बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ में राज्य बिजली बोर्डों के बनाने की व्यवस्था है । बम्बई की पहली सरकार ने उस राज्य के लिये १ फरवरी, १९५७ को एक ऐसा बार्ड बनाया था । तथापि राज्य सरकार ने कोयनाजल-विद्युत् परियोजना का काम, जो कि विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण से किया जा रहा है आरम्भ किया । इरादा यह था कि परियोजना समाप्त होने पर इसे बिजली बोर्ड को दे दिया जाये । अतः राज्य सरकार और विश्व बैंक के बीच किये गये करार में अन्य शर्तों के साथ यह भी शर्त थी कि जब परियोजना में व्यवस्थित सुविधायें क्रियान्वित हो जायेंगी तो बम्बई सरकार उनको बिजली बोर्ड अथवा परियोजना के संचालन के लिये निर्मित किये गये किसी भी अन्य समर्थ प्राधिकारी को हस्तांतरित कर देगी और इस बात के लिये समस्त आवश्यक कदम उठायेगी कि ऐसा हस्तांतरण उन शर्तों के अन्तर्गत किया जाये जो बम्बई सरकार को परियोजना के सम्बन्त में परियोजना करार के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद दें । करार में यह उपबन्ध भी था कि परियोजना पैदा की गई बिजली विक्रय के दर ऐसे स्तर पर नियत किये जायेंगे कि करों समेत संचालन व्यय को पूरा करने के बाद, लाभ की न्यायोचित गुंजाइश रखी जायेगी जिससे कि बोर्ड के विकास के कार्यक्रम को पूरा किया जा सके, दूसरे शब्दों में यह बचन दिया गया था कि बिजली के लिये ऐसी दर ली जायेगी जिस से न केवल ऋणों की अदायगी हो सके बल्कि भावी विकास के लिये रुपया भी मिल सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अलगेशन]

बिजली (संभरण) अधिनियम, १९४८ के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार, इस प्रकार के ऋणों के भुगतान बोर्ड के राजस्वों से नहीं किये जा सकते। इस लिये संभरण की दरों को निश्चित करने में ऐसी रकमों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अतः यह अनुभव किया गया कि अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत परियोजना के सीधे बोर्ड को हस्तान्तरण से बैंक के साथ हुये करार की शर्तें पूरी नहीं हो सकेंगी।

बम्बई के महान्यायवादी ने यह परामर्श दिया था कि यह कठिनाई करार में दी गई शर्तों के अनुसार परियोजना को बोर्ड के पास दे देने से दूर की जा सकती है। विधि मंत्रालय ने यह राय दी थी कि अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अधीन ऐसा नहीं किया जा सकता।

अतः इस विधेयक में बोर्ड को परियोजना ले लेने के समर्थ बनाने के लिये अधिनियम को संशोधित करने का निर्णय किया गया है। वर्तमान संशोधन तत्कालीन बम्बई सरकार तथा पुनर्निर्माण और विकास के लिये अन्तराष्ट्रीय बैंक के बीच हुये करार के पालन को संभव बनाने के लिये आवश्यक है।

विधेयक के पुरः स्थापन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हमें बताया कि वह परियोजना को बिजली बोर्ड को किस्तों में दे सकेगी। इस लिये विधेयक के उपबन्धों में थोड़ा सा परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया है। इस संशोधन पर भी सदन विचार करेगा।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री उ० मू० त्रिवदी** (मंदसौर) : सरकार यह बताने में असफल रही है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि करार में उपबन्धित वायदों को पूरा नहीं किया जा सकेगा। सभा को यह बताया जाना चाहिये कि क्या कोई गलती हो गई है और यदि हां, तो वह कैसे हुई है ?

भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम में किसी भी सम्पत्ति के सीधे अधिग्रहण किये जाने के लिये उपबन्ध मौजूद है। बिजली (संभरण) अधिनियम इस प्रकार की कार्यवाही करने में बाधक नहीं है। फिर इस में संशोधन करने की क्या आवश्यकता है ?

पिछले युद्ध में इस प्रकार की बहुत सी परियोजनाओं और बिजलीघरों का अधिग्रहण किया गया था। अब हमें उन का अधिग्रहण करने में क्या रूकावट है ? ऐसा करने के बाद उन्हें पट्टे पर देने का प्रबन्ध किया जा सकता है।

सरकार ने किन कारणों से यह सुझाव दिया है कि हम विश्व बैंक के साथ किये गये ऋण करार को पूरा नहीं कर सकते। ऋण लेते समय हम ने सब बातों पर विचार कर लिया था।

आपात काल में सरकार जो शक्तियां मांगे सदन उनको देने के लिए तैयार होता है फिर भी हमें घबराहट में कोई काम नहीं करना चाहिये, जैसा कि अब किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्या थी जब कि सरकार परियोजना को सीधा ही ले सकती थी।

†**श्री नम्बियार** (तिरुधिरापल्लि) : मंत्री द्वारा इस विधेयक के केवल पाठ और स्पष्टीकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इस में कुछ गड़बड़ है। यदि कोई चीज़ लाभ के रूप में दी जानी है जिस से महाराष्ट्र में बिजली का विस्तार होगा तो फिर इस विधेयक में दायित्व के उल्लेख का क्या मतलब है। क्या यह परियोजना घाटे पर चलेगी ? प्रारम्भ में कुछ घाटे की कोई बात नहीं किन्तु यह बात स्पष्ट होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवाजी राव श० देशमुख** (परमणी): मैं स्वीकार करता हूं कि कि मैं इस विधेयक का उद्देश्य समझने में असमर्थ रहा हूं। उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य के अनुसार तो कोयला परियोजना के कुछ खर्च बिजली की दर में शामिल किये जायेंगे । इस से तो उपभोक्ता पर और अधिक बोझ पड़ जायेगा। चाहिये तो यह था कि बिजली बोर्डों को इस योग्य बनाया जाता कि वे ब्याज का भुगतान करते। मद संशोधन उपभोक्ता के लिये हानिकर है। मंत्री महोदय को चाहिये कि वे विधेयक को वापस ले लें ।

महाराष्ट्र में कई निगमों को विद्युत् संभरण के लाइसेंस मिले हुए हैं। किन्तु बहुत से निगम बिजली के विस्तार की बात तो दूर रही इसका संभरण भी नहीं कर पा रहे। अतः विधि में ऐसा संशोधन करना चाहिये जिस से राज्य सरकार उन निगमों को अपने हाथ में ले सके।

मैं विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि पहले ही उपभोक्ताओं पर बहुत भार है।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय मेरी डिफ़िकल्टी यह है कि एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) अमेंडमेंट बिल, १९६२ के स्टेटमेंट औफ़ औबजैक्टस एंड रीज़न्स् में यह लिखा है :—

> "विद्युत् संभरण अधिनियम द्वारा एसे भुगतान के लिये बोर्ड के राजस्व से धन देनेकी अनुमति नहीं है अतः संभरण की दर निर्धारित करने में इस भुगतान को नहीं गिना जा सकता।"

इस का स्पष्ट अर्थ यह है कि एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट १९४८ के जो प्राविज़न्स् हैं उनको नलिफ़ाई करने के लिए यह अमेंडिंग बिल लाया गया है। मालूम होता है। इस का असर एलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स पर पड़ने वाला है। क्या माननीय मंत्री इस के द्वारा एलेक्ट्रिसीटी सप्लाई एक्ट १९४८ में जनरल कंज्यूमर्स के लिये २५ नये पैसे और एग्रीक्लचरिस्ट्स के लिए १० नये पैसे का जो रेट है उस दस नये पैसे के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं? इस अमैंडिंग बिल को देखने से तो यही मालूम पड़ता है कि एग्रीक्लचरिस्ट्स के लिए जो एलेक्ट्रिक इनर्जी का १० नये पैसे का रेट है उस रेट को नलिफाई करने के लिए और उन पर एक्सट्रा बर्डन डालने के वास्ते इस को लाया गया है। अगर ऐसा इस में उद्देश्य निहित तो जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा और मैं भी उन से सहमत हूं कि इस को वापिस ले लिया जाय क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अन्तर्गत जो रेट न बढ़ाने का प्राविजन है उस प्राविज़न को नलिफाई करने के लिए यह अमेंडिंग बिल लाया गया है। स्पष्ट रूप से यह एग्रीक्लचरिस्ट्स के ख़िलाफ़ जाता है । सरकार की जो यह नीति है कि एग्रीकलचरिस्ट्स को ज्यादा एनर्जी और सस्ती दर से मिले ताकि वह अधिक अन्न उपजा सकें, उस के विरुद्ध यह अमेंडिंग बिल जाता है क्योंकि अगर ऐसा इसका असर न पड़ता हो तो फिर इस प्राविज़न का क्या मतलब है। माननीय मंत्री जी इसे कृपया स्पष्ट करें ।

†**श्री इकबाल सिंह** (फीरोज़पुर): विश्व बैंक के साथ कतिपय करार के कारण यदि यह जो संशोधन आवश्यक है तो मुझे आपत्ति नहीं है किन्तु इसे गैर सरकारी निगमों पर लागू नहीं करना चाहिये और भविष्य में करार करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारा लक्ष्य यह है कि कृषकों को १० नये पैसे प्रति यूनिट बिजली का संभरण किया जाये।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि महाराष्ट्र सरकार को योजना आयोग ने बिजली विस्तार के लिए संसाधन नहीं दिये और उसे अन्त-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोनावने]

र्राष्ट्रीय पुननिर्माण तथा विकास बैंक से ऋण लेना पड़ा है। पर इस से उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ पड़ जायगा। कम से कम ग्रामों में कम कीमत पर बिजली देनी चाहिये ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : कोयला परियोजना से जिन लोगों को लाभान्वित होना है उनकी ओर से मैं उनकी चिंता का उल्लेख करना चाहता हूं। क्या अन्य किसी परियोजना के संबंध में ऐसे संशोधन का पूर्वोदाहरण है। सरकार कहती है कि कृषि को अधिक महत्व देना ही चाहिये किन्तु ऐसा किया नहीं जा रहा है। कृषकों को तो बिजली कम मूल्य पर देनी चाहिये। महाराष्ट्र में पहले ही दरें अत्यधिक हैं और इस विधेयक का कृषकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : ऐसी परियोजनाओं का उद्देश्य तो यह होता है कि मशीनों आदि के लिए दी जाने वाली बिजली की अपेक्षा कृषकों को कम मूल्य पर बिजली दी जाय। देश में परियोजनाओं के लिए ऋण तो लेना ही पड़ेगा किन्तु उसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहिये। जो पहले ही बहुत दरिद्र हैं। यह अतिरिक्त व्यय केन्द्र के योजना विभाग को देना चाहिये ।

इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये क्योंकि यह तो हमारे उद्देश्य को ही विफल बना देगा। गांव के लोग बहुत गरीब हैं और यदि बिजली पैदा करने की लागत बहुत अधिक भी हो तब भी सरकार को कम मूल्य पर बिजली का संभरण करना चाहिए। ताकि लोगों में बिजली का अधिकाधिक प्रचार हो ।

अन्त में निवेदन है कि इस चर्चा में दिये गये सुझावों पर सरकार अच्छी प्रकार विचार करे।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीज़न में लिखा हुआ है कि परियोजना के संचालन से जो आय होगी उस में संचालन संबंधी व्यय ब्याज ऋण आदि के भुगतान के बाद विद्युत् विस्तार के खर्च का भुगतान किया जायेगा ।

यह तो बोर्ड की बात हुई । आगे चल कर लिखा हुआ है :

> "कि परियोजना बोर्ड के हस्तांतरित करने पर सरकार का ऋण भुगतान का दायित्व भी बोर्ड को हस्तांतरित हो जायेगा ।"

मेरा कहना यह है कि जो इंटरनेशनल बैंक से लोन लिया गया है इसका जो इंटरेस्ट है वह या तो सैन्ट्ल गवर्नमेंट पे करे या फिर प्राविन्शल गवर्नमैन्ट पे करे। इस लोन को लेने का मकसद यही रहा होगा कि इस से बिजली पैदा की जायेगी वह किसान को या देश के दूसरे जो काम हैं, धंधे हैं, उन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आब्जैक्ट्स एंड रीज़ंज़ में यह नहीं लिखा हुआ है कि चूंकि बोर्ड के ऊपर यह भार पड़ेगा इसलिए इस एमेंडमेंट को लाने की जरूरत पड़ी है। इसके अन्दर यह भी नहीं लिखा हुआ है कि किसान को या विजिनेसमैन को भी कोई फायदा होने वाला है । इस से साफ़ जाहिर होता है कि इलैक्ट्रिसिटी का का जो रेट है वह रीज़नेबल या चीपर होने के बजाय बढ़ेगा और औटो मैटिकली किसान के ऊपर जा कर इसका भार पड़ेगा।

मेरी प्रार्थना है कि जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। इस अमेंडिंग बिल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा। यह जो लोन इंटरनेशनल बैंक से लिया गया है यह इन दी इंटिरेस्ट आफ दी कंट्री लिया गया है, किसान के फायदे के लिए लिया गया है और इसलिये यह उचित ही होगा कि चीप रेट पर किसान को बिजली मिले।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसका मकसद केवल यह ही है कि इलैक्ट्रिसिटी का रेट बाढ़ जाये। मैं उनकी इस राय से सहमत हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मिनिस्टर साहब क्लेरिफाई करने की कोशिश करें कि क्या इसका रेट पर भी कोई असर पड़ेगा?

श्री यशपाल सिंह (कैराना) अध्यक्ष महोदय, मैं तीन चार सुझाव आपके सामने रखने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं खुद भी एक ट्यूब वल का इस्तेमाल कर के थोड़ी सी काश्त करता हूं। मैं ने देखा कि किसान को १८ नये पैसे देने पड़ते हैं एक युनिट के। लेकिन उस के मुकाबले में बिड़ला साहब को फी यूनिट साढ़े तीन नए पैसे ही देने पड़ते हैं। मेरी गुजारिश है कि यह जो डिसपैरिटी है, इसको खत्म किया जाए और किसान के लिए सब से पहले पावर का इंतजाम किया जाए। जब आप एग्रिकलचर को फर्स्ट निसेसेटी कहते हैं। तो आपको टाप प्रायोरिटी भी देनी चाहिये। देश के किसी भी भू-भाग में, किसी भी कोने में ऐसा न हो कि किसान को बिजली के रेट्स दूसरे लोगों से हाई देने पड़ें।

दूसरी बात यह है कि रेलवे बोर्ड ने जो यह सिफारिश की है कि ट्रेनों को बिजली से चलाया जाये, इस को रोक दिया जाए। अगर हमारी ट्रेनें बिजली से चलेंगी जो हमारे वार के लिए चल रहे काम हैं, जिनको चलाने के लिए बिजली की जरूरत है, उन में रूकावट आयगी और देश को घाटा रहेगा क्योंकि उन की जरूरत की बिजली सारी ट्रनों के चलाने में चली जायगी।

मेरा तीसरा सजेशन यह है कि सिनेमाओं के काम में आने वाली जो बिजली है उस को बिल्कुल काट देना चाहिये। सिनेमा हर तरह से हमारे यहां के लोगों को चरित्र भ्रष्ट भी कर रहे हैं और उन में हमारी इतनी बिजली चली जाती है। मैं मानता हूं कि समाज में मनोरंजन की जगह होती है, लेकिन मुझे तो उस की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा मनोरंजन तो काम करने में ही हो जाता है। मैं तो इस को मानता हूं कि **वर्क इज वर्शिप**। फिर आज तो देश पर संकट काल आया हुआ भी है। इस लिये मैं चाहता हूं कि सिनेमा को दी जाने वाली बिल्कुल बिजली बन्द कर दी जाय।

चौथा सजेशन मेरा यह है कि हमारे काश्तकारों को डिप्टी कमिश्नरों के रहम व करम पर छोड़ रक्खा गया है। जब हम कभी १० या ५ हार्स पावर के लिये कनेक्शन लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट के यहां से नो आब्जक्शन सर्टिफिकेट, ले कर आओ। जो बिजली लेने वाले हैं वे सरकार को टैक्स देते हैं और ठीक से बिजली का मूल्य देते हैं। ऐसी हालत में जो बीच में ब्यूरोक्रसी है उस को खत्म कर देना चाहिये। सारे रेड टेपिज्म को खत्म कर के काश्तकारों को सीधे बिजली मिलनी चाहिये।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : यह परियोजना राज्य सरकार ने आरम्भ की थी और यह इसे बोर्ड को देना चाहती है तो ऋण आदि दायित्वों का भार उसे ही वहन करना चाहिये। इस विधेयक से दूसरे राज्यों के लिये भी उदाहरण पैदा हो जायेगा और वे भी उत्तरदायित्व से बचने की कोशिश किया करेगी। मैं संशोधन का विरोध करता हूं। यदि गैर सरकारी परियोजनाओं को भी बोर्ड अपने हाथ में ले ले तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो एलेक्ट्रिक सप्लाई (अमेंडमेंट) बिल आया है, उस के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में लिखा है कि वर्ल्ड बैंक ने जो कर्जा दिया दिया है उस को खर्च को वसूल करने के लिये जो कंज्यूमर्ल्स हैं उन को जो बिजली दी जायेगी उनसे ज्यादा पैसा लिया जायेगा। इस तरहका उस का सार है कि "बिजली (संभरण) अधिनियम,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलशीदास जाधव]

१९४८, बोर्ड के राजस्व से ऐसे भुगतान की अनुमति नहीं देता और इसलिए विद्युत् संभरण की दरों का निर्धारण करते समय ऐसे भुगतान की गणना नहीं की जा सकती ।"

इस के माने यह हैं कि अभी तक कोयना के बारे में जो परमिशन नहीं थी वह परमिशन अब दी जा रही है । मैं समझता हूं कि जब कोयना तैयार करने का काम चल रहा था तब महाराष्ट्र के अन्दर लोगों के अन्दर कुछ ऐसी आशा पैदा हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा और सस्ती से सस्ती बिजली उन को मिल जायेगी। लेकिन जिस रीति से बोर्ड को पावर्स दी जा रही है उस से वह दूसरी बिजली से महंगी हो सकती है । हम को इसका खयाल रखना चाहिये । जो बिजली हम लोगों को मिलती है उस के सम्बन्ध में जो खेडूत लोग रहते हैं या स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वाले लोग रहते हैं व पूछते हैं कि बिजली कितनी मिलती है और उसका रेट कितना है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि वहां के लोग बहुत गरीब हैं और अगर उन को सस्ती बिजली नहीं मिलती तो वे उस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । इस लिए सरकार से मेरा निवदन है कि जो बिजली दूसरी कम्पनियों, प्राइवट कम्पनियों या बोर्डस से दी जाती है उस से इस बिजली का दाम ज्यादा नही होना चाहिये । यह प्रिकाशन लेना बहुत जरूरी है ।

मैं ने देखा है कि म्यूनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायतों आदि के सम्बन्ध में बोर्ड से जो लिखा पढ़ी हुई है उस में ऐसा सुना जाता है कि जो लोग कम इस्तेमाल करते हैं उन को १५ न० पै० पर यूनिट के हिसाब से और जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन को १० न० पै० पर यूनिट के हिसाब से देना पड़ता है । इस एक्ट के अमेंड होने के पहले मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बोर्ड ने जो लिखा-पढ़ी की है या स्टेट गवर्नमेंट ने जो लिखापढ़ी की है है, उस के अनुसार सरकार का विचार बोर्ड को पावर देने का है । मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बिजली का जो रेट हो वह दूसरी जो बिजली मिलती है उस से ज्यादा नहीं होना चाहिये । कहीं केन्द्र सरकार के अन्दर यह विचार न आ जाय कि चूंकि कोयना के लिये उन ने इतना पैसा खर्च किया है इस लिये उस की बिजली का दाम ज्यादा रख दिया जाय । आज आखिर कौन से लोग हैं जिन पर प्रभाव पड़ता है ? आज महाराष्ट्र के लोग बहुत गरीब हैं, वे अपने धन्धे करना चाहते हैं, कोई स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को चलाना चाहते हैं, अगर उन के लिये मामूली बिजली के रेट से ज्यादा रेट इस बिजली का हो जाय तो यह उन लोगों के ऊपर बोझा होगा ।

इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है । मेरी तो यही विनती है कि जो थर्मल एलेक्ट्रिसिटी होती है उस से हाइड्रो एलेक्ट्रिसिटी का दाम ज्यादा नहीं होना चाहिये, बल्कि कम दाम होना चाहिये । सरकार को इस का प्रिकाशन तो लेना ही चाहिये ।

†**श्री अलगेशन** : श्रीमान यह विधेयक इतना साधारण है कि मैं ने तो कल्पना भी न की थी कि सदस्य इस पर इतना संदेह और आशंकाएं करेंगे । इसकी आवश्यकता विधि सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारण हुई है। जिस समय बम्बई की पुरानी सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय पुर्नर्माण तथा विकास बैंक के बीच करार हुआ था उस समय यह सोचा गया था कि कोई कठिनाई नहीं पैदा होगी और यह कठिनाई बाद में बिजली संभरण अधिनियम की व्याख्या करने पर पैदा हुई थी । करार में यह उपबन्ध था कि जब यह परियोजना आरम्भ की जाये इसे बिजली बोर्ड को सौंप दिया जाय । इस में यह भी उपबन्ध था कि दरें आदि किस प्रकार निश्चित की जायें और कैसे और विकास के लिए कुछ छोड़ा जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उसी समय यह सोचा गया था कि बम्बई महाराष्ट्र या सरकार इसे अपने बिजली बोर्ड को सौंप देंगी । बाद में भारत के महाधिवक्ता ने कानूनी राय यह दी कि ऐसा हस्तातंरण केवल पट्टे पर किया जा सकता है । अतः इस अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक समझा गया । इसके हस्तांतरण के लिए अधिनियम में विशेष उपबन्ध की आवश्यकता है । यह है इस विधेयक की पृष्ठ-भूमि ।

एक सदस्य ने कहा कि आज के आपातकाल में भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी चीज़ों को किया जा सकता है । यह आपात की बात नहीं है । यह तो देश में बिजली के सामान्य विकास की बात है । ऐसा करने के लिए १९५९ में करार किया गया था । । इस में धर्मार्थ दान का उपबन्ध है । पुनर्भुगतान २० वर्ष की अवधि में किश्तों द्वारा किया जायेगा और किश्तें १९६५ में आरम्भ होंगी और १९८४ में समाप्त होंगी । उस करार के उपबन्धों को लागू करने के लिए इस विधेयक को लाना पड़ा है ।

यह कहा गया है कि यदि योजना आयोग ऋण दे देता तो बम्बई सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण न मांगना पड़ता । वास्तव में भारत सरकार ने जून के अन्त तक महाराष्ट्र सरकार को ३२.५८ करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में दी थी । परियोजना कई वर्ष पहले आरम्भ की गई थी । पहला यूनिट ६० मेगावाट इस वर्ष में मई में आरम्भ किया गया था और चार मास बाद दूसरा ६० मेगावाट का यूनिट चालू किया गया । तीसरा यूनिट वित्तीय वर्ष के अन्त में चालू किया जायगा । चौथा यूनिट अगले वर्ष आरम्भ होगा । दूसरे दौर में ७५,७५ मेगावाट के चार यूनिट चालू किये जायेंगे । अतः यह योजना चालू योजना है ।

वहां काम करने वाले इंजीनियरों की मैं अभ्यर्थना करना चाहता हूं । उन्हें पहाड़ियों में विशेष प्रकार का निर्माण कार्य करना है और उन्होंने कार्य का दक्षतापूर्ण निष्पादन किया है । इस परियोजना से पूरी बिजली तैयार होने पर बहुत आराम हो जायेगा । और महाराष्ट्र राज्य में कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों को बिजली मिल जायेगी ।

बहुत से सदस्यों ने यह ठीक ही कहा है कि बिजली उत्पादन का उद्देश्य खाद्यान्न बढ़ाने के लिये कृषि और देश के उद्योग के लिये उद्योग क्षेत्र को सहायता देना है । इस परियोजना का निष्पादन इसी लिए हुआ है ।

यह शंका प्रकट की गई है कि इस संशोधन के कारण बिजली की दरें अत्यधिक बढ़ जायेंगी । बिजली संभरण अधिनियम, १९४८ की धारा ६७ में उपबंध है कि दायित्व पूरा करने के बाद जो बचेगा वह समान रूप से बिजली बोर्ड और राज्य सरकार को मिलेगा जो फिर बिजली के विस्तार हेतु लगाया जायेगा ।

बिजली के उत्पादन के इस विकास क्रम में यह नहीं सोचना चाहिये कि बिजली उत्पादन से लाभ न हो । तीसरी योजना में ५०० करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है जो सारा सरकारी उद्योग क्षेत्र के विकास सम्बन्धी काम के लिए देना है और बिजली उत्पादन उद्योग को भी अपना अंशदान करना चाहिये । वास्तव में इस बात पर आक्षेप नहीं होना चाहिय कि कोई इस प्रकार दरें निर्धारित करे कि कुछ राशि उद्योग विस्तार केलिए बच जाये ।

महाराष्ट्र के सदस्यों ने कहा था कि वहां के कृषकों को पहले ही अत्याधिक दरें देनी पड़ती हैं । उनका कथन था कि वे सर्वाधिक हैं । किन्तु कुछ अन्य राज्यों की दरें इस से भी अधिक हैं और

[श्री अलगेशन]

कुछ की कमं है। गांवों में बहुत कम बिजली खर्च होती है और इस के लिए प्रषण लाइनों पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम ने विभिन्न राज्यों से इस बारे में बहुत पत्र व्यवहार किया था कि वे कृषकों के हेतु दरों को कुछ कम करें किन्तु उन्होंने तर्क दिया कि वे उद्योग का विस्तार करना चाहते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में दरें कम करना संभव नहीं।

अभी बहुत से क्षेत्र बाकी हैं जहां बिजली पहुंचानी है। यदि दरें कम कर दी जायें तो यह समस्या हल नहीं की जा सकती। अतः दरें इस प्रकार निर्धारित करनी होंगी कि विस्तार के लिए कुछ अधिक आय हो सके। मैं यह आशंका दूर कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक के कारण दरें बढ़ जायेंगी और मुझे आशा है कि स्पष्टतः सदस्य इस से संतुष्ठ हो जायेंगे।

कानून संबंधी कठिनाई के कारण इस विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है।

†**श्री बड़े** : विधेयक के अनुसार बिजली की दर बिजली अधिनियम के व्यय और अन्य व्यय के अनुसार होगी। अतः मेरा प्रश्न है कि क्या आप बिजली अधिनियम के अनुसार सामान्य प्रभार के अतिरिक्त और कर लगायेंगे ?

†**श्री सोनावने** : क्या यह अधिनियम के उपबन्ध का संशोधन नहीं है।

†**श्री अलगेशन** : यह केवल कानून सम्बन्धी कठिनाई है। दो यूनिट चालू हो ही चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार इस को दो यूनिटों का व्यय सीधे बिजली बोर्ड को सौंप देना चाहती है। अन्य यूनिटों का विभाग निर्माण अभी किया जाना है। वाणिज्यिक रूप में संचालन के लिए तैयार होते ही उन्हें सौंप दिया जायगा। सरकार को कृषि तथा उद्योग क्षेत्र के लिए बिजली की दरें बढ़ाने का तो पहले भी अधिकार है। इस संशोधन का एसा कोई उद्देश्य नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बिजली (संभरण अधिनियम) १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड दो दिधेयक का अंग बने।"

†**श्री अलगेशन** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ १, पंक्ति ७ से १४ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"Power to acquire projects, etc. on lease.

20 A. Without prejudice to the generality of the power of the Board to acquire any property, the Board may acquire from the State Government on lease any project relating to the generation of electricity and all transmission lines and other works connected with such project or any part of such project, transmission lines or other works on such terms and conditions, including terms and conditions relating to the operation and maintenance thereof as may be agreed upon between the State Government and the Board."

परियोजना आदि को पट्टे पर अर्जित करने के अधिकार

२०—क. बिजली बोर्ड के, किसी सम्पति के अर्जित करने के सामान्य अधिकार के प्रति कूल न जाते हुए बिजली उत्पादन संबंधी किसी बोर्ड परियोजना, प्रेषण लाइनों और तत्संबंधी कार्यों और ऐसी परियोजना, प्रेषण लाइनों पर कार्यों के किसी अंश के

†मूल अंग्रेजी में।

उन के संचालन तथा संधारण सम्बन्धी ऐसी शर्तों पर जिन पर राज्य सरकार और बोर्ड सहमत हों, प्राप्त कर सकता है।]

मैं ने पहले भाषण में इस संशोधन की आवश्यकता के बारे में बताया था। अब इस विधेयक के पुरःस्थापित करने पर हम ने सोचा कि सारी परियोजना ही हस्तांतरित कर दी जायगी। महाराष्ट्र सरकार ने इच्छा प्रकट की है कि वे हिस्सों में भी हस्तांतरित करने के लिए तैयार है। दो यूनिटों को बोर्ड अभी लेकर चल सकता है। इस संशोधन का भी यही प्रयोजन है।

†**श्री बड़े** : यह बहुत स्पष्ट है। मोटर गाड़ी अधिनियम की तरह ही यहां भी कहा जा रहा है कि दरों में वृद्धि इस अधिनियम के कारण नहीं होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** इस बारे में राज्य सरकार बता सकती है।

प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ १, पंक्ति ७ से १४ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

Power to acquire projects, etc. on lease.

20 A. Without prejudice to the generality of the power of the Board to acquire ony property, the Board may acquire from the State Government on lease any project relating to the generation of electricity and all transmission lines and other works connected with such project or any part of such project, transmission lines or other works on such terms and conditions, including terms and conditions relating to the operation and maintenance thereof as may be agreed upon between the State Government and the Board."

[परियोजना आदि को पट्टे पर अर्जित करने के अधिकार

२०—क बिजली बोर्ड के, किसी सम्पत्ति के अर्जित करने के सामान्य अधिकार के प्रतिकूल न जाते हुए बोर्ड, बिजली उत्पादन संबंधी किसी परियोजना, प्रेषण लाइनों और तत्संबंधी कार्यों और ऐसी परियोजनाओं, प्रेषण लाइनों या कार्यों के किसी अंश के उन के संचालन तथा संधारण संबंधी ऐसी शर्तों पर जिन पर राज्य सरकार और बोर्ड सहमत है, प्राप्त कर सकता है।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री अलगेशन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समवाय (संशोधन) विधेयक

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० चा० रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

सभा को विदित ही है कि इस विधेयक को कुछ दिन पहले १३ तारीख को पेश किया गया था । यह विधेयक कुछ संशोधन सहित, इस मास की ३ तारीख को जारी किये गये अध्यादेश का स्थान ले लेगा । अध्यादेश का उद्देश्य था कि सरकारी और गैर-सरकारी समवायों के विदेशक बोर्डों को अधिकार दिया जाये कि वे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि या अन्य ऐसी निधियों में जिन्हें केन्द्रीय सरकार अनुमोदन दे, दान दे सकें, और उन पर समवाय अधिनियम की धारा २९३ (१) (ङ) और संस्थाओं के ज्ञापन या अनुच्छेदों का उन पर प्रतिबन्ध न हो ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

समवाय अधिनियम की इस धारा में यह उपबन्ध है कि सरकारी या गैर सरकारी समवाय के निदेशक बोर्ड सीधे समवाय से या इस के कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित धर्मार्थ या अन्य नियमों में २५,००० रुपये तक या पहले के तीन वर्ष के कुल लाभ के ५ प्रतिशत तक दान कर सकते हैं। यदि बोर्ड इस से अधिक दान देना चाहे तो उसे स्वयं सभा की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये। आम सभा की बैठक २१ दिन की पूर्व सूचना दे कर बुलाई जा सकती है । अतः इस में बहुत समय लग जाता था। जो गैर सरकारी समवाय, सरकारी समवायों, के सहायक नहीं हैं उन पर उपरोक्त प्रतिबन्ध नहीं लागू होते किन्तु कई संस्थाओं के ज्ञापन या अनुच्छेदों में ऐसे उपबन्ध हैं जिन के कारण वे दान नहीं दे सकते। हमारे देश पर चीनी आक्रमण होने पर उस के मुकाबले के लिए सभी संसाधनों को संगठित करने और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि को बढ़ाने की आवश्यकता है थी अतः यह सोचा गया जो समवाय दान देना चाहें उन पर कोई प्रतिबन्ध न रहे ।

वास्तव में कुछ समवायों की प्रार्थना पर ऐसा किया जा रहा है । प्रमुख समवायों के प्रबंधकों और महत्वपूर्ण वाणिज्य मंडलों से अभ्यावेदन दिया था कि धारा १९३(१)(ङ) में उपयुक्त संशोधन किया जायें । सरकार ने ध्यान पूर्वक विचार कर के यह संशोधन आवश्यक समझा चूंकि यह विषय अविलम्बनीय था और संशोधन करने में विलम्ब हो जाता अतः सरकार ने अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया था ।

नई धारा २९३ ख द्वारा निदेशक बोर्ड राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य निधि में दान दे सकेंगे । अंशदान करने वाले समवाय इस का उल्लेख लाभ हानि विवरण में कर सके इस के लिये भी उपबन्ध किया गया है ताकि हिस्सेदारों को इसका ज्ञान हो जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १ के उपखंड (२) से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावित नई धारा २९३ ख इस राष्ट्रीय आपात काल में ही लागू रहेगी ।

वर्तमान आपातकाल का मुकाबला करने और सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए लोगों ने जो असीम उत्साह दिखाया है उसे दृष्टिगत रखते हुए मुझे तनिक भी आशंका नहीं कि सभा विधेयक को तुरंत स्वीकार कर देगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मुझे आशा है कि इस कानून के पास हो जाने के बाद कंपनियों की ओर से राष्ट्रीय रक्षा कोष में काफी रकम अंश-दान के रूप में मिलेगी । बिल की प्रस्तावित नई धारा २९३–ख के अन्तर्गत किसी कंपनी का निदेशक मंडल राष्ट्रीय रक्षा कोष अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय रक्षा के लिये मंजूर किये गये किसी भी फंड के लिये जितना चाहे अंशदान दे सकेगा । चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति को देखते हुये हुये मैं ने यह सुझाव दिया था कि मिल मालिक अथवा विभिन्न कंपनियां अपने लाभ का ५० प्रतिशत रक्षा कोष में दे दें । सरकार इन कम्पनिमों के १९६१ और १९६२ के संतुलन पत्रों की जांच कर उन से अपील करे कि प्रधान मंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुये वे अपनी आय का ५० प्रति-शत रक्षा कोष में दें । कंपनियों की स्वेच्छा पर ही इस बात का छोड़ना उचित नहीं है । यह हर्ष का विषय है कि इस संकट काल में विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिये पूंजीपति स्वेच्छा पूर्वक सामने आ रहे हैं ।

नाम लेना तो उचित नहीं होगा किन्तु कुछ कंपनियों ने चुनाव कोष में लगभग २७ लाख रू० दिये थे । जब कि रक्षा कोष में उन्होंने केवल २५ लाख रू० ही दिये हैं । हमने मजदूरों से अपील की है कि वे अपनी एक दिन की आय रक्षा कोष में दें। उनकी पत्नियों, बहनों, और माताओं से अनुरोध किया है कि वे रक्षा कोष में कम से कन एक आभूषण अवश्य दान दें । यद्यपि सामान्य वर्ग के पास गहने नहीं हैं किन्तु मुझे याद है कि कानपुर जैसे स्थान में लोगों ने अपना सर्वस्व रक्षा कोष में दे दिया है । अतः मातृ भूमि की रक्षा के लिये कंपनियों को अपने लाभ का ५० प्रतिशत तो अवश्य देना ही चाहिये । इस संघर्ष में जीत होने पर उन्हें निकट भविष्य में कहीं अधिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे । मजदूरों का एक उदाहरण मैं आपको दूं —कानपुर के कपड़ा मिल मजदूरों ने दिवाली की छुट्टी के दिन काम कर अपनी मजूरी को संपूर्ण राशि अर्थात् ढाई लाख रु० रक्षा कोष में दिये । यह था प्रधान मंत्री के आह्वान का सुपरिणाम ।

मेरी एक प्रार्थना यह भी है कि कंपनियां अपने आयकर की बकाया राशि भी शीघ्र सरकार को दे दें । रक्षा कोष में आज तक ढ़ाई करोड़ रु० एकत्रित हुये हैं । यह राशि बढ़कर तीन करोड़ रू० हो जायेगी । किन्तु वित्त मंत्री ने हाल ही में सभा को बताया था कि आय कर की बकाया राशि १३१ करोड़ रू० है । अतः आयकर की बकाया १३१ करोड़ रू०, उपहार कर के ६ या ७ करोड़ रू० तथा सम्पत्ति आदि कर अन्य करों की इतनी ही राशि अविलम्ब दी जानी चाहिये । इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिये । उत्पादन बढ़ाना भी अनिवार्य है । अधिक उत्पादन का अर्थ है अधिक आय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो बनर्जी]

हम एक ओर तो देश के प्रत्येक स्त्री और पुरुष से अपील कर रहे हैं कि वे मातृभूमि की रक्षा के लिये अपने पुत्रों को प्रधान मंत्री के चरणों में उत्सर्ग कर दें, कंपनियों से तो केवल धन देने के लिये ही कहा जाता है । मंत्री महोदय को मालूम होगा कि केन्द्रीय उत्पादन कर कार्यालय, निपानी, बेलगाम के एक निर्धन सिपाही श्री चे० टी० घाटगे ने अपने एक पत्र में लिखा है कि प्रधान मंत्री की वर्ष गांठ—१४ नवम्बर १९६२—के पुनीत अवसर पर शत्रु से देश की रक्षा करने के लिये वह अपने दो पुत्रों की सेवायें अर्पित करने के इच्छुक हैं । और इन दो पुत्रों की आयु १४ और १२ वर्ष है । इसी आशय के पत्र नागपुर, बंगाल आदि अनेक स्थानों से प्राप्त हुये हैं । जब लोग अपने पुत्रों को भेंट कर रहे हैं तो मिल मालिकों को अपने लाभ का ५० प्रतिशत देने में क्यों आपत्ति है । मुझे विश्वास है कि वे निःसन्देह ऐसा करेंगे ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** (गोपालगंज) : मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । अब अधिक धनी लोगों के लिये यह बहाना नहीं रह जायेगा कि रक्षा कोष में अंशदान देने में कानून उन के लिये बाधा उपस्थित करता है । अब वे जो अंशदान देंगे वह उनकी अपनी सम्पति नहीं बल्कि शेयर होल्डरों की होगी और शेयर होल्डर चाहते हैं कि अधिक से अधिक रूपये रक्षा कोष में दिया जायें । हर साल लगभग ५० करोड़ रू० आयकर छुपाया जाता है और गत १५ वर्षों में ७०० से ८०० करोड़ रू० तक लाभ इन कंपनियों ने कमाया है जिस में से इस आपात काल में अंशदान देते समय उन्हें संकोच नहीं करना चाहिये । उन्हें अधिक से अधिक अंशदान देना चाहिये । यह कहना गलत है कि ५० प्रतिशत अधिक होगा । उन्हें इस से भी अधिक देना चाहिये ।

इस समय हर दल रक्षा कोष में धन इकट्ठा कर रहा रहा है । लोग इस काम के लिये अपने पुत्रों को देने के लिये भी तैयार है । मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा दल भी देश की रक्षा के लिये जो भी कुछ कर सकता है अवश्य करेगा । इस संबंध में मंत्री महोदय चाहे जो प्रतिशत नियत करें पर उन्हें देश में घूम घूम कर उद्योगपतियों से निवेदन करना चाहिये कि वे अधिक से अधिक अंशदान दें । जैसा कि अभी श्री बनर्जी ने बताया कि चुनावों में इन लोगों ने बड़े बड़े चन्दे दिये थे । पर ये मामला चुनाव से भी अधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें किसी तरह से पीछे नहीं रहना चाहिये ।

†**श्री उमानाथ** (पुद्द कोट्टई) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इसका कारण यह है कि इस समय कम्पनियों से रक्षा कोष में धन मांगा जा रहा है ।

अनेक उद्योगों में मजदूर छुट्टी के दिन और इतवार के दिन को काम कर के अपना वेतन रक्षा कोष में दे रहे हैं । मेरा निवेदन है कि उस दिन का लाभ उद्योगपतियों के बैंक खाते में न जा कर रक्षा कोष में आना चाहिये । अभी हाल में मद्रास राज्य में मजदूरों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के बीच यह चर्चा हुई कि सप्ताह में सात दिन काम हो । इस से उत्पादन तो बढ़ेगा ही और यह उत्पादन वस्त्र उद्योग में लगभग १६ प्रतिशत होगा जब तक आपात रहेगा तब तक यह लाभ होता रहेगा और इसे रक्षा कोष में दिया जाना चाहिये ।

अभी उस दिन हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि यह युद्ध शायद काफी अर्से तक चले । हमारे उद्योगों के मजदूर लगातार बलिदान कर ने के लिये तैयार हैं । बशर्ते कि उन्हें इस बात का भरोसा हो जाय कि उन के छुट्टी या रविवार के दिन काम करने का सारा लाभ रक्षा कोष में जायेगा । अगर बड़े बड़े सब उद्योगों में ऐसा हो तो रक्षा कोष में बहुत बड़ी रकम आ सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि उद्योगपतियों को इस में कोई आपत्ति नहीं होगी और अगर उन्हें कोई भी आपति होती है तो इसका मतलब होगा कि वे छुट्टी के दिन मजदूरों द्वारा किये गये बलिदान का भी शोषण करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होने दिया जायेगा। वे कभी इस मामले में आपत्ति नहीं करेंगे।

†**श्री श्याम नाथ सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। पहला कारण यह है कि इस में कम्पनी को २५,००० रुपये तक धर्मार्थ कार्यों में खर्च करन का उपबन्ध किया गया है। यदि इस राशि से मजदूरों का कल्याण होगा तो उत्पादन तो निश्चय ही बढ़ेगा। और आज इसी बात की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को समझा बुझा कर काम करना चाहते हैं। । यह अच्छा ही है। लोगों में आफी दिलचस्पी है और वे उसका परिमाण दे रहे हैं। बाद में अगर कोई उल्टे सीधे मामले हो तो आपात काल में सरकार को उन से ठीक काम कराने के लिये सरकार के पास काफी अधिकार है। २१ दिन का नोटिस दे कर बाद में निर्णय करना किसी भी कम्पनी के निदेशकों के लिये कठिन हो सकता है। अतः मैं इस के हटाये जाने का समर्थन करता हूं।

हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिस से सामाजिक अवस्थाओं में गड़बड़ी पैदा हो। इन सभी दृष्टिकोणों से मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, उसका मैं जन संघ पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन करता हूं। इस के साथ ही साथ मैं जो प्राविजन रक्खा गया है कि कोई भी कम्पनी हो और वह कितना भी कंट्रिब्यूशन दे सकती है, यह भी बहुत अच्छा है। मेरे मित्र श्री बनर्जी ने कहा कि इस में कम्पल्शन होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस में एक तरह से कम्पल्शन होना नहीं चाहिये। एक साहब कहते हैं कि परसुएशन होना चाहिये लेकिन अगर परसुएशन कामयाब न हो तो तो क्या हो? इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि परसुएशन जो हो वह कम्पल्शन की सीमा तक जाना चाहिये।

ऐसा जान पड़ता है कि जब तक मजबूरी न हो जाय कोई अपना कंट्रिब्यूशन नहीं देता है। हम ने देखा है कि जब कस्टम बिल आया तो बहुत से लोगों ने उस का विरोध किया। चैम्बर्स आफ कामर्स ने और दूसरी संस्थाओं ने अपने प्वाइंट को शासन के सामने रखा। लेकिन इस के बारे में मैंने अभी तक कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं देखा जिस में कहा गया हो कि यह कम्पनी इतना कंट्रिब्यूशन देगी। कोई ऐसा प्रस्ताव आज तक नहीं आया जिस में बताया गया होगा कि अमुख अमुक कम्पनी को अपने प्राफिट का ५० परसेन्ट गवर्नमेंट को देना होगा। ऐसा होना चाहिये था, जरूर, लेकिन मैं ने आज तक ऐसा कहीं पढ़ा नहीं।

मंत्री महोदय ने लोगों से सैक्रिफाइस करने की के लिये कहा है, उन्होंने किसी पर जबर्दस्ती नहीं की है। चूंकि वे लगों से अपील कर रहे हैं, इसलिये वे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मेरा कहना है कि कंट्रिब्यूशन सैटिस्फैक्टरी तरह से होना चाहिये। वह सत्याग्रह से ले सकती है। वह सत्याग्रह पर विश्वास भी करती है। अगर सत्याग्रह से नहीं तो आग्रह से धन ले सकती है। जैसे भी हो उस के पास पैसा आना चाहिये।

इस के साथ हम देखते हैं कि इस बिल में यह प्राविजन है :—

> "..... कम्पनी से संबंधित हो, जितनी राशि उचित समझे राष्ट्रीय रक्षा कोष में अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय रक्षा के लिये स्वीकृत किये गये किसी भी कोष में दे सकता है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

यह शब्द क्यों लिखे गये, इस का कुछ विश्लेषण माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है। जब इस बिल को लाने का उद्देश्य ही यह है कि नेशनल डिफेन्स फंड में रुपया दिया जाय, तब नेशनल डिफेन्स फंड के बाद यह क्यों लिखा गया :—

"..... कोई ऐसा कोष जो राष्ट्रीय रक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो।"

इस का मतलब क्या है ? क्या कोई और योजना शासन के मन में है ? जब यह चीज नेशनल डिफेन्स फंड के लिये की जा रही है तब फिर नेशनल दिफेन्स फंड के साथ इस दूसरी चीज को क्यों रख दिया गया है ? इस चीज का कोई खुलासा यहां नहीं दिया गया।

मेरा यह कहना है कि इस में जो प्राविजन दिया गया है वह अच्छा है। मैं अपील करता हूं इस हाउस की मार्फत कि कम्पनियों को जो मुनाफा होता है उस में से ५० परसेन्ट देने के लिये उन पर कम्पल्शन होना चाहिये। बल्कि यहां पर तो यह कर देना चाहिये कि उन का जो प्राफिट कुल हो वह इस समय देश के काम के लिये दें। ऐसा परसुएशन होना जरूरी है। अगर ऐसा कर दिया जाय तो फिर यहां जो कम्यूनिस्टों से कम्पलशन की बात कही जाती है वह भी नहीं उठेगी।

†**श्री सुब्बरामन** (मदूरै) : मैं इस संशोधन के लिये सरकार को बधाई देता हूं। बहुत से वाणिज्य मण्डलों ने स्वयं सरकार से इसकी मांग की थी। इस से स्पष्ट है कि वे अंशदान देने के लिये आतुर हैं।

कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि कम्पनियां ५० प्रतिशत लाभ रक्षा कोष में दें। इस के लिये किसी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। वह संशोधन तो इस लिये किया गया है कि उसके अंशदान पर कोई प्रतिबन्ध न रहे।

यह स्वेच्छापूर्वक है। किसी को कुछ देने के लिये विवश नहीं किया जाता है। सरकार चाहे तो करों में वृद्धि कर सकती है। मजदूर एक दिन का वेतन अथवा आय देने के लिये तैयार हैं। वाणिज्य परिषदें और औद्यागिक भी लाखों रुपये दे रहे हैं।

†**श्री नरेन्द्रसिंह महीडा** (आनन्द) : सामान्यतया निर्धन व्यक्ति ही राष्ट्र के लिये सर्वोत्कृष्ट सेवा अर्पित करने के लिये प्रस्तुत रहते हैं। सम्पूर्ण जगत में ही यह हो रहा है। सरकार धनी व्यक्तियों से भी आग्रह करे। वे भी उदारतापूर्वक धन देंगे। यदि राष्ट्रीय उत्साह की सर्जना की जाये तो राष्ट्रीय रक्षा कोष में अधिक रकम प्राप्त होगी। मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उसी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। आर्डिनेंस पास होने के दिन से देश के हर वर्ग के लोगों के डोनेशन्स आ रहे हैं, इसी तरह से कम्पनियों के भी आने चाहियें थे। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, कम्पनियों के प्राफिट एंड लास एकाउन्ट और बैलेंस शीट देखने चाहियें। मेरी प्रार्थना है कि वे एक साल के नहीं बल्कि पिछले कई सालों के देखने चाहियें। एक सजेशन दिया गया है कि वे अपना खर्चा निकालने के बाद अपने प्राफिट का ५० परसेंट दें। मैं कहता हूं कि देश की रक्षा के लिये वे जितना दें उतना ही अच्छा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकमटैक्स के डर से कम्पनियां अपना प्राफिट एण्ड लास एकाउंट गलत दिखाती है। इसकी भी जांच करनी चाहिये और जितना भी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स उनके जिम्मे निकलता हो उसको वसूल किया जाना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खास कर उत्तर प्रदेश में शुगरकेन फैक्टरियों के पास अभी तक किसानों का बहुत सा बोनस का रुपया पड़ा है जो उन्होंने किसानों को नहीं दिया है। उनसे वह बोनस का रुपया नेशनल डिफेंस फंड में लिया जाए। इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मंत्री (भीर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन लाया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं, किन्तु जिस उद्देश्य से यह संशोधन आया है मैं नहीं समझता कि वह इस प्रकार पूरा हो सकेगा। हमारे नेताओं ने जनता से सरकार को तन मन और धन से सहायता देने की अपील की है, उस पर हम ने देखा कि मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के लोगों ने इस गम्भीर परिस्थित में गवर्नमेंट को अपना सब कुछ और अपनी सेवाएं दीं, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने उस तरह का त्याग नहीं दिखाया। यह जो संशोधन आया है यह उनके लिये दरवाजा खोलता है। हमें देखना है कि यह दरवाजा खोलने के बाद भी ये कम्पनियां आगे आती हैं या नहीं। पर मेरा सजेशन है कि इस संशोधन से भी कुछ अधिक गवर्नमेंट को करना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यह लड़ाई लम्बी चलने वली है, इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को इन कम्पनियों के लाभ में सदा के लिये, जब तक यह स्थिति रहती है, कुछ परसेंटेज लेने की व्यवस्था करनी चाहिये। मेरा ख्याल है कि केवल इस संशोधन से सरकार का मतलब पूरा नहीं हो सकेगा। जब गरीब लोगों ने अपनी आमदनी का ४० और ५० पर सेंट दिया है तो यदि कम्पनियां अपनी आमदनी का ५० पर सेंट दें तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी।

अगर इस वक्त मालदार लोग सामने नहीं आएंगे तो मुझे भय है कि कहीं मजदूर और किसान वर्ग में हिंसक वृत्ति न पैदा हो जाए और सब को इस समय मिल जल कर काम करना चाहिये इस लिहाज से भी बड़े लोगों का आगे आना उचित है।

इतना कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं उत्तर देने में अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि सदन के सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया है। यह न तो राजकोषीय व्यवस्था है और न धन विधेयक ही है। यदि यह बात ध्यान में रखी जाती तो कई अनेक बातें न कहनी पड़तीं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कम्पनियां स्वेच्छापूर्वक दान दे सकती हैं। यह इस दिशा में सुविधा प्रदान करने के लिये है।

इस राष्ट्रीय संकट में समृद्ध कम्पनियों को अधिक दान देना चाहिये। इस स्थिति में राष्ट्रीय प्रयत्नों के बारे में अनेक बातें कही जा सकती हैं। मैं इन बातों का विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं और न यह इसके लिये उपयुक्त समय है।

इस विषय में काफी कहा गया है कि ऐसा उपबन्ध बनाया जाय जिसके अन्तर्गत कम्पमियों को अपनी आमदनी का पचास प्रतिशत भाग का अंशदान देने के लिये बाध्य किया जा सके

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री क० च०रेड्डी]

तथा आयकर और बिक्रीकर की बकाया राशि एकत्र की जाये। कोई व्यक्ति इन सुझावों से असहमत नहीं है। सरकार उन सब प्रशासनिक कार्यों को करेगी। व्यापारियों को आयकर और बिक्रीकर की बकाया राशि देना चाहिये। शीघ्र इन्हें देने के लिये कदम उठाये जायेंगे। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि सभी श्रेणी के व्यक्ति उदारतापूर्वक दान दे रहेहैं। यह रकम अब तक लगभग तीन करोड़ रुपये हुई है। एक या दो हवाई जहाज खरीदने से कुछ नहीं होगा। युद्ध जीतने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था होनी चाहिये। अभी वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष के लिये ७० से ८० करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं। अगले बजट में इस आक्रमण का सामना करने के लिये नवीन प्रस्ताव भी रखे जायेंगे। यह वृहद समस्या है। जनता द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिया गया धन पर्याप्त सिद्ध नहीं होगा। यह तो केवल लोगों में प्रोत्साहन उत्पन्न करने की बात है। उस दिशा में यह उपयोगी है। अधिक रकम की आवश्यकता पूर्ति के लिये अनेक सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। मेरा बिल में संशोधन करने का केवल यही उद्देश्य नहीं। वह तो उचित समय पर उचित ढंग से किया जायेगा।

मुझे खुशी है कि मजदूर उत्पादन में वृद्धि कर राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ा रहे हैं। अधिक उत्पादन का अर्थ है अधिक आय। मुझे विश्वास है कि मजदूर छुट्टियों के दिन काम कर उत्पादन बढ़ाने के लिये जब प्रस्तुत होते हैं तो मिलमालिकों को यह मंशा नहीं रखना चाहिये कि इस प्रकार अर्जित अधिक लाभ वे स्वयं ही हड़प जायें। उन्हें उदारतापूर्वक यह रकम राष्ट्र को लौटा देनी चाहिये।

यह कहा गया है कि कुछ कम्पनियों ने चुनाव में दी गई रकम से कम रकम रक्षा कोष में दी है। चुनाव तो पांच वर्ष में आते हैं जब कि राष्ट्रीय संकट हर वर्ष, हर महीने और हर अवधि में उत्पन्न हो सकता है। अतः उन्होंने रक्षा कोष में जो अंशदान दिया है वह अन्तिम नहीं है। हमें इसकी अधिक आलोचना नहीं करनी चाहिये। हर व्यक्ति भरसक त्याग कर रहा है। एक वर्ग को दूसरे वर्ग की आलोचना नहीं करनी चाहिये। समृद्ध वर्ग समय की मांग पूरा कर रहा है। सम्पूर्ण राष्ट्र उत्सर्ग कर रहा है। अतः हमें यह आशा रखनी चाहिये कि वर्तमान में जो कुछ हो रहा है भविष्य में उससे कहीं अधिक किया जायेगा। इस आशय की अपील की गई है कि मैं सम्पूर्ण भारत में दौरा कर कम्पनियों से अपील करूं कि वे राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान करें। मैं ऐसा करुंगा। हम ऐसी प्रत्येक कार्यवाही करेंगे जिससे कम्पनियां रक्षा कोष के लिये अधिकतम राशि दें। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों से भी यही अपील करता हूं कि वे देश में सब स्थानों पर जाकर धनी और निर्धन सब से राष्ट्रीय रक्षा कोष में धन देने की अपील करें। मेरा विश्वास है कि यह बिल सर्वसम्मत एवं हर्षपूर्वक पारित होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३ विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

दसवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो १५ नवम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखी गई थी, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो १५ नवम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखी गई थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

(धारा ४ और ६ का संशोधन)

†**श्री श्यामलाल शर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सिनेमा की फिल्मों की लम्बाई (अधिकतम) विधेयक

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में बनाई जाने वाली सिनेमा की फिल्मों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि देश में बनाये जाने वाली सिनेमा की फिल्मों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

पुस्तकों और समाचारपत्रों (सार्वजनिक पुस्तकालय) का दिया जाना संशोधन विधेयक

(धारा २ का संशोधन)

†**श्री च० क० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुस्तकों और समाचार-पत्रों (सार्वजनिक पुस्तकालय) को दिया जाना अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि पुस्तकों और समाचार-पत्रों (सार्वजनिक पुस्तकालय) का दिया जाना अधिनियम १९५४ में अग्रेत्तर (संशोधन) करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री च० क० भटटाचार्य**: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

(अनुच्छेद २२६ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब विचारार्थ विधेयक लिये जायेंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा का संविधान (संशोधन) विधेयक ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : महोदय, चीनी आक्रमण और देश में संकट स्थिति देखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"श्री दी० चं० शर्मा द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने के लिये नियत अगले दिन तक के लिये स्थगित कर दिया जाये ।"

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : इसे अगले अधिवेशन तक स्थगित कर दिया जाये ।

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र)** : चूंकि सरकार ने अनुच्छेद २२६ के संशोधनार्थ प्रस्ताव पेश करने का निर्णय कर लिया है यह अगले सप्ताह प्रस्तुत किया जायेगा ; मैं निश्चित नहीं कह सकता हूं। वस्तुतः प्रस्तावित संशोधन श्री शर्मा के संशोधन से कहीं अधिक व्यापक है। कुछ समय पहले विधि मंत्री द्वारा दिये गये संशोधन के अनुरूप ही मैं यह निवेदन कर रहा हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह अगले अधिवेशन तक स्थगित किया जाता है ।

बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : इस का उत्तर देने के लिए श्रम मंत्री तो यहां उपस्थित नहीं हैं।

†**श्री राने** (बुलडाना) : विधि मंत्री तो उपस्थित हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार का कोई प्रतिनिधि तो है । हम चर्चा प्रारम्भ करेंगे ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में बीड़ी और सिगार बनाने वाले कारखानों में रोजगार और काम का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

भारत में बीड़ी और सिगार उद्योग सब से अधिक दुर्धर्ष है । कम मजूरी, रोजगार की असुरक्षा, आंशिक रोजगार, बच्चों को रोजगार, तपेदिक रोग की अधिकता, सुरक्षात्मक श्रम, विधान की कमी आदि अनेक कारण हैं जिनको ध्यान में रखते हुए उक्त उद्योगों को विनियमित करने की आवश्यकता है। रेगे श्रम परामर्शदाता समिति ने भी इस प्रकार के विधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। कुछ राज्यों ने इस दिशा में कानून बनाये हैं किन्तु अनेक राज्यों में कानून न बनने से मालिक अपने कारखाने उन स्थानों में स्थानान्तरित कर रहे हैं जहां कानून नहीं बने हैं। अखिल भारत कानून बन जाने से इन बुराइयों को रोकने में सहायता मिलेगी ।

इस विधेयक में उपबन्ध है कि कोई भी कारखाना स्वामी बीड़ी या सिगार के निर्माण से संबंधित किसी बाहर के काम के लिए किसी महिला को भी नहीं रखेगा । छंटनी किये गये या निकाले गये श्रमिकों के लिए भी कुछ उपबन्ध किया गया है ।

यह विधेयक काफी हद तक उस विधेयक के समान है जो मैंने १९५७ में पुरःस्थापित किया था। १९४५ में रेगा समिति नियुक्त की गई थी जिस ने बीड़ी और सिगार कर्मचारियों के प्रश्न पर विचार किया । उस प्रतिवेदन में यह कहा गया कि यह उद्योग भारत के सभी उद्योगों से खराब है। इस उद्योग में कम मजूरी, नौकरी की सुरक्षा का न होना, बच्चों को नौकर रखना, क्षय रोग का

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री अ० क० गोपालन]

अधिक होना, श्रम विधान का न होना, खराब बातें हैं। अब भी इस उद्योग की अवस्था अच्छी नहीं हुई है। इस उद्योग में लगभग २० लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं।

जब १९५७ में मैं ने पहली बार इस विधेयक को पुर:स्थापित किया, तो श्रम उपमंत्री ने कहा था कि कई श्रम विधान हैं जैसा कि कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजूरी अधिनियम इत्यादि। अत: उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय श्रम विधान की आवश्यकता नहीं है।

बाद में कई न्यायाधिकरण बनाए गए। इन सभी न्यायाधिकरणों में कहा गया कि इस उद्योग में कर्मचारी हैं वे इन अधिनियमों की कर्मचारी की परिभाषा में नहीं आते हैं। अत: वे इन अधिनियमों का लाभ नहीं उठा सकता।

जब तक कोई अखिल भारतीय विधान नहीं होगा तब तक इन में से कोई अधिनियम उन पर लागू नहीं होगा। सरकार को इस संबंध में शीघ्र कार्यवाई करनी चाहिए ताकि इस उद्योग के कर्मचारी अन्य उद्योगों के कर्मचारियों की तरह लाभ उठा सकें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि भारत में बीड़ी और सिगार बनाने वाले कारखानों में रोजगार और काम का विनियमन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस के लिये एक घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : १ १/२ घण्टे का समय दिया गया है।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** (आनन्द) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

बीड़ी और सिगार उद्योग के श्रमिकों की स्थिति बड़ी भयंकर है।

यह बड़ा अच्छा उपबन्ध किया गया है कि इस उद्योग में किसी महिला को बाहरी काम के लिये न लगाया जाय।

चिकित्सा सुविधा का भी उपबन्ध होना चाहिए और बच्चों को काम पर न लगाने का भी उपबन्ध होना चाहिए था।

मैं पूरी तरह से विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस की ओर ध्यान दें।

श्री बड़े : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल श्री गोपालन साहब ने यहां पेश किया है इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। पन्द्रह साल हुमें स्वाधीन हुए हो गए हैं लेकिन अभी तक इस तरह का कोई बिल सरकार की तरफ से क्यों नहीं लाया गया है, मेरी समझ में नहीं आता है। लोगों में यह धारणा है कि इस तरह का बिल इस वास्ते नहीं लाया गया है कि मध्य प्रदेश में जो बीड़ी के कारखानेदार हैं, वे सब के सब रूलिंग पार्टी से सम्बन्धित हैं और इस लिये इस तरह का विधेयक शासन लाना नहीं चाहता है। यह रांग इम्प्रैशन है या राइट, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इस इम्प्रेशन को ठीक किया जाना चाहिये।

जो बीड़ी के कारखानेदार हैं, वे दो तरह से पैसा कमाते हैं। एक तो मजदूरों का पेट काटकर कमाते हैं और दूसरे ज्यादा प्राफिट कर के कमाते हैं। मैं जिस निर्वाचन-क्षेत्र से आया हूं वहां पर मैंने

†मूल अंग्रेजी में

देखा है कि एक बीढ़ी वालों की यूनियन है । जो काम करने वाले मजदूर हैं उन को मुश्किल से सुबह से शाम तक काम करने के बावजूद भी एक रुपया बारह आने या एक रुपया तेरह आने ही मिलते हैं। वहां पर भी जैसा गोपालन जी ने कहा है तीन तरह का कांट्रेक्ट रहता है । वहां पर छोटे छोटे बच्चों से भी काम लिया जाता है । बच्चों से काम लेने के बारे में कोई लैजिस्लेशन नहीं बना है। कोई इंस्पैक्टर वहां पर जा कर इस चीज़ को देखता नहीं है और अगर जा कर देखता भी है तो कोई कानून नहीं है जिस के अधीन उस कारखानेदार को सज़ा दी जा सके।

मैं यह भी चाहता था कि इस बिल के प्रस्तुत कर्ता इस में इस का भी प्राविज़न रखते कि उनको मिनिमम वेजिज़ मिल पाती। इस वक्त इस में कोई इस तरह का प्राविज़न नहीं रखा गया है । मिनिमम वेजिज़ के बारे में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऐक्ट हैं। अगर मिनिमम वेजिज़ के बारे में भी कोई इस में प्राविजन किया जाता तो मजदूरों के हित की दृष्टि से अच्छा रहता। हमें चाहिये कि हम उनको मिनिमम वेज़िज दिलाने का प्रबन्ध करें ।

जो कांट्रेक्ट बेसिस पर काम होता है, वह कांट्रेक्ट बेसिस पर नहीं होना चाहिये। जो गरीब किसान हैं, काश्तकार हैं वे चार छः महीने तो काश्ताकारी का काम करते हैं, और बाकी समय में बीड़ी बनाने का धंधा घर में करते हैं। कारखानेदार से वे बीड़ी का तम्बाकू ले आते हैं, टेंडू के पत्ते ले आते हैं, बीड़ी बनाने के पत्ते ले आते हैं और बीड़ी बना कर दूसरे रोज़ जा कर उसको दे आते हैं और हिसाब कर के पैसे ले आते हैं । वहां पर जो रद्दी बीड़ियां निकलती हैं उनको अलग कर दिया जाता है । वे उनको वापिस नहीं मिलती हैं, बल्कि वे सेठ जी की हो जाती हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि जो प्राफिटियरिंग वह करता है , उस पर किसी प्रकार का बंधन अवश्य लगना चाहिये ।

शासन को चाहिये था कि वह स्वमयं इस प्रकार का बिल यहां लाता । लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया है । लेकिन अब भी समय है कि इस को कुछ संशोधनों के साथ जो कि मैंने आप के सामने रखे हैं या अन्य माननीय सदस्यों ने रखे हैं, इसको स्वीकार कर लिया जाए। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसं को भी स्वीकार नहीं कर सकते तो क्यों नहीं आप अपनी ओर से कोई विधेयक यहां प्रस्तुत करते ?

लेड़ीज़ को रखने के बारे में भी यहां पर एक प्राविज़न रखा गया है । महिदा साहब ने भी इसका ज़िक्र किया है । इस में कहा गया है :

> "जहां बहुत सी स्त्रियां काम पर लगाई जाती हैं ; उन के लिये अलग से कारखाने स्थापित किए जाएंगे ।"

यह ठीक है। जब औरतों के बच्चा होना होता है , उस वक्त और उस के बाद भी वे काम नहीं कर सकती हैं, हैजर्ड्स नेचर का काम नहीं कर सकती हैं। इसके लिए उनको छट्टी मिलनी चाहिये और इस छुट्टी में उनको पूरी तन्ख्वाह देने का प्रबन्ध किय जाना चाहिये । साथ ही साथ फैस्टीवल्ज़ के सिलसिले में भी उनको छट्टी मिलनी चाहिये और उस छुट्टी के दिनों में तन्ख्वाह भी दी जानी चाहिये । फैक्ट्रीज़ ऐक्ट में इस वक्त है कि डिलिवरी होने के वक्त में लेडीज़ काम नहीं करती हैं और उनको छुट्टी दी जाती है जिसकी उनको तन्ख्वाह मिलती है । इसी प्रकार का प्राविजन इस में भी होना चाहिये । इस वक्त नहीं है । बीमार अगर कोई पड़े तो उस दौरान में भी मजदूर को तन्ख्वाह मिलनी चाहिये । बच्चा होने के वक्त औरतें एक महीने तक काम नहीं कर सकती हैं, इस एक महीने की उनको तनख्वाह मिलनी चाहिये ।

[श्री बड़े]

मध्य प्रदेश में बीड़ी मालिकों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाया है । हरदा, टमूरनी, खारगौन आदि स्थानों पर जहां भी बीडी के कारखाने हैं, उन सभी के मालिक बहुत पैसे वाले हो गये हैं । ऐसा कहा जाता है कि उनका रूलिंग पार्टी से सम्बन्ध है और वे सभी उस के अन्तर्गत हैं । यह जो इम्प्रैशन है यह चाहे गलत है या सही है, इसको दूर किया जाना चाहिये और कोई बिल आपकी तरफ से आना चाहिये या फिर इस बिल को आपको कुछ एमेंडमेंट्स के साथ स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**श्री मा० ल० जाधव** (मालेगांव) : उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि बीड़ी कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी कारखाना मजदूरों की श्रेणी में भी लाये जा सकते हैं।

बीड़ी उद्योग में बहुत से वृद्ध पुरुष और स्त्रियां ठेके पर काम करते हैं। कारखाना अधिनयम इत्यादि के लागू होने से वे काम भी कर सकेंगे । अतः इस विधेयक से उन लोगों की जीविका मारी जाएगी ।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

†**श्री कोया** (कोजीकोडे) : बीड़ी कर्मचारी भी अन्य कारखाना कर्मचारियों की तरह हैं। अतः उन पर भी श्रमिक कानून लागू होने चाहिएं।

इस विधेयक में बच्चों के बारे में जो उपबन्ध है यह बहुत अच्छा है । मैं इस का स्वागत करता हूं ।

बीड़ी कारखानों के मालिक श्रमिक कानूनों के लाभ से कर्मचारियों को वंचित रखने के लिये कई प्रकार के शोषण ढंग अपनाते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार कोई विधान बना दे तो इस संबंध में श्रमिकों को काफी लाभ पहुंचेगा।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि कुटीर उद्योग के आधार पर चलने वाले किसी कारखाने में काम करने वाली महिलाओं को कोई कठिनाई न हो।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय को इस विधेयक के पारित किये जाने में रुकाबट नहीं बनाना चाहिये। संसद् तो सर्वोच्च है। यह इस संबंध में कानून बना सकती है।

इस संकटकालीन परिस्थिति में हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े। हड़तालें न हों। अत: हमें इस विधेयक को जो बहुत व्यापक है और जिसमें बीड़ी उद्योग के श्रमिकों के लिये बड़े अच्छे उपबन्ध हैं स्वीकार करना चाहिये ।

†**श्री उमानाथ** (पुद्दुकोट्टई) : मालिकों ने राज्य विधानों से बचने का जो नवीनतम तरीका निकाला है, वह यह है कि वे भविष्य में एल-२ के आधार पर लाइसेंस लेंगे। जब इस प्रकार के लाइसेंसों के लिये प्रार्थना-पत्र आयें तो राज्यों के श्रम विभाग विशेष सावधानी से काम लें।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बहुत उचित समय है कि बीड़ी और सिगरेट उद्योग के श्रमिकों के लिये एक केन्द्रीय विधान लाया जाये। यह उद्योग बहुत ही श्रमपूर्ण उद्योगों में से है।

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, जब बीड़ी के मजदूरों के संबंध में कानून बन रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप के जरिए से लेबर मिनिस्टर को अपने इलाके के बीड़ी मजदूरों के बारे में बतलाऊं।

हमारे अपने अकेले जिले में करीब ३० हजार मजदूर बीड़ी बनाने वाले हैं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा वे करीब करीब बीस घंटे रोज काम करते हैं, सवेरे से लेकर रात तक। सबसे ज्यादा शोषण उनका इस लिये होता है कि उनकी मजदूरी की सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं है। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य आदि के लिए भी कोई इन्तिजाम नहीं है। बच्चों से भी मजदूरी करायी जाती है और वे स्कूल नहीं जा पाते हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीड़ी ये मजदूर मालिकों के पास जमा करते हैं उसकी उनको मालिक पूरी मजदूरी नहीं देते। उनकी मजदूरी का करीब दसवां हिस्सा यह कह कर काट लेते हैं कि बीड़ियां खराब हो गयीं। लेकिन असल में होता यह है कि उन खराब बीड़ियों को नष्ट नहीं किया जाता और मालिक उनको भी बेच लेते हैं। इस प्रकार सरासर बड़ी मजदूरों की कमाई की लूट की जाती हैं।

इस बिल में जो बीड़ी मजदूरों के संबंध में मिनिमम वेजेज और प्राविडेंट फंड आदि के बारे में इन्तिजाम हो रहा है, इसलिये यह बहुत अच्छा बिल है और मैं सहर्ष इसका स्वागत करता हूं और आशा है कि मंत्री महोदय इस संबंध में अच्छी तरह से विचार करेंगे।

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : हमें बीड़ी श्रमिकों के प्रति पूर्ण सहानुभूति है और उनकी हालत सुधारी जानी चाहिये। श्री गोपालन द्वारा प्रस्तुत विधेयक विभिन्न बातों के बारे में हैं।

जैसा कि श्री आबिद अली ने कहा था बीड़ी कर्मचारियों के बारे में जो समिति नियुक्त की गई थी उस के प्रतिवेदन के बाद अन्य कानून पारित किये गये थे और ये अधिनियम इन सुविधाओं में से कइयों के संबंध में हैं जो कि अब दिए जाने को कहा जा रहा है। यदि इन कानूनों को कार्यान्वित नहीं किया गया है तो कुछ कार्यवाई करनी है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : यहां तक न्यूनतम मंजूरी का सम्बन्ध है, यदि न्यूनतम मजूरी विधान एक राज्य में होता तो है तो उसे कार्यान्वित नही किया जा सकता क्योंकि सारा उद्योग अन्य राज्य को चला जाएगा।

†**श्री हाथी** : यदि जैसा कि श्री जगोपालन ने कहा है ऐसा होता है, तो कुछ और कार्यवाही की जानी चाहिये। केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाए या और कार्यवाही की जाए।

उद्योगों के अन्य क्षेत्रों को जाने से रोकने की ओर भी ध्यान दिया गया है। इस काम के लिये १९५८ में अन्तर्राज्य समिति की बैठक की गई थी। श्री गोपालन की बात बिल्कुल संगत है। यदि श्रमिक जहां मजूरी अधिक हो वहां चले जाएं तो कोई भी उद्योग नहीं रह सकता। समिति ने सिफारिश की कि इस उद्योग के लिये राज्य सरकारें इस प्रकार न्यूनतम मजूरी निर्धारित करें कि असमताएं न रहें और उद्योग एक राज्य से दूसरे राज्य को न जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

राज्य सरकारों को इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये कहा गया था। एक और बैठक हुई। कुछ राज्यों ने कार्यवाही की थी। मद्रास सरकार ने बताया कि बीड़ी श्रमिकों और स्वामियों में समझौते के अन्तर्गत श्रमिकों को इस बात का आश्वासन दिया गया है कि १००० बीड़ी बनाने के लिये १.५० से अधिक की दर के हिसाब से मजूरी दी जाएगी। उड़ीसा सरकार ने भी न्यूनतम मजूरी १००० बीड़ियों को गनाने के लिये १.५० कर दी है। यह सब जगह हो गया है। अत: उद्योग के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने का प्रश्न उठेगा नहीं।

दूसरा प्रश्न जो उठाया गया था बच्चों को काम पर लगाने और मातृत्व लाभ के बारे में था। १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर पाबन्दी लगा दी गई है और १९६१ का प्रसूति लाभ अधिनियम बीड़ी श्रमिकों पर लागू कर दिया गया है। वह इस अधिनियम का स्थान ले लेगा। परन्तु कारखानों में स्त्रियों को काम पर लगाने के बारे में वही स्थिति है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रश्न उठाया गया था। मैं उस निर्णय के आधार पर नहीं कहूंगा कि बीड़ी मजदूर मजदूर नहीं हैं और अत: वे इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता। श्रम मंत्रालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और इस बात की ओर ध्यान दे रहा है कि श्रमिक की व्याख्या का किस प्रकार संशोधन किया जाए ताकि बीड़ी कर्मचारी उस के पर्यालोकन में आ जाएं। यदि हम एक ओर से बीड़ी कर्मचारियों को सुविधायें देनी चाहते हैं और दूसरी ओर यह देखते हैं कि बीड़ा मजदूर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार मजदूर नहीं हैं अत: वे श्रमिकों के विधानों से होने वाले लाभों से वंचित रहता, तो हम परिभाषा का संशोधन करें ताकि यह उन पर भी लागू हो।

यह मामला भी उठाया गया था कि उन्हें अन्य कुछ लाभ नहीं दिये जाते हैं। इस संबंध में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। यदि सब मजदूर एक स्थान पर काम करें तो हम शर्तें जो लगानी चहियें लगा सकते हैं। परन्तु लोग बीड़ी के पत्रों को घर ले जाते हैं और वहां बीड़ियां बनाते हैं, स्वामियों को लाकर दे देते हैं और अपनी मजूरी ले लेते हैं। इसे बन्द करने से क्या प्रभाव होगा। मान लीजिए हम कानून में इसकी व्यवस्था कर दें कि बाहर वालों को कोई काम न दिया जाए . . . . .

†**श्री अ० क० गोपालन:** : विधेयकों के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि यह विधेयक बीड़ी और सिगार उद्योग को कारखानों की तरह बनाना चाहता है जब कि स्वयं काम करने वाले मजदूरों के हितों की भी रक्षा करेगा। विधेयक में इस बात की स्पष्ट रुप से व्यवस्था की गई है कि यदि कोई स्वयं काम करने वाला मजदूर कुटीर उद्योग के आधगर पर इस उद्योग में काम करता हो तो कोई हानि नहीं है जब कि वह ऐसे कारखाने के मालिक को बीड़ियां न दे जिस के पास कोई ट्रेड मार्क हो, परन्तु किसी छोटे व्यापारी को देता है यदि ऐसा हो तो कारखाने पर कारखाना अधिनियम लागू होना चाहिये।

†**श्री हाथी:** इस पहलू पर भी हम ने विचार किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि कई कठिनाइयां हैं। हमने इन की जांच की है। यदि कोई वैधानिक या व्यवहारिक कठिनाइयां हों तो उन्हें दूर करना है। इन सब पर विचार करते हुए माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है उस पर भी विचार किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीड़ी उद्योग संगठित और मान्यता प्राप्त उद्योग नहीं है। जो संगठित और मान्यता प्राप्त उद्योग हैं, उनके तो नियमित रुप में कार्मिक संघ होते हैं और मालिकों अथवा नियोजकों से बातचीत करने के उनके सामूहिक अधिकार भी होते हैं। परन्तु जहां यह सुविधा न हो वहां हमें और भी अधिक सतर्कता से चलना होता है और बीड़ी के काम में लगे लोगों के हितों की रक्षा करनी होती है। उनकी कठिनाइयों को हल करने के अमली तरीके सोचे जाने चाहिये।

विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का जहां तक संबंध है, मैं यह आश्वासन देने को तैयार हूं कि नियंत्रक अधिनियम १९५८ का नाम दिया गया है। सभी ऐसे स्थान जहां बीड़ी निर्माण का कार्य होता है, उसके लिये लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस प्रकार अधिनियम जैसा विशेष कानून बनाने पर दक्षिण भारत के अन्य राज्य अर्थात केरल, मैसूर और आंध्र प्रदेश भी विचार कर रहे हैं। १९६१ में हुई एक अनौपचारिक बैठक में इस बात पर पुन: विचार किया गया। हमने राज्यों को पुन: यह प्रार्थना की कि वे भी सिफारिशों के अनुरुप ही कार्यवाही करें ताकि बीड़ी कारीगरों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों के संबंध में। इन श्रमिकों को भी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गयी है। उच्चतम न्यायालय के फैसले वाले मामले से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां तो प्रश्न यह है कि बीड़ी बनाने वाला कारीगर श्रमिक की परिभाषा के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं। हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि वर्तमान परिभाषा का संशोधन कर के इसे बीड़ी श्रमिकों के अनुरूल बनाया जायेगा।

मद्रास सरकार ने बीड़ी उद्योग के लिए एक विशेष विधान बनाया है। इसे मद्रास बीड़ी औद्योगिक सीमा।

कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों को भी लिखा गया है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने धारा २(३) के अन्तर्गत मालिक की परिभाषा को बदल दिया है। नयी धारा १८क उस अधिनियम में जोड़ दी गयी है। इस में काम पर लगाने वाले मुख्य नियोजक के साथ साथ ठेकेदार पर भी नौकरी की जिम्मेदारी डाल दी गयी थी। इस के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय की घोषणा की गयी। देखने की बात है कि किस तरह इस परिभाषा में संशोधन किया गया।

श्री स० म० बनर्जी ने भी एक प्रश्न उत्पन्न किया था। वह था सरकार पूरा ध्यान रखेगी और बीड़ी कारीगरों के हितों को हानि नहीं पहुंचने देगी।

मेरा विचार है कि मेरे इस आश्वासन पर मेरे माननीय मित्र श्री अ० क० गोपालन अपना विधेयक वापिस ले लेंगे।

†**श्री अ० क० गोपालन** : बीड़ी कारीगरों के बारे में मैं ने जो कुछ कहा था उसे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है और उन्होंने बताया है कि सरकार इस मामले पर विचार करना चाहती है। उन्होंने यह नहीं बताया कि इस दिशा में एक व्यापक अखिल भारतीय विधान बनाने के मार्ग में आखिर कठिनाइयां क्या हैं?

†**श्री हाथी** : कई राज्य ऐसे भी हैं बीड़ी उद्योग की कोई समस्या नहीं अत: वहां विधान की कोई आवश्यकता नहीं। परन्तु इस पर भी हम इस बारे में राज्यों को पुन: लिखेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन** : मेरा निवेदन है कि एक तो विधान होना चाहिए और दूसरा सरकार को इस कानून के विभिन्न राज्यों में कार्यकरण की जांच करनी चाहिए। मालूम यह होता है कि कानून ठीक ढंग से अमल में नहीं लाये जा रहे । इस तरह इन मजदूरों की रक्षा की जानी चाहिए और उनकी हालत सुधारी जानी चाहिए ।

†**श्री हाथी** : यदि माननीय सदस्य यह आश्वासन चाहते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि हम बीड़ी कारीगरों की अवस्था सुधारने का प्रयत्न करेंगे । हम इस बारे में यह निर्णय कर रहे हैं कि न्यूनतम मजूरियां निश्चित करने के लिये पड़ोसी राज्यों के समूहों के लिए संयुक्त बोर्ड बनाये जायेंगे । इस बात की व्यवस्था भी की जायेगी कि नियोजक एल २ लाइसेंसों का सहारा लेकर राज्य के अन्दर अधिनियम के उपबन्धों से बच न सकें ।

क्योंकि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह बीड़ी श्रमिकों की कार्य की दशाओं का सुधार करेगी अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापिस लेने की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

विधेयक, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छद १३६, २२६, आदि का संशोधन)

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री श्रीनारयण दास** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक

(धारा २३ का संशोधन)

†**श्री ज० ब० सिं बिष्ट** (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुओं में विवाह एक पवित्र बन्धन समझा जाता है, और इसे कभी तोड़ा नहीं जाता था। परन्तु हालात के अनुसार हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करना पड़ा और उस के अन्तर्गत धारा १० में तलाक अथवा विवाह विच्छेद की व्यवस्था की गयी है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि मूल अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत झूठे तथा ओछे आरोप न लगाये जायें, इसकी व्यवस्था करना है। यह विधेयक मुख्य अधिनियम की धारा २३ में एक नयी उप-धारा जोड़ता है जिस में यह उपबन्ध है कि यदि धारा १० अथवा १३ के अन्तर्गत बताये गये आधार गलत सिद्ध हों तो गलत आरोपों से जिस पक्ष की बदनामी हुई हो उसे ५००० रुपये तक का मुआवजा दिया जायेगा।

न्यायिक पृथक्करण एवं परित्याग आदेश दोनों के लिए पति पत्नि से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ व्यभिचार अथवा यौन सम्बन्ध के आरोपों का उल्लेख किया गया है। इन में से किसी भी आरोप को सिद्ध करना बहुत कठिन है परन्तु वे या तो दूसरे पक्ष को बदनाम करने अथवा उसे ऐसी शर्तें मनाने के लिये बाध्य करने के लिए लगाये जाते हैं जिन्हें वादी सम्भव समझता हो। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिस से इस प्रकार के झूठे अथवा ओछे आरोप न लगाये जा सकें।

यह ठीक है कि दंड प्रक्रिया संहिता मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाहियों पर लागू होती हैं परन्तु वह उन मामलों में होता है जिन में शिकायत सही सिद्ध हुई हो और विधेयक में कल्पित घटनायें उस में नहीं आती है। इस के अतिरिक्त पीड़ित पक्ष को राहत प्राप्त करने के लिए अन्य अदालत में जाना पड़ता है। विधेयक पारित हो जाने से इसकी आवश्यकता समाप्त हो जायेगी।

इसी प्रकार का एक विधेयक १९६१ में सभा के समक्ष लाया गया था जिसे लोकमत जानने के लिए परिचालित भी किया गया था। उसपर प्राप्त मत पक्ष में है। अतः मेरा निवेदन है कि यह विधेयक पारित किया जाना चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ओझा** (सुरेन्द्र नगर) : मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यदि हम मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत मामलों में पेश किये गये ओछे तर्कों को समाप्त करना चाहते हैं तो वह विधेयक परित किया जाना चाहिये। यह ठीक है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इसका उपचार है परन्तु क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये नये सिरे से मुकदमे-बाजी करनी पड़ती है। यदि हम अदालती कार्यवाही का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं तो हमें इस उप-बन्ध को स्वीकार करना ही होगा

†**श्री मा० ल० जाधव** : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरे विचार में यह विधेयक कुछ लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता और इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए। दीवानी एवं फौजदारी अदालत दोनों कानूनों के अन्तर्गत पर्याप्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध है। किसी व्यक्ति को केवल इस कारण दंडित करना ठीक नहीं है कि वह अपना आरोप सिद्ध नहीं कर सका। हमारे यहां तलाक विशेष हालत में होता है जब कि अन्य स्थानों पर तो यह छोटे छोटे मामलों पर ही हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (धारवाड़ उत्तर): इस विधेयक के पीछे जो भावना काम कर रही है उसकी मैं सराहना करती हूं । परन्तु इस दिशा में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस से उन लोगों को सहायता मिलेगी जिन के लाभ के लिये इसे लाया जा रहा है । मेरे विचार में औरतों के भी यह पक्ष में नहीं जायेगा । जो पक्ष यह समझता है कि दूसरे पक्ष के विरुद्ध कोई आरोप सही है पर उस के सिद्ध करने में कुछ कठिनाइयां हैं तो वह उसे लगाने का साहस नहीं कर सकेगा ।

हमारे हिन्दु कानून के अनुसार एक पवित्र बन्धन है, परन्तु मनु ने भी विशेष हालत में तलाक को स्वीकार किया है। परन्तु आज तो हम काफी भौतिकवादी हैं। मेरे विचार में इस से महिला वर्ग को कोई लाभ होने वाला नहीं है, अतः हमें यह विधेयक पारित करने से पूर्व अनेक बार विचार कर लेना चाहिए ।

†**श्री अ० रा० आल्वा** (मंगलौर) : दंड प्रक्रिया संहिता में काफी व्यवस्था के होते हुए इस कानून की कोई जरूरत नहीं है । धारा ३५ के संशोधन से यही व्यवस्था है कि गलत आरोपों के लिए सजा दी जाय । मेरा विचार तो यह है कि यदि यह पारित हो गया तो लोग न्यायिक पृथक्करण अथवा तलाक के लिये अदालतों में जाने का साहस ही नहीं कर सकेंगे । क्योंकि जिन आरोपों के आधार पर तलाक के लिए आवेदन दिया जायेगा उनको सिद्ध करना काफी कठिन होगा। मेरे विचार में यह विधेयक अनावश्यक है अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

†**श्री कु० कृ० वर्मा** (सुल्तानपुर) : मेरे विचार में हमारे वर्तमान कानून में उस बात के लिए काफी व्यवस्था है जिस से के लिए कि यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है । इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है । इस विधेयक के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति ५००० रुपये तक सीमित है । परन्तु वर्तमान कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की राशि पर कोई सीमा भी नहीं है । मेरे विचार में हर दृष्टि से यह विधेयक अनावश्यक है, अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र**) : मैं इस संशोधन के विरुद्ध हूं। कारणों और उद्देश्यों में जो तथ्यों का विवरण दिया गया है उसे मैं ठीक नहीं मानता हूं। यह देखा गया है कि गलत और निराधार आरोप लगाये जाते हैं। क्या इस प्रकार की कोई घटना माननीय सदस्यों के नोटिस में आई है । हमारे देश की जो परम्परा रही है उस में यह तर्क तथ्यों से सही नहीं मालूम होता। हमारे यहां तो बहुत ही तंग आकर पति अथवा पत्नि अदालत में तलाक के लिय जाते हैं।

तंग करने अथवा द्वेष के कारण चलाये गये मुकदमे में व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता दोनों के अन्तर्गत अन्य उपाय मौजूद हैं। एकमात्र अन्तर यह है कि क्षतिपूर्ति की राशि १००० रुपये तक है जब कि विधेयक में उसे ५००० रूपये तक बढ़ाया जा रहा है । यह संभव नहीं है कि राशि बढ़ा देने से संबंधित पक्ष अदालत नहीं जायेंगे ।

इस विधेयक के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि महिलायें अदालत में जाने का साहस न कर सकेंगी और जिन की सहायता के लिये यह विधेयक है उन्हें भी कुछ लाभ नहीं होगा । माननीय प्रस्तावक महोदय का यह कहना है कि देश का जनमत बहु संख्या में इसके पक्ष में है, भी गलत है। मेरा निबेदन है कि इस दिशा में काफी मतभेद है, विभिन्न सुझाव

†मूल अंग्रेजी में

और मत प्रकट किये गये हैं। अतः जो कुछ भी राय हमें प्राप्त हुई है उस के आधार पर इस मामले का निपटारा शीघ्रता से नहीं किया जा सकता। पूरी सम्भावना है कि लाभ के स्थान पर इस से हानि अधिक हो।

अतः इस परिस्थिति में मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपने विधेयक को वापिस ले लें।

†**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** : मैं इस संबंध में कुछ ही शब्द कहना चाहता हूं। उपमंत्री महोदय ने प्रतिवेदन तो पढ़े ही होंगे। मेरी राय तो यही है कि उन में उल्लिखित सुझाव अपनाने योग्य हैं। किन्तु यदि इस मामले को रहने दिया गया है तो मैं अपने विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** : क्या सदस्य को विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाये ?

विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

विधि व्यवसायी संशोधन विधेयक

धारा १४ और १५ का संशोधन

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधि व्यवसायी अधिनियम, १८७९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है इसका सीमा क्षेत्र सीमित है। इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि अभिवक्ता अधिनियम को पास करने के बाद बहुत से विधि व्यवसायी रह गये हैं जो विधि व्यवसायी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। इस अधिनियम की धारा १४ में वकीलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का उपबन्ध है। इस वक्त देश में ७६,००० से ८०,००० तक वकील जिन में प्रायः ४०,००० अधिवक्ता हैं।

अधीनस्थ न्यायालयों में क्या होता है ? वहां वकीलों को जीविकाहेतु १५, २० मामले हाथ में देने होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ध्यान देने पर भी संभव है कि वह आवेदनपत्र में पूरे तथ्य न दे पायें क्योंकि ग्राहक भी तो बहुत चलाक हो गये हैं। यदि ग्राहक फीस न दे तो वकील द्वारा वकालत न करने पर उस पर अनुशासन संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। कभी कभी ग्राहक वकीलों के विरुद्ध झूठी शिकायतें भेज देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उसे कोई वकील करना पड़ता है। यदि लम्बी कार्यवाही के बाद शिकायत झूठी प्रमाणित हो तो वकील को मुकदमे का खच दिलाने का उपबन्ध नहीं है। उस वकील को कुछ नहीं मिलता। उसकी ख्याति पद पर भी धब्बा लगता है। अलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामला संख्या २२५ में १९३० में यह निर्णय दिया गया था कि विधि व्यवसायी संहिता संपूर्ण है और उस में खर्च दिलाने का उपबन्ध नहीं है। इस लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है कि वकीलों के विरुद्ध मामलों में शिकायत के झूठा प्रमाणित होने पर उन्हें भी खर्च मिला करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ओझा (सुरेन्द्र नगर) : विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण और खंड २ एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। विधेयक में केवल शिकायत के झूठा प्रमाणित होने पर ही कहीं प्रत्युत्त किसी भी मुकदमे के असमय होने पर उसे खर्च देने का उपबन्ध किया गया है। गांव में केवल वकील को ही आतंकित नहीं किया जाता बल्कि वहां साधारण लोगों को वकील भी आतंकित करते हैं। अतः मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

†श्री कु० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर) : विधेयक की भावना से तो मैं पूर्णतः सहमत हूं। किन्तु कभी तो ग्राहक लोग वकीलों को तंग करते हैं किन्तु कभी इसके विपरीत बात होती है। अतः यह उपबन्ध नहीं होना चाहिये कि सभी विफल मामलों में वकील को खर्च देना चाहिये। वास्तव में न्यायालय को इस संबंध में स्वविवेक अधिकार प्राप्त होना चाहिये। अतः माननीय सदस्य को यह विधेयक अधिक उपयुक्त शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिये।

†श्री विभूधेन्द्र मिश्र : अधिवक्ता अधिनियम पास करने के बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। न्यायालयों को उन के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं रहा बल्कि यह अधिकार विधि जीवी परिषदों को है।

जो लोग अधिवक्ता नहीं बन ककते या नहीं बनना चाहते वे अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार रखते हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत ही कम है।

इस विधेयक द्वारा विधि व्यवसायी अधिनियम की धारा १४ और १५ को संशोधित किया जाना है। यह विधेयक अनावश्यक है क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम के अध्याय पांच के लागू होने पर इन धाराओं में अपने आप ही संशोधन हो जाएगा। इस अध्याय को शीघ्र लागू करने के लिये प्रयत्न किये जा रहें हैं।

इस बात की भी जांच की जा रही है कि वकीलों और मुखतारों को भी उसी अनुशासन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार में लाया जाए। कह नहीं सकता कि ऐसा हो सकेगा अथवा नहीं।

१८७९ का अधिनियम पिछले ८० वर्ष से बिना किसी संशोधन के बहुत अच्छा प्रमाणित हुआ है। इस समय कोई संशोधन स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक से प्रार्थना करता हूं कि वह विधेयक को वापस ले ले।

†श्री हेम राज : जहां तक उपमंत्री ने यह कहा है कि अध्याय पांच के लागू होने पर वकील और मुखतार भी अधिवक्ता बन जाएंगे मैं इसे ठीक नहीं मानता। भले उनकी संख्या कम है, किन्तु तो भी काफी है। किन्तु क्योंकि उपमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उन्हें भी इसी क्षेत्राधिकार में लाने का यत्न किया जाएगा मैं विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा सदस्य को विधेयक वापस लेने की अनुमति देती है ?

†कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार १९ नवम्बर, १९६२/२८ कार्तिक १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक क लिये स्थगित हो गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९६२
---
२५ कार्तिक १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		८५७-८३
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१९	भारतीय चाय	८५७-५९
२२०	सीमेंट के कारखाने	८५९-६१
२२१	बोकारो में इस्पात कारखाना	८६१-६२
२२२	निर्यात के लिये क्षेत्रवार संगठन	८६२-६३
२२४	लोहा और इस्पात वितरण प्रणाली	८६३-६५
२२५	औद्योगिक अनुज्ञप्तियों का जारी किया जाना	८६५-६६
२२६	आंध्र प्रदेश में लोहा और इस्पात संयंत्र	८६७-६८
२२७	कपड़ा मशीन उद्योग	८६८-७०
२२८	टाट आदि का निर्यात	८७०-७१
२२९	पटसन की खरीद	८७२-७४
२३०	हरी चाय	८७४
२३६	हरी चाय	८७४-७६
२३१	उद्योगों का प्रसार	८७६-७७
२३२	दक्षिण में इस्पात संयंत्र	८७७-७९
२३३	मध्य प्रदेश के लिये उर्वरक संयंत्र	८७९-८१
२३४	कपड़े के मूल्य	८८१-८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८८३-९१२
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२३	मोटर कार का मूल्य	८८३
२३५	रांची में मशीने बनाने का और ढलाई व गढ़ाई का कारखाना	८८३-८४
२३७	पिम्परी में बनाई गई पैनिसिलीन का मूल्य	८८४
२३८	एंटामनी धातु के मूल्य में कमी	८८४
२३९	टोलबुटैमाईड गोलिया	८८५
२४०	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	८८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर क्रमश :

तारांकित
प्रश्न संख्या

२४१ विदेशी औषधियों की बिक्री . ८८५–८६
२४२ यूरोप के देशों में चाय केन्द्र . . ८८६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४७० उत्तर भारत में चाय उद्योग . . . ८८६–८७
४७१ त्रिपुरा में उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र . . ८८७–८८
४७२ त्रिपुरा में जुलाहों की बस्तियां . . . ८८८
४७३ ऊन और ऊनी कपड़े का दाम . ८८८
४७४ औद्योगिक संस्थाओं को ब्याजमुक्त ऋण . . ८८९
४७५ औद्योगिक सहकारी समितियों संबंधी कार्य कारीदल . ८८९
४७६ दुर्गापुर में चश्मों आदि के शीशे बनाने का कारखाना . ८८९–९०
४७७ मिलों में नयी किस्मों का कपड़ा . . . ८९०
४७८ साइकिलों, सिलाई मशीनों और बिजली के पंखों का निर्यात . ८९०
४७९ केरल में नाइलान के धागे का कारखाना . . . ८९१
४८० अगरतला बीड़ी शिल्प समवाय समिति . . . ८९१
४८१ जड़ी बूटियों का निर्यात ८९१–९२
४८२ विदेशी मुद्रा के संसाधन ८९२
४८३ त्रिपुरा को नालीदार लोहे की चादरों की सप्लाई . ८९२–९३
४८४ सीमेंट का उत्पादन ८९३
४८५ हैवी इलेक्ट्रिकल्स में आक्सीजन संयंत्र . . . ८९३
४८६ रूरकेला के "ब्लूम और स्लैब" . . . ८९४
४८७ 'टिस्को और 'इस्को' पर बकाया ब्याज . . ८९४
४८८ रुरकेला में आन्तरिक परिवहन . . . ८९५
४८९ लोहा और इस्पात समानीकरण निधि . . . ८९५
४९० दक्षिण में "स्टैनलेस स्टील" ८९५–९६
४९१ लो–शैफ्ट भट्टी का कच्चा लोहा संयंत्र . . ८९६
४९२ मशीनी औजार उद्योग के लिए लाइसेंस . . . ८९६–९७
४९३ पंजाब को दिया गया कच्चा लोहा . . . ८९७
४९४ भिलाई में कोक उत्पादन ८९७–९८
४९५ उड़ीसा और मध्य प्रदेश में नये इस्पात कारखाने . . ८९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर क्रमश :

अतारांकित प्रश्न संख्या		
४९६	इस्पात-फीतों का निर्माण	८९८–९९
४९७	त्रिपुरा में विद्युत् चालित करघा उद्योग . . .	८९९
४९८	मूल्य प्रदर्शन	८९९
४९९	काठियावाड़ तट पर नमक का उत्पादन . . .	८९९–९००
५००	नारियल जटा की बनी वस्तुओं की भाड़ा दर . .	९००
५०१	कम्पनी अधिनियम	९००–०१
५०२	केरल में रेशा कारखाना	९०१
५०३	मद्रास में ईंटों का यंत्रीकृत भट्टा . . .	९०१–०२
५०४	सूती कपड़ा उद्योग के लिए 'समापन निधि' . .	९०२
५०५	सूती कपड़ा मिलों को बन्द किया जाना . . .	९०२–०३
५०६	व्यापारिक फर्में	९०३
५०७	दिल्ली की फर्मों के लिये कारखानों के शेड . .	९०३–०४
५०८	अखबारी कागज की चोर बजारी . . .	९०४
५०९	निर्यात	९०४
५१०	उत्तर प्रदेश में चाय की खेती . . .	९०४–०५
५११	पूर्व योरोपीय देशों को व्यापार शिष्टमण्डल . .	९०५
५१२	नये उद्योगों को लाइसेंस देना . . .	९०५–०६
५१३	औषधि उद्योग	९०६
५१४	मुद्रण मशीनों का आयात	९०६
५१५	राज्य व्यापार निगम	९०६–०७
५१६	पाकिस्तान से सेंधा नमक का आयात . . .	९०७
५१७	युगोस्लाविया के साथ व्यापार . . .	९०७
५१८	चाय का निर्यात	९०७–०९
५१९	पटसन मिलें	९०९
५२०	टीटागढ़ जूट मिल्स	९०९
५२१	गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में कागज का कारखाना . .	९०९–१०
५२२	तम्बाकू का निर्यात मूल्य	९१०
५२३	कांगड़ा में सहकारी चाय कारखाने . . .	९१०
५२४	अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना . . .	९१०–११

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५२५ बन्दरों का निर्यात ६११

५२६ रबड़ की आवश्यकता . . . ६११

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६११-१२

(१) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) इस्टीयरिक एसिड और ओलिक एसिड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२) ।

(ख) दिनांक १४ नवम्बर, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या २ (१) टी० आर०/६२ (इस के हिन्दी रूपान्तर सहित) ।

(ग) दिनांक १४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या २(१) टी० आर०/६२ (इस के हिन्दी रूपान्तर सहित) ।

(घ) इस के कारण बताने वाला एक विवरण कि उक्त उप-धारा के अन्तर्गत नियत अवधि के अन्दर ऊपर (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित दस्तावेज टेबल पर क्यों नहीं रखे जा सके ।

(२) मोजा-बनियान, बुनाई तथा कढ़ाई उद्योगों सम्बन्धी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३३३६ में प्रकाशित ऊनी वस्त्र (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

राजय सभा से सन्देश ६१२

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने अपने १४ नवम्बर, १९६२ की बैठक में भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पास कर दिया है ।

राजय-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक समा पटल पर रखा गया ६१२-१४

सचिव ने भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक, १९६२ को राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखा ।

विधेयक पुरस्थापित ६१४-१७

(१) उपहार-कर (संशोधन) विधेयक ।

विधेयक पुरस्थापित--(जारी) विषय पृष्ठ

(२) भारत की प्रतिरक्षा विधेयक

(३) परिसीमन आयोग विधेयक

(४) विनियोग (रेलवे संख्या ५ विधेयक, १९६२)

विधयक पारित . . . ६१७–३२

(१) रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलव) संख्या ५ विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) ने प्रस्ताव किया कि बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक पर विचार किया जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेडडी) ने प्रस्ताव किया कि समवाय (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधयक पारित किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी का प्रतिवेदन स्वीकृत

दसवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित ६३३–३४

(१) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक **(धारा ४ और ६ का संशोधन)** (श्री श्याम लाल सर्राफ का) ।

(२) सिनेमा के फिल्मों की (अधिकतम) लम्बाई विधेयक (श्री रामेश्वर टांटिया का) ।

(३) पुस्तकों और समाचारपत्रों (सार्वजनिक पुस्तकालय) का दिया जाना संशोधन विधेयक **(धारा २ का संशोधन)** (श्री च० का० भट्टाचार्य का) ।

(४) संविधान (संशोधन) विधेयक **(अनुच्छेद १३६, २२६ आदि का संशोधन)** (श्री श्रीनाराण दास का) ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक--चर्चा स्थगित– ६३४–३५

श्री रघुनाथ सिंह ने प्रस्ताव किया कि संविधान संशोधन विधेयक **(अनुच्छेद २२६ का संशोधन)** (श्री दी० चं० शर्मा का) पर अग्रेतर चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने के लिये नियत अगले दिन तक के लिये स्थगित कर दी जाय । अग्रेतर चर्चा स्थगित कर दी गई ।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—वापिस लिये गये १३५—४३

(१) श्री अ० क० गोपालन ने प्रस्ताव किया कि बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक पर विचार किया जाये। उन्हों ने वाद विवाद का भी उत्तर दिया। विधेयक, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

(२) श्री ज० ब० सिं० बिष्ट ने प्रस्ताव किया कि हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) पर विचार किया जाय। उन्हों ने वाद विवाद का भी उत्तर दिया। विधेयक, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

(३) श्री हेमराज ने प्रस्ताव किया कि विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) पर विचार किया जाय। उन्हों ने वाद विवाद का भी उत्तर दिया। विधेयक, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सोमवार, १२ नवम्बर, १९६२/२८ कार्तिक, १८८४ (शक) के लिये कार्यजांच

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ पर विचार तथा भारत की प्रतिरक्षा विधेयक पर विचार तथा पारित किया जाना।

GMGIPND—LSII—2245 (Ai) LSD—9-1-63—140.

समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ९२६—३३
श्री क० च० रेड्डी . . . . . ९२६—२७
श्री स० मो० बनर्जी . . . . ९२७—२८
श्री द्वा० ना० तिवारी . . ९२८
श्री उमा नाथ . . . . . ९२८—२९
श्री श्याम लाल सर्राफ . . ९२९
श्री बड़े . . . . . ९२९—३०
श्री सुब्बारामन ९३०
श्री महेन्द्र सिंह महीडा ९३०
श्री विश्राम प्रसाद . . . . ९३०—३१
श्री मन्त्री ९३१

खंड १ से ३ . . . . ९३३

पारित करने का प्रस्ताव . ९३३
श्री क० च० रेड्डी . ९३१—३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन . ९३३

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित

(१) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक **(धारा ४ और ६ का संशोधन)** [श्री श्याम लाल सर्राफ का]. . . . ९३३

(२) सिनेमा फिल्मों की (अधिकतम) लम्बाई विधेयक [श्री रामेश्वर टांटिया का] ९३४

(३) पुस्तकों और समाचार-पत्रों (सार्वजनिक पुस्तकालय) का दिया जाना संशोधन विधेयक **(धारा २ का संशोधन)** [श्री च० क० भट्टाचार्य का] ९३४

(४) संविधान (संशोधन) विधेयक **(अनुच्छेद १३६, २२६ आदि का संशोधन)** [श्री श्री नरायण दास का] . . . ९३४

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) . ९३४—३५

श्री दी० चं० शर्मा का ९३४

विचार करने का प्रस्ताव—स्थगित ९३५

बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [श्री अ० क० गोपालन का] वापिस लिया गया . ९३५—४२

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ९३५—४२

श्री अ० क० गोपालन . . . . ९३५—३६
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा १३६
श्री बड़े . . . . . ९३६—३८

विषय-सूची—जारी

पृष्ठ

श्री मा० ल० जाधव . ९३८
श्री कोया . . . ९३८
श्री स० मो० बनर्जी . ९३८
श्री उमानाथ . ९३८–३९
श्री ह० च० सोय . ९३९
श्री हाथी . . . ९३९—४२

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सि० बिष्ट का] — वापिस लिया गया . . . ९४२

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ९४२—४५
श्री ज० ब० सिंह बिष्ट ९४२–४३
श्री ओझा ९४३
श्री मा० ल० जाधव ९४३
श्रीमती सरीजिनी महिषी . . . ९४४
श्री अ० शं० आल्वा ९४४
श्री कुं० कृ० वर्मा ९४४
श्री विभुधेन्द्र मिश्र . . . ९४४–४५

विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [श्री हेम राज का] वापिस लिया गया . . ९४५–४६

विचार करने का प्रस्ताव ९४५
श्री हेम राज ९४५
श्री ओझा ९४६
श्री कुं० कृ० वर्मा ९४६
श्री विभुधेन्द्र मिश्र ९४६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ९४७—५२

© १९६२ प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशि और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।